



सत्यमेव जयते

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/ विभाग
2014 का प्रतिवेदन संख्या 27
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I – प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा	1.3	2
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.4	4
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.6	6
बजट और व्यय नियंत्रण	1.7	8
स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा	1.8	14
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.9	19
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति	1.10	20
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.11	21
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर	1.12	21
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.13	22
अध्याय II – परमाणु ऊर्जा विभाग		
उपकरण का अनुपयोग	2.1	23
अध्याय III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	3.1	27
उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना	3.2	29
अध्याय IV – अंतरिक्ष विभाग		
एस.आर.ई.2-मिशन की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब	4.1	33
उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि	4.2	36
गलत ठेका प्रबन्धन के कारण परिहार्य व्यय	4.3	39
घटकों के क्रय में निष्फल व्यय	4.4	42

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
अध्याय V – पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना	5.1	45
ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान	5.2	55
अध्याय VI – वन एवं पर्यावरण मंत्रालय		
जीव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां	6.1	59
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब	6.2	80
कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	6.3	83
नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना	6.4	86
परिशिष्ट		
I	वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय	105
II	पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष	110
III	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान	113
IV	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	116
V	वर्ष 2012-13 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण	121
VI	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।	122
VII	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।	124
VIII	इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस एवं बोस संस्थान द्वारा किए गए विधिक शुल्क के कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	127
IX	जिओसैट/आई.आर.एस. ठेकों में सुपुर्द करने योग्य की आपूर्ति की स्थिति तथा अतिरिक्त व्यय	136
X	किए गए सर्वेक्षणों, अध्ययनों एवं निकाले गए प्रकाशनों में भा.प्रा.स. के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	140

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट मार्च 2013 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2012-13 की अवधि में देखे गये थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं की जा सके; 2012-13 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग को लेखापरीक्षा संसूचित करता है।



विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में छः अध्याय हैं। अध्याय I इस रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और टिप्पणियों का भी एक सारांश प्रदान करता है। अध्याय II से VI वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्ष/टिप्पणियों प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में उभारे गए चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत डाला गया है:

- अक्षम परियोजना प्रबंधन
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां
- आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया तथा
- आंतरिक नियंत्रण में कमी

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

अक्षम परियोजना प्रबंधन

एस.आर.ई.-2 की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब

अन्तरिक्ष विभाग का अंतरिक्ष कैपसूल रिकवरी प्रयोग-2 मिशन का प्रक्षेपण, जो आरम्भ में अगस्त 2008 के लिए नियत था, 5 वर्षों से अधिक से विलम्बित था। इसके परिणाम स्वरूप मिशन के लिए खरीदे गए पैराशूट तथा फ्लोट्स की अवधि समाप्ति के

कारण ₹ 52 लाख का निष्फल व्यय और मिशन पर ₹ 30.66 करोड़ का व्यय करने के बावजूद मिशन के उद्देश्य मार्च 2014 तक अप्राप्त रहे।

(पैराग्राफ 4.1)

राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यान्वयन के 12 वर्ष बाद भी समुद्र में प्लवों के उत्पादन तथा परिनियोजन के लिए देशज प्रौद्योगिकी के विकास का उद्देश्य प्राप्त करने में सीमित सफलता प्राप्त की। प्लव परियोजना के पूरक के रूप में देशीय रूप से विकसित कम लागत मौसम प्लव अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए जा रहे थे। भारतीय सेटेलाइट के माध्यम से संचार स्थापित करने के प्रयास जुलाई 2014 तक परीक्षण चरण पर रहे। डाटा प्लवों के परिनियोजन हेतु खरीदा गया समर्पित जहाज अभिप्रेत प्रयोजन हेतु मुश्किल से उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 5.1)

जैव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जैव विविधता के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.), जिसका भारत एक पक्ष है, के उद्देश्य के साथ इसे पंक्तिबद्ध करने लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया; और देश के जीव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने का कार्य और निगरानी के लिए 1993-2020 की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सामरिक योजना तैयार की। मार्च 2014 तक, भा.प्रा.स. सभी योजनाबद्ध गतिविधियों में सी.बी.डी. के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य से पीछे रहा।

चयनित राज्यों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों में जीव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण और सूचीबद्ध करने का कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण करने के लिए कोई मानक पद्धति और किए गए सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जीव प्रजातियों की क्षेत्र और

प्रजातिवार निगरानी भी शुरू नहीं की गई तथा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वर्गीकरणशास्त्री का कार्यरत बल संस्वीकृत बल से काफी कम था। वर्गीकरणशास्त्री की कमी से जीव वर्गीय अध्ययन प्रभावित हुआ जैसा कि संग्रहीत प्रजातियों की कुल संख्या का मात्र 34 प्रतिशत ही वर्गीकृत रूप से पहचान की गई। यद्यपि वर्गीकरण को एक अति विशिष्ट विषय के रूप में मान्यता दी गई थी फिर भी भा.प्रा.स. अपने नए भर्ती वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए तैनात करने में विफल रहा।

संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा अत्यंत सीमित थी। समीक्षा हेतु लक्षित 10 प्रजातियों में से सात प्रजातियों के लिए वस्तु स्थिति सर्वेक्षण की शुरुआत नहीं की गयी थी।

(पैराग्राफ 6.1)

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोएडा प्राधिकरण द्वारा इसे आवंटित भूमि पर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का विकास करने के लिए उसके साथ समझौता ज्ञापन करने में विफल हो गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास पर ₹ 11.54 करोड़ खर्च करने के बाद, 17 वर्षों से अधिक के बाद भी भूमि के स्वामित्व की स्थिति असुलझी रही और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का उद्देश्य भी मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

(पैराग्राफ 6.2)

नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत चयनित 10 राज्यों में ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ के 10 वर्षों के बाद और ₹24.80 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्थापित नहीं की गई थीं। सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी की गई जिसके कारण अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्व समाप्ति, निष्फल व्यय, सृजित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत

निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नगर ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने का मूल उद्देश्य अप्राप्त रहा।

(पैराग्राफ 6.4)

खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

उपकरण का अनुपयोग

खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई ने उपकरण, जो पारगमन में क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप इसकी खरीद पर खर्च की गई ₹5.56 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हो गईं।

(पैराग्राफ 2.1)

उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, उपकरणों के प्रतिष्ठापन के लिए समय पर स्थान की पहचान करने में विफल हो गया, स्थान की तैयारी में विलम्ब किया और इस दौरान उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए उपकरण पाँच वर्षों से अधिक के लिए अप्रतिष्ठापित रहे और अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिनकी ₹ 21.17 लाख की अतिरिक्त लागत पर मरम्मत की गई।

(पैराग्राफ 3.2)

गलत ठेका प्रबन्धन के कारण परिहार्य व्यय

इसरो सैटलाइट सेंटर, बंगलुरु ने विरचना कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समयावधि का उल्लेख किए बिना हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए दो विरचना ठेकों में मूल्य वृद्धि खण्ड शामिल किए। इसके अलावा ठेकों के हस्ताक्षर की तारीख से तीन वर्ष बाद इन्होंने कार्य-विस्तार बदले बिना श्रम घंटों की निर्धारित उपरी

सीमा बढ़ाने के द्वारा ठेके संशोधित किए। गलत ठेका प्रबन्धन के परिणामस्वरूप ₹4.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.3)

संघटको के क्रय पर निष्फल व्यय

परियोजना में उपयोग हेतु सालिड स्टेट स्विचों की आवश्यकता उचित प्रकार निर्धारित करने में इसरो सैटेलाइट सेंटर विफल हो गया। स्विच परियोजना में अन्ततः उपयोग नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी खरीद पर किया गया ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 4.4)

आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया

ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अनियमित रूप से अपने स्वायत्त निकायों को उनके नियमित कर्मचारियों की सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित सेवा शर्तों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 से बदलने की अनुमति प्रदान की। इस अनुमति के आधार पर, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने 54 नियमित कर्मचारियों, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे, को ₹68.88 लाख ग्रेच्युटी का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 5.2)

आंतरिक नियंत्रण में कमी

विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान

इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस तथा बोस संस्थान ने एक अधिवक्ता को न्यायालय में वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन किए बिना ₹83.55 लाख का भुगतान किया। इसमें से ₹54.93 लाख का भुगतान कपटपूर्ण पाया गया।

(पैराग्राफ 3.1)

उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि

उपग्रह सेवाओं के सभी प्रयोक्ताओं को प्रभारित करने में भारत सरकार के निर्णय के उल्लंघन में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, अन्तरिक्ष विभाग ने आंध्रप्रदेश सरकार को निःशुल्क संचार उपग्रह क्षमता उपलब्ध कराई जिसके परिणामस्वरूप ₹19.16 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 4.2)

कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लगभग 29 महीनों के लिए किराए के परिसर में 17 में से 13 कक्षों का उपयोग करने में विफल हो गया, जिससे किराए तथा ब्याज के बकाया देयों के प्रति ₹ 4.43 करोड़ की देयता उठाने के अतिरिक्त, उनके नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12 लाख का व्यय व्यापक रूप से अपव्यय हो गया।

(पैराग्राफ 6.3)

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी & ए जी) का यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के लेन-देनों के अनुपालन लेखा परीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है।


अनुपालन लेखा परीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखा परीक्षा में अपनी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप होगा। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार अच्छे शासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण बकाया, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, न वसूल होने वाली देयताएं, जिन्हें अपलिखित/माफ किया गया हो और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक रूपरेखा है। अध्याय II से VI तक वैज्ञानिक

एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है। विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि, की प्रणाली में निहित कमियों को भी इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.2 कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



वैज्ञानिक लेखापरीक्षा कार्यालयों की स्थिति

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के बीच वैश्विक प्रवृत्ति को देखते हुए, सी & ए जी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा हेतु कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग को नोडल कार्यालय के रूप में नामित किया।

इसकी तीन शाखाएँ मुंबई, कोलकाता तथा बंगलूरु एवं एक उप-कार्यालय चेन्नई में स्थित हैं जो केंद्र सरकार के वैज्ञानिक तथा पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करने में कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग की सहायता करते हैं।

1.3 लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग नौ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसमें शामिल हैं:
 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डबल्यू.आर.)

यह प्रतिवेदन केवल उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

इन मंत्रालयों/विभागों की एक संक्षिप्त रूपरेखा **परिशिष्ट I** में दी गई है।

वर्ष 2012-13 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

तालिका 1 - वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	2010-11	2011-12	2012-13
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	10,057.23	17,516.61	11,981.76
2.	जैवप्रौद्योगिकी विभाग	1,144.87	1,208.43	1,282.84
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2,280.76	2,521.47	2,524.22
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,982.68	3,214.70	2,945.66
5.	अंतरिक्ष विभाग	4,482.23	3,790.79	4,856.28
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,098.08	1,174.60	1,177.14
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2,608.92	2,270.00	1,996.69
8.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	994.81	1,365.22	1,243.72
9.	जल संसाधन मंत्रालय	992.79	1,066.03	1,055.59
कुल		26,642.37	34,127.85	29,063.90
प्रतिशत बढत(+)/घटत(-)		(+)5.62¹	(+)28.10	(-)14.84


स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2012-13 के दौरान भारत सरकार के ऊपर दिए गए मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹29,063.90 करोड़ था। इसमें से कुल व्यय का 41 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया, उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (17 प्रतिशत) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (10 प्रतिशत) आते हैं।

¹ 2009-10 में किये गए ₹25,224.52 करोड़ के व्यय के आधार की गई गणना।

वर्ष 2009-10 के मुकाबले 2010-11 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के सम्पूर्ण व्यय में छः प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई, 2010-11 पर 2011-12 के दौरान 28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई थी। 2012-13 के दौरान तथापि, कुल व्यय में 15 प्रतिशत की घटोतरी हुई। यह मुख्य रूप से नौ में से पांच वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों अर्थात् डी.ए.ई. (32 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एफ. (12 प्रतिशत), एम.एन.आर.ई. (नौ प्रतिशत), डी.एस.आई.आर. (आठ प्रतिशत) और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. (एक प्रतिशत) के व्यय में कमी के कारण था।

चार्ट 1. वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया व्यय



1.4 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी & ए जी को लेखापरीक्षा करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। सी & ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी & ए जी (डी.पी.सी.)² अधिनियम की धारा 13³ के अंतर्गत करता है। सी & ए जी वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत स्वायत्त

² नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) सार्वजनिक लेखे तथा आकस्मिक निधि से संबंधित लेन-देन तथा (iii) सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ-हानि लेखे, बैलेंस शीट तथा अन्य सहायक लेखों का लेखापरीक्षण।

निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी & ए जी (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(2)⁴ एवं 20(1)⁵ के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त सी & ए जी (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14⁶ एवं 15⁷ के अंतर्गत ऐसे स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी करता है जो भारत सरकार द्वारा काफी वित्त पोषित किए जाते हैं और जिनकी प्रारंभिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि तंत्र सी & ए जी द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में नियत है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी & ए जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धान्तों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में तथा मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु पुनः कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख

⁴ संसद द्वारा संबंधित अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार बनाई गई विधि से स्थापित निगमों (जो कम्पनी नहीं हैं) के लेखों का लेखापरीक्षण।

⁵ राष्ट्रपति की प्रार्थना पर ऐसे किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा उन शर्तों पर करना जिसकी सहमति सरकार तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बीच हुई हो।

⁶ (i) भारत की संचित निधि से अनुदान प्राप्त या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां एवं व्यय, तथा (ii) भारत की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में किसी निकाय/प्राधिकरण को जारी किए गए 1 करोड़ से अधिक राशि के कर्ज अथवा सहायता राशि के लेखों की प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा करना।

⁷ भारत की समेकित निधि से किसी विशेष उद्देश्य से किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय को दिये गये अनुदान या ऋण की लेखापरीक्षा, उन प्रक्रियाओं की जांच हेतु, जिनके द्वारा दिये गये अनुदान या ऋण की शर्तों को पूरा होने का स्वीकृति अधिकारी अपने आप को संतुष्ट करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2012-13 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 358 इकाइयों में से 211 का अनुपालन लेखापरीक्षा पूरा करने के लिए 3,536 लेखापरीक्षा दल-दिवस को उपयोग किया गया। हमारी लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थाओं, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार प्रमुख जोखिम वाले थे, को शामिल किया।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने समीक्षात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। इन मंत्रालयों/विभागों की पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष **परिशिष्ट II** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियाँ उजागर की गई हैं जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। सुधार कार्यों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं:

- **अक्षम परियोजना प्रबंधन;**
- **खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां;**
- **आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ पहुंचाना; तथा**
- **कमजोर आंतरिक नियंत्रण**

1.6.1 अक्षम परियोजना प्रबंधन

सबसे महत्वपूर्ण कमियों में से एक, जिसे लेखापरीक्षा बताती आ रही है, वैज्ञानिक संगठनों के द्वारा परियोजना प्रस्तावों में स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होना है। यह मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजनाएं अनुप्रयुक्त साथ-साथ शुद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान, दोनों क्षेत्रों में, आपूर्तियोग्य लक्ष्य के साथ ली जाती हैं। जबकि हम इस तथ्य को मानते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास की सफलता का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, बताई गई कमियाँ ज्यादातर कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण हैं जो इन संगठनों के नियंत्रण के भीतर हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में तीन विस्तृत पैराग्राफ शामिल किए गए हैं, (i) जैव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां (ii) राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना (iii) नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना। इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब, जैसे डी.ओ.एस. द्वारा एस.आर.ई.-2 मिशन की प्राप्ति तथा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की स्थापना पर पैराग्राफ को भी शामिल करती है।

1.6.2 खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सामग्री उपकरण एवं सेवाओं की खरीद पर करते हैं। इनमें से कुछ विभाग जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/विभागों की तुलना में बड़े हुए वित्तीय अधिकारों का प्रयोग सामग्री एवं उपकरण खरीद पर करते हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में खरीद और संविदा प्रबंधन प्रणाली में कमियों के उदाहरणों को चिन्हित करती है, जिसका परिणाम था अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद (डी.ए.ई. के तहत) तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (डी.एस.टी. के तहत) द्वारा कीमती आयातित उपकरण की गैर स्थापना। प्रतिवेदन में इसरो उपग्रह केंद्र, बंगलूरु (डी.ओ.एस. के तहत) द्वारा खरीदे गए सामानों का इच्छित उद्देश्य के लिए निरूपयोग से निष्फल व्यय तथा समझौतों के अनुबंध शर्तों का अनुचित संशोधन करने से परिहार्य व्यय पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

1.6.3 आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को पहुंचाया गया वित्तीय लाभ

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों में से अधिकांश बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान से वित्त पोषित हैं। आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के उनके प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं निकला है और कई मामलों में सरकारी धन पर उनकी निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है। वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर ऐसी निर्भरता के बावजूद अपने कर्मचारियों को काफी अधिक लाभ देने से इन संस्थाओं के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार केंद्रीय खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हुए ये लाभ वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना अनुचित रूप से दिये जाते हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय/भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना एम.ओ.ई.एफ. के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के कर्मचारियों को वित्तीय लाभों के अनुदान पर लेखापरीक्षा प्राप्तियों को समाहित करती है।

स्वायत्त संस्थानों द्वारा अधिक लाभ के इस तरह के उदाहरणों की संबंधित मंत्रालयों द्वारा समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि सरकार की मंजूरी के बिना सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाए।

1.6.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण उन साधनों को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं जिसके द्वारा संगठन के संसाधन जुटाए और मितव्ययता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सरकारी संगठनों को कठोर आंतरिक नियंत्रण के उपायों को लागू करने और खर्च में वित्तीय विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सार्वजनिक धन नियमों एवं विनियमों के अनुसार खर्च किए जा रहे हैं और नुकसान तथा बर्बादी न्यूनतम है।

वर्तमान प्रतिवेदन, एम.ओ.ई.एफ. द्वारा कार्यालय परिसर की किरायेदारी में व्यर्थ व्यय, सरकारी निर्णय के गैर-अनुपालन के कारण डी.ओ.एस. द्वारा राजस्व के घाटे, डी.एस.टी. के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थानों द्वारा कानूनी फीस के कपटपूर्ण भुगतान जैसे अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन के उदाहरण प्रस्तुत करती है।

1.7 बजट और व्यय नियंत्रण

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग खातों का सारांश तालिका-2 में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

तालिका 2 - वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान और किए गए व्यय का विवरण


क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ (+) अतिरिक्त	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	13,917.64	11,981.76	(-)1,935.88	14
2.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,500.40	1,282.84	(-)217.56	15
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,882.88	2,524.22	(-)358.66	12
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3,484.00	2,945.66	(-)538.34	15
5.	अंतरिक्ष विभाग	6,715.06	4,856.28	(-)1,858.78	28
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,672.41	1,177.14	(-)495.27	30
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	3,092.97	1,996.69	(-)1,096.28	35
8.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,548.48	1,243.72	(-)304.76	20
9.	जल संसाधन मंत्रालय	2,067.63	1,055.59	(-)1,012.04	49
	कुल	36,881.47	29,063.90	(-)7,817.57	21

स्रोत: वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालयों/विभागों के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹36,881.47 करोड़ के कुल बजट आबंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की सम्पूर्ण बचत ₹7,817.57 करोड़ थी जो कि कुल अनुदान/विनियोग का 21 प्रतिशत थी। डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.ओ.ई.एफ. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के पास वर्ष के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों को निर्गत अनुदान के एक भाग के रूप में, एम.ओ.डब्ल्यू.आर. की बचत सबसे अधिक थी (49 प्रतिशत), इसके बाद एम.ओ.ई.एफ. (35 प्रतिशत) और एम.ओ.ई.एस. (30 प्रतिशत) थी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत का, डी.ए.ई. द्वारा एकत्र बचत का भाग सबसे अधिक था, इसके बाद डी.ओ.एस. था।

चार्ट 2-मंत्रालय/विभाग वार बचत का प्रतिशत



वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों में बजट और व्यय नियंत्रण चिंता का विषय बना हुआ है जिसके लिए नियंत्रण और निरीक्षण प्रणालियों को ध्यान देने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। 2014 के सी & ए जी की प्रतिवेदन संख्या 1 में इन क्षेत्रों में से कुछ का उल्लेख है जिसे नीचे संक्षेप में पुनः दिया गया है

सरकारी लेखाओं के बाहर लोक निधियों का प्रतिधारण

(क) प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन को अनुमत करते समय प्रयोक्ता निकायों से एकत्र समस्त प्रतिपूरक वन निधियों (सी.ए.एफ.) तथा विपथित की गई वन भूमि के वर्तमान शुद्ध मूल्य के प्रति प्राप्त राशि का अभिरक्षक है। एकत्रित राशि को प्रत्येक राज्य/यू.टी. के लिए कैम्पा द्वारा ट्रस्ट में रखा जाता है और अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर संबंधित राज्य/यू.टी. सरकारों को निर्गत किया जाता है। यह पाया गया कि इन निधियों के संबंध में आय और निर्गतों की संसद या राज्य विधानसभाओं को रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी और ₹26,384.73 करोड़ की राशि की निधियां सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी थी।

(ख) यह पाया गया कि डी.ओ.एस. के दो केन्द्रों ने भारत की संचित निधि में से राशि का आहरण किया और इस राशि को विस्तृत अवधि पर खर्च करने को अनुमत करने के लिए बैंक में एस्करो खातों⁸ को खोलकर उनमें हस्तांतरित किया। 2002-03 से आगे, डी.ओ.एस. ने 19 एस्करो खातों में ₹831.11 करोड़

⁸ एस्करो खाता संपत्ति कर, बीमा प्रीमियम आदि जैसे दायित्वों का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता के नाम पर लिया हुआ बैंक में एक ट्रस्ट खाता होता है, जहां भुगतान जारी करने के पहले, राशि को बैंक में हस्तांतरित करना पड़ता है तथा बैंक ठेकेदार को विभिन्न संविदात्मक दायित्वों के पूरा हो जाने के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद यथानुपात आधार पर पैसा चुकाता है।

हस्तांतरित किये और 31 मार्च 2013 तक इन खातों में उपलब्ध शेष ₹139.90 करोड़ था। यह संसदीय प्राधिकरण का गंभीर उल्लंघन था। चूंकि सरकारी लेखा और वित्तीय नियमों में सरकारी खातों और लेखों से बाहर लोक निधि को बनाये रखने/सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, सरकारी खातों के बाहर 31 मार्च 2013 तक ₹139.90 करोड़ की राशि को लोक निधि का प्रतिधारण अनियमित/नियम विरुद्ध था।

अनुसंधान एवं विकास उपकर निधि के अंतर्गत एकत्र उपकर का अल्प उपयोग

अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम, 1986 देसी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों की वाणिज्यिक प्रयोज्यता को बढ़ावा देने के लिए और विस्तृत घरेलू प्रयोज्यताओं के लिए आयातित प्रौद्योगिकियों को ढालने हेतु प्रौद्योगिकियों के आयात पर किये गए समस्त भुगतानों पर उपकर के एकत्रीकरण और उगाही के लिए प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए निधि डी.एस.टी. के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) द्वारा प्रशासित है। यह पाया गया कि 1996-97 से 2012-13 के दौरान ₹4,139.17 तक निधियां उपकर के माध्यम से एकत्र की गई थी जिनमें से मात्र, ₹528.91 करोड़ (12.77 प्रतिशत) टी.डी.बी. को वितरित की गई। टी.डी.बी. ने ₹1,118.67 करोड़ की वित्तीय सहायताओं और लोन को औद्योगिक कंपनियों को वितरित कर दिया। इस प्रकार, यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत उपकर का एकत्रीकरण व्यापक था, इसका इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग इष्टतम नहीं था।

₹100 करोड़ या ज्यादा की बचत राशि

एक अनुदान या विनियोजन में बचत राशि दोषयुक्त बजट निर्माण के साथ-साथ निष्पादन में कमी को इंगित करते हैं। इसके अलावा, अनुदान के किसी भी खंड में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत पर लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी की आवश्यकता होती है। डी.ए.ई. एवं डी.ओ.एस. में पूंजी तथा राजस्व शीर्ष, दोनों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत देखी गई। एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ., डी.एस.टी., डी.बी.टी., डी.एस.आई.आर., एम.एन.आर.ई. एवं एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के अनुदान में राजस्व शीर्ष के तहत ₹100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अव्ययित प्रावधान ₹217.56 करोड़ (डी.बी.टी.) से ₹1,859.62 करोड़ (डी.ए.ई.) के बीच रहा।

पूंजी और राजस्व, दोनों शीर्षों के तहत डी.ए.ई. में लगातार बचत देखी गई। डी.ए.ई. में पूंजी शीर्ष के तहत, बचत में 4 प्रतिशत (2009-10) से 17 प्रतिशत (2010-11) तथा 24 प्रतिशत (2011-12) और 32 प्रतिशत (2012-13) की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी। एम.ओ.ई.एस. में राजस्व शीर्ष के तहत, बचत में सात प्रतिशत (2010-11) से 16

प्रतिशत (2011-12) तथा 28 प्रतिशत (2012-13) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, एम.ओ.डब्ल्यू.आर. में राजस्व शीर्ष के तहत, बचत में 12 प्रतिशत (2010-11) से 14 प्रतिशत (2011-12) तथा 50 प्रतिशत (2012-13) की वृद्धि हुई।

बचत राशि समर्पण और कुल बचत से अतिरिक्त समर्पण

एम.ओ.ई.एस. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अपनी बचत राशि का बड़ा हिस्सा अभ्यर्पित किया। जबकि एम.ओ.ई.एस. ने 31 मार्च 2013 को अपने कुल बचत का 96 प्रतिशत अभ्यर्पित किया, एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने अपनी बचत का 87 प्रतिशत अभ्यर्पित किया। यह भी पाया गया कि डी.एस.टी. ने राशि (₹18.65 करोड़) अभ्यर्पित की जो कि अनुदान के अंतर्गत बचत (₹18.53 करोड़) से अधिक थी।

अवास्तविक बजट

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों में बजट का अवास्तविक होना देखा गया। अनुदानों के भीतर भारी अव्ययित प्रावधान थे तथा अनुपूरक अनुदान और पुनः विनियोजन के बाद प्राप्त निधि का उपयोग नहीं किया गया, जो खराब बजट निर्माण की ओर संकेत करता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछ इस प्रकार हैं:-

- डी.ए.ई. ने एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹54 करोड़ का पुनः विनियोजन किया जो कि विवेकहीन था क्योंकि इस उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत ₹104.44 करोड़ थी। अतः उस उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था।
- डी.ए.ई. ने एक उप-शीर्ष से पुनः विनियोजन (₹54 करोड़) किया जो कि विवेकहीन था क्योंकि इस उप-शीर्ष के अंतर्गत पुनः विनियोजन के बाद उपलब्ध अंतिम प्रावधान से अतिरिक्त व्यय (₹104.44 करोड़) हुआ था।
- डी.ए.ई. ने पूँजी (प्रभारित) अनुभाग के अंतर्गत ₹आठ करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की मांग की, जो कि ₹एक करोड़ के मूल प्रावधान का आठ गुना था।
- डी.ए.ई., एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ. डी.एस.आई.आर. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के 19 मामलों में उप-शीर्षों के अंतर्गत पूरा बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- डी.ए.ई., एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ., डी.एस.टी. डी.ओ.एस. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के 15 मामलों में, अकेले उप-शीर्षों के तहत अव्यवस्थित प्रावधान ₹100 करोड़ से अधिक था।

- डी.ए.ई., एम.ओ.ई.एफ., एम.एन.आर.ई., डी.ओ.एस और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के तहत 11 मामलों में, उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान का 47 से 100 प्रतिशत अव्ययित प्रावधान था।

व्यय का आधिक्य

मार्च 2013 के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा किये गए व्यय की मात्रा बजट अनुमान का 85 प्रतिशत था, जो की निर्धारित सीमा से 15 प्रतिशत और 33 प्रतिशत क्रमशः अधिक था।

प्रावधान बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

निम्नलिखित मामलों में संसद के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना बजट प्रावधानों में वृद्धि की गई:-

- एक मामले में, डी.ओ.एस. द्वारा ₹21 लाख का व्यय 'ग्रांट-इन-ऐड-जेनरल' के अंतर्गत प्रावधान बढ़ाकर किया गया।
- एक मामले में, डी.ओ.एस. द्वारा ₹76.73 करोड़ का व्यय 'ग्रांट फोर कैपिटल असेट्स' के अंतर्गत प्रावधान बढ़ाकर किया गया।
- दो विभागों (डी.ए.ई. और डी.ओ.एस.) के 82 मामलों में, वस्तु मदों 'मेजर वर्क्स एवं मशीनरी एंड इक्विपमेंट' के अंतर्गत कुल ₹248.98 करोड़ निधि की वृद्धि की गई।

व्यय का गलत वर्गीकरण

- ₹580.11 करोड़ तक का पूंजी व्यय गलत वर्गीकृत था, और एम.ओ.ई.एस, डी.ओ.एस. तथा एम.ओ.डब्ल्यू.आर. द्वारा राजस्व व्यय के तहत दर्ज किया गया था।
- ₹14.67 करोड़ का राजस्व व्यय गलत वर्गीकृत था और डी.ए.ई, डी.ओ.एस. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. द्वारा पूंजी व्यय के तहत दर्ज किया गया था।

अनुदान के एक अनुभाग के तहत वस्तु शीर्षों के भीतर गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों नियम 1978 (डी.एफ.पी.आर.) के प्रत्यायोजन का नियम 8, छठे स्तर अर्थात् वस्तु मद तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य से विवरण परिभाषा के साथ विनियोग के मानक प्राथमिक इकाईयां निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन मंत्रालयों/विभागों अर्थात् एम.एन.आर.ई., डी.ए.ई. और डी.ओ.एस. के चार

मामलों में ₹85.31 करोड़ की कुल निधियां, वस्तु मदों विनियोग की इन प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत था।

पूर्व प्राधिकृत के बिना किया गया व्यय

जी.एफ.आर. नियम 58(2) के अनुसार, यदि एक दावे का सम्मान, संवितरण अधिकारी के पास रखे आवंटन या विनियोग से अधिक होना निश्चित है, तो उसे भुगतान प्राधिकृत करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी के आदेश लेना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, पुनर्विनियोग द्वारा या अनुपूरक अनुदान द्वारा, या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के द्वारा धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यह देखा गया कि डी.ओ.एस. ने उपलब्ध प्रावधान से ₹4.15 करोड़ का अधिक व्यय किया तथा व्यय करने के पहले, निधि उपलब्ध करने के लिए कोई पुनः विनियोग आदेश जारी नहीं किये गए।

इसके अलावा, डी.ओ.एस. ने 168 मामलों में पुनः विनियोग आदेश जारी करने से पहले उपलब्ध प्रावधान से ₹586.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

अधूरा स्वीकृति आदेश जारी करना

जी.एफ.आर. नियम 25(1) के अनुसार, व्यय पर सभी स्वीकृति आदेश, संबंधित ग्रांट या विनियोग में प्रावधानों, जहां से ऐसे व्यय प्राप्त होने हैं, के विवरण को संकेत करेंगे। यह पाया गया कि डी.ओ.एस. द्वारा स्वीकृति आदेशों में राजस्व और पूंजी लेखों एवं योजना और गैर-योजना मदों को अलग से डेबिट होने वाले व्यय की राशि को पृथक रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया था। वर्गीकृत होने वाली व्यय राशि को भी, वर्गीकरण के छठे स्तर तक सम्पूर्ण निर्देशों को देने के बजाय, जैसा कि आवश्यक था, केवल उप मद स्तर तक, अर्थात् वर्गीकरण के चौथे स्तर तक ही निर्दिष्ट की गई थीं। इस प्रकार डी.ओ.एस. द्वारा जारी स्वीकृति आदेश अधूरे थे।

1.8 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 12 स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) सी & ए जी के (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार

की जाती है। 11⁹ स्वायत्त निकायों को 2012-13 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹3,987.69 करोड़ थे जैसा कि विस्तार से नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

तालिका 3 - केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	2012-13 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	405.29
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	91.01
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	*
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	2,976.28
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	25.81
6.	केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	19.16
7.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	25.67
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	283.84
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	15.38
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	19.43
11.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	76.00
12.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	49.82
कुल			3,987.69

स्रोत: स्वायत्त निकायों के 2012-13 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

* लेखा प्राप्त नहीं हुए।

इसके अतिरिक्त, सी & ए जी के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत 62 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 49¹⁰ स्वायत्त निकायों को 2012-13 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹2,818.26 करोड़ था, जिसका विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

1.8.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पांचवी लोकसभा) 1975-76 में सिफारिशें दी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक

⁹ एक स्वायत्त निकाय (प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली) के 2012-13 के लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं हुए थे।

¹⁰ 13 स्वायत्त निकायों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा किये गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 2012-13 के लिए, 12 स्वायत्त निकायों में से सात ने अपने लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन महीनों के निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया। वर्ष 2012-13 के लिए लेखों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:-

तालिका 4 - स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा की प्रस्तुति की स्थिति

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	26.08.2013	2
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	10.06.2013	-
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	लेखे प्राप्त नहीं हुए	लेखे प्राप्त नहीं हुए
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	02.08.2013	1
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	14.06.2013	-
6.	केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	08.08.2013	1
7.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	04.06.2013	-
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	04.10.2013	3
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	04.07.2013	-
10.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	02.07.2013	-
11.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	11.06.2013	-
12.	राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	18.06.2013	-

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार स्वायत्त निकायों ने एक से तीन महीनों के विलम्ब के बाद अपने लेखों को प्रस्तुत किया। वर्ष 2012-13 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लेखे प्राप्त नहीं हुए।

1.8.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियां

वर्ष 2012-13 के लिए लेखों पर एस.ए.आर. में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिये गये हैं।

सामान्य अवलोकन:-

- दो¹¹ स्वायत्त निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा अपूर्ण थी।
- 2012-13 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षण चार¹² स्वायत्त निकायों में नहीं किया गया था।
- 2012-13 के लिए स्थायी संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन तीन¹³ स्वायत्त निकायों में नहीं किया गया था।

कुछ स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण विशिष्ट टिप्पणियाँ निम्न प्रकार हैं:-

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.), नई दिल्ली

- 31 मार्च 2013 को पूंजी निधि के शेष ₹(-)705.92 करोड़ में ₹(-)304.19 करोड़ की समायोजन प्रविष्टि शामिल थी। परिषद् ने इस समायोजन प्रविष्टि का विस्तार प्रदान नहीं किया और इसलिए लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में अक्षम था कि पूंजी निधि सही बताया गया था।
- ₹36.85 करोड़ की राशि को, जो कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में धनवापसी के लिए देय थी, लेखे में नहीं दिखाया गया, जिसका परिणाम वर्तमान संपत्तियों और वर्तमान देयताओं प्रत्येक में उतने ही हद की न्यूनोक्ति के रूप में निकला।

¹¹ ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

¹² राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड

¹³ ब्रह्मपुत्र बोर्ड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा श्री चित्रा आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

- 'एल.सी.¹⁴ खोलने के लिए मार्जिन धन में जमा' 'सावधि जमा प्राप्तियां' और 'बचत खाता' पर कमाये हुए ब्याज के गलत गैर लेखांकन के कारण, सरकार की ओर सी.एस.आई.आर. की देयताएँ ₹35.15 करोड़ से न्यूनकथित थी और आय ₹33.65 करोड़ से अतिरंजित थी।
- ₹249.20 करोड़ की वापसी योग्य राशि में से सरकार को परिषद् द्वारा वापस की गई ₹22.04 करोड़ की राशि को अपनी देयताओं से कम नहीं किया गया था। इस प्रकार, देयताएं ₹22.04 करोड़ से अतिरंजित थीं।
- 44 कम्पनियों में से, जिनको न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनीशिएटिव (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) स्कीम के अंतर्गत सी.एस.आई.आर. द्वारा ₹246.47 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया था, सात कंपनियों को प्रदान किया गया ₹55.21 करोड़ का ऋण चुकौती की डिफॉल्ट के तहत था जहां कानूनी कार्रवाई चल रही थीं। इन कम्पनियों के प्रति, ₹41.93 करोड़ का दंड ब्याज सी.एस.आई.आर. द्वारा लगाया गया था, जो भी उनसे वसूल किये जाने योग्य था। हालांकि, सी.एस.आई.आर. ने न तो डिफॉल्ट के अंतर्गत ₹55.21 करोड़ के सम्पूर्ण लोन को अलग से दर्शाया था, न ही दंड ब्याज की ₹41.93 करोड़ की राशि को दर्शाया, जिसका परिणाम लेखों पर टिप्पणियों में चूक ऋणों के गैर प्रकटीकरण के साथ लेखों में ₹41.93 करोड़ तक संपत्तियों के न्यूनोक्ति के रूप में निकला।

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से उनकी प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त ₹5.29 करोड़ की निधि, जिसमें से ₹4.06 करोड़ खर्च किया गया था, गलत तरीके से बोर्ड की आय और व्यय में लिया गया और अव्ययित शेष को दायित्व में दर्शाये जाने की जगह अधिशेष में शामिल किया गया था।
- पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद में खर्च की गई अनुदान की ₹73 लाख की राशि को आय में शामिल किया गया, जिसका परिणाम व्यय पर आय के अधिशेष की अधिक बयान के रूप में हुआ।

¹⁴ ऋण पत्र

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

- प्राप्ति और भुगतान की लेखा लेखापरीक्षा की प्रतिक्रियाओं के आधार पर संशोधित की गई थी। प्राप्ति और भुगतान लेखा की प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष ₹383.53 करोड़ तक कम किए गए थे।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- ₹19.86 लाख की राशि को 'कैम्पस विकास' शीर्ष के अंतर्गत स्थायी संपत्ति के रूप में दिखाया गया था, जो वास्तव में वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय था, जिसका परिणाम ₹1.43 लाख के अवमूल्यन के समायोजन के बाद, ₹18.43 करोड़ की स्थाई परिसंपत्तियों के अधिक बयान तथा उसी हद के व्यय के कम बयान के रूप में हुआ।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

- 2012-13 के दौरान, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने चार सावधि जमाओं में ₹16.00 करोड़ के निवेश पर ₹39.67 लाख का उपार्जित ब्याज कमाया था। ₹39.67 लाख में केवल ₹4.51 लाख को खाते में दिखाया गया और शेष ₹35.16 लाख बेहिसाब रहा, जिससे ₹35.16 लाख की वर्तमान परिसंपत्तियों और आय की न्यूनोक्ति का परिणाम निकला।

1.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकयाओं, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करता है कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। सात¹⁵ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल ₹1,877.11 करोड़ के अनुदान के लिए 9,981 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) जो कि मार्च 2013 तक देय थे, प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।

छः मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रतीक्षित 9,981 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹523.89 करोड़ की राशि के 8,016 प्रमाण-पत्र दो वर्ष से अधिक से लंबित थे। ₹327.56 करोड़ के कुल 6,676 यू.सी. पाँच सालों से अधिक से बकाया थे।

¹⁵ डी.एस.टी., डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.ओ.ई.एफ., एम.एन.आर.ई., एम.ओ.ई.एस. तथा एम.ओ.डब्ल्यू.आर.

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति तालिका 5 में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

तालिका 5 - उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के बकाया की स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	दो वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.		पाँच वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	233	18.38	105	2.85
2.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं			
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य			
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	उपलब्ध नहीं			
5.	अंतरिक्ष विभाग	179	11.81	113	8.13
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,042	87.48	800	51.77
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6,366	381.74	5,635	258.32
8.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	64	10.96	2	5.34
9.	जल संसाधन मंत्रालय	132	13.52	21	1.15
कुल		8,016	523.89	6,676	327.56

1.10 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमों 2005 के नियम 84 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के सी & ए जी की सलाह से निर्धारित किए गए हों।

31 मार्च 2013 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् डी.ए.ई. के तहत परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद तथा भारी पानी बोर्ड, मुंबई थे, जो इस कार्यालय की लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखे और तुलना पत्र शामिल हो, वार्षिक रूप से बनाए जाते हैं। हालांकि, परमाणु ईंधन परिसर और भारी पानी बोर्ड दोनो ही के 2012-13 की अवधि के प्रोफॉर्मा लेखे

लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि वे एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी तैयार किए जा रहे थे। प्रोफॉर्मा लेखों के अभाव में, वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किये जाने वाली इन संगठनों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत पता नहीं चल सकी। उनकी गतिविधियों के निष्पादन संकेतकों, जैसे निवेश पर प्रतिफल, लाभ आदि की गणना करना भी संभव नहीं था।

1.11 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

सात¹⁶ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2012-13 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट V में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 2012-13 के दौरान ₹11.30 लाख के 29 मामलों की राशियों को अन्य कारणों के लिए अपलिखित किया गया, ₹3,000 का एक मामला 'उपेक्षा/धोखाधड़ी' से संबंधित था तथा ₹11.14 लाख के दो मामले वसूली की माफी के कारण अपलिखित किये गए।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी & ए जी के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए गए थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी & ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, सम्मिलित किए जाने की संभावना में, उनकी टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को फरवरी 2012 और अप्रैल 2014 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित करके पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

¹⁶ डी.ए.ई., डी.ओ.एस., डी.एस.आई.आर., डी.एस.टी., डी.बी.टी., एम.एन.आर.ई. और एम.ओ.ई.एस.


संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VI में दर्शाये गए 13 पैराग्राफों में से दो के उत्तर नहीं भेजे। 11 पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (11वीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी & ए जी के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. (विवरण **परिशिष्ट VI** में) की समीक्षा से पाया गया कि मार्च 2014 तक छः मंत्रालयों/विभागों से कुल 13 ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि प्रस्तुत करने में दो से 78 महीनों की देरी को दर्शाते हैं।

आठ मंत्रालयों/विभागों से 41 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. दो से 156 महीनों से लंबित थे। (**परिशिष्ट VII**)।

चार्ट 3 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया ए.टी.एन. की संख्या



अध्याय - II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 उपकरण का अनुपयोग

खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई ने उपकरण, जो पारगमन में क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप इसकी खरीद पर खर्च की गई ₹ 5.56 करोड़ की निधियां अबरुद्ध हो गई।

परमाणु खनिज खोज तथा अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद (ए.एम.डी.ई.आर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) की एक ईकाई देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए यूरेनियम संसाधनों की पहचान तथा मूल्यांकन में लगी है। ए.एम.डी.ई.आर ने मिश्रधातु सहित भूगर्भीय और अन्य प्राकृतिक तथा सिंथेटिक ठोस पदार्थों के मूल्यांकन में उपयोग हेतु ₹6.50 करोड़ की अनुमानित लागत दर पर 'इलेक्ट्रान प्रोब माइक्रो एनालाइजर (ई.पी.एम.ए) एस.एक्स.-100' खरीदने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2009)। तदनुसार भण्डार खरीद निदेशालय, मुम्बई (डी.पी.एस.), जो डी.ए.ई की केन्द्रीय खरीद एजेंसी है, ने विक्रेता के भारतीय एजेंट¹⁷ के माध्यम से एफ.सी.ए.¹⁸ आधार पर 9,44,445 यूरो की कुल लागत पर ई.पी.एम.ए.-एस.एक्स.-100 की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के लिए केमेका, फ्रांस को एक खरीद आदेश दिया (नवम्बर 2010)। डी.पी.एस को पोत परिवहन दस्तावेजों की प्राप्ति पर कुल मूल्य के 90 प्रतिशत का और सन्तोषजनक प्रतिष्ठापन पर 10 प्रतिशत का भुगतान करना था। उपकरण प्रतिष्ठापन की तारीख से 12 माह अथवा आपूर्ति की तारीख से 18 माह, जो भी पहले हो, के लिए गारंटीकृत था। परिवहन के सभी जोखिम ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी के बीमा के माध्यम से प्रबन्धित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपकरण चार लकड़ी के बाक्सों में प्राप्त हुआ (सितम्बर 2011) और डी.पी.एस. ने फर्म को कुल मूल्य का 90 प्रतिशत ₹5.56 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया था (अक्टूबर 2011)। ए.एम.डी.ई.आर. में उपकरण की

¹⁷ गेमन इंकरली एण्ड कं.लि., मुम्बई

¹⁸ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों इनकोटर्मस के अनुसार एफ.सी.ए. या मुफ्त वाहक का अर्थ है कि विक्रेता, विक्रेता के परिसरों अथवा अन्य नामित स्थानों, जिस केन्द्र पर जोखिम विक्रेता का हो जाता है, पर वाहक अथवा क्रेता द्वारा नामित अन्य व्यक्ति को माल सुपुर्द करता है।

प्राप्ति पर यह पाया गया कि पैक उपकरण वाले चार बाक्सों में से एक क्षतिग्रस्त था। तदनुसार, ए.एम.डी.ई.आर. ने बीमा कम्पनी में एक अनंतिम दावा दायर किया (सितम्बर 2011)। प्रेषण का बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था (अक्टूबर 2011) जिसने सूचित किया कि प्रेषण को कोई भौतिक क्षति नहीं हुई थी। बाद में विक्रेता के भारतीय एजेंट के प्रतिनिधि द्वारा बाक्स की सामग्री का निरीक्षण किया (दिसम्बर 2011) और पाया कि एक इलैक्ट्रॉनिक कैबिनेट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। विक्रेता ने मरम्मत तथा उपकरण के भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक संघटकों की री-ट्यूनिंग के लिए सम्पूर्ण प्रणाली (सभी चार बाक्स) को जहाज से वापस करने का डी.पी.एस. से अनुरोध किया (जनवरी 2012)।

तथापि डी.पी.एस. ने विक्रेता को उपकरण की लागत की बैंक गारंटी भेजने तथा परिवहन के सभी खर्च वहन करने के लिए कहा (मार्च 2012) क्योंकि उपकरण वारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुआ था। बीमा कम्पनी द्वारा एक अन्य सर्वेक्षण किया गया (अप्रैल 2012) जिसमें सम्बन्धित बाक्स में पाई गई भौतिक हानियां सूचित की गई थी।

विक्रेता ने बैंक गारंटी भेजने अथवा हानियों से संबंधित कोई खर्च वहन करने से यह करते हुए इनकार कर दिया (मई 2012) कि एफ.सी.ए. इनकोटर्मस के अनुसार उपकरण के परिवहन प्रहस्तन के दौरान हुई हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो बीमा सर्वेक्षण रिपोर्ट में उचित प्रकार व्यक्त किया गया था। विक्रेता ने यह भी बताया कि वारंटी अवधि केवल सफल प्रतिष्ठापन और स्वीकृति जांच के बाद आरम्भ होती है अतः लागू नहीं थी। इस मामले को सुलझाने के लिए डी.पी.एस./ए.एम.डी.ई.आर. ने विक्रेता के भारतीय एजेंट के साथ एक बैठक की (अक्टूबर 2012) जिसमें यह निर्णय किया गया कि विक्रेता का एक विशेषज्ञ हुई हानि की मात्रा का निर्धारण करने और सम्पूर्ण सामग्री के पुनः निर्यात की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा करेगा।

विक्रेता के विशेषज्ञ ने प्रेषित सामग्री का मूल्यांकन किया (जनवरी 2013) और तीन विकल्प यथा जांच तथा मरम्मत हेतु सम्पूर्ण प्रेषण वापस करना, मरम्मत अथवा क्षतिग्रस्त संघटक बदलाई करने के लिए केवल क्षतिग्रस्त संघटकों वाले बाक्स को वापस करना या क्षतिग्रस्त संघटकों का प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना प्रस्तुत किए। ए.एम.डी.ई.आर. ने (मार्च 2013) पूरे उपकरण को विक्रेता के पास मरम्मत के लिए वापस भेजने का निर्णय किया। तथापि डी.पी.एस. ने विक्रेता को उपकरण की लागत की बैंक गारंटी भेजने और उसके पुनर्निर्यात के सभी खर्च वहन करने के लिए पुनः कहा (अप्रैल 2013)। जबकि विक्रेता बैंक गारंटी भेजने को सहमत हो गया (अप्रैल

2013) परन्तु पुनर्निर्यात के सभी खर्च वहन करने से इनकार कर दिया। जून 2014 तक मामला अनिर्णीत रहा और उपकरण क्षतिग्रस्त अवस्था में ए.एम.डी.ई.आर. परिसरों में रखा रहा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डी.पी.एस. ने क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत के लिए विक्रेता को उत्तरदायी ठहराना जारी रखा यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि क्षति परिवहन के दौरान हुई थी। यह गलत था क्योंकि खरीद एफ.सी.ए. आधार पर की गई थी, जिसमें उपकरण के परिवहन तथा संबद्ध जोखिमों का उत्तरदायित्व डीपीएस का था। इसके अलावा उपकरण की वारंटी कवरेज केवल कारीगरी तथा विनिर्माण कमियों तक दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि डी.पी.एस. ने क्षतिग्रस्त उपकरण के बीमा दावे, उसके पुनर्निर्यात तथा मरम्मत के लिए बीमा कम्पनी के साथ आगे कोई कार्रवाई नहीं की यद्यपि परिवहन बीमा विक्रेता के भण्डागार से अन्तिम गन्तव्य अर्थात् ए.एम.डी.ई.आर. तक लिया गया था। परणामस्वरूप, बीमा दावा करने का विकल्प, जो अनन्तिम दावा दायर करने की तारीख से छः माह तक वैध था, भी समाप्त हो गया।

इस प्रकार क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप उपकरण की खरीद पर ₹ 5.56 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ। उपकरण दो वर्ष से अधिक समय के लिए क्षतिग्रस्त अवस्था में रहा और प्रयोजन, जिसके लिए यह खरीदा गया था, के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।

डी.पी.एस. ने बताया (सितम्बर 2013) कि चूंकि फर्म ने मरम्मत के लिए भेजे जाने वाले उपकरण/संघटकों के मूल्य के बराबर की बैंक गारंटी देने से इनकार कर दिया इसलिए उसे फर्म को वापस नहीं भेजा जा सका और अभी भी निदेशालय/ए.एम.डी.आर. में पड़ा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.एस. ने परिवहन में हुई हानियों के लिए अनावश्यक रूप से विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया और मरम्मत कराने अथवा अन्तिम बीमा दावा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा।

इसके परिणामस्वरूप बीमा के माध्यम से हानियों को कम करने का अवसर खो देने के अलावा ₹ 5.56 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हो गईं।

मामला विभाग को अप्रैल 2014 में भेजा गया था, जून 2014 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

अध्याय – III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस तथा बोस संस्थान ने एक अधिवक्ता को न्यायालय में वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन किए बिना ₹83.55 लाख का भुगतान किया। इसमें से ₹54.93 लाख का भुगतान कपटपूर्ण पाया गया।

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.) एवं बोस संस्थान, कोलकाता (बी.आई.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, अपने कानूनी मामलों से निपटने के लिए कोलकाता स्थित एक अधिवक्ता की सेवाएँ ले रहे थे। आई.ए.सी.एस. ने जुलाई 2007 से नवंबर 2012 के बीच 17 दावों के संबंध में ₹57.33 लाख का भुगतान किया और बी.आई. ने सितंबर 2008 से अगस्त 2012 के बीच 20 दावों के संबंध में ₹26.22 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों संगठनों ने उस अधिवक्ता, जो विगत 15-20 वर्षों से कार्य कर रहा था, के चयन के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा अधिवक्ता के साथ न किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और न ही उनके मुकदमों के बहस के लिए कोई वकालतनामा अभिलेखों में पाया गया। दोनों संगठनों द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्तमान अधिवक्ता के पिता काफी पहले उनके मुकदमों की पैरवी करते थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.ए.सी.एस. तथा बी.आई. दोनों ने अधिवक्ता को उच्च न्यायालय कोलकाता/अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष संस्थानों के मुकदमों हेतु उसके द्वारा एवं/ या अन्य अधिवक्ताओं जिनकी सेवाएँ लेने का उसके द्वारा किये गये पेशी के दावे से संबंधित उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्रों के लिए भुगतान किया। संस्थान भुगतान हेतु विपत्रों का निपटारा करते समय मुकदमों की प्रगति का सत्यापन भी नहीं कर रहे थे। उन मुकदमों के लिए भी भुगतान किए जा रहे थे

जिनका संगठन से कोई संबंध नहीं था। ₹54.93 लाख की राशि के आई.ए.सी.एस. को जारी किए गए 13 विपत्रों तथा बी.आई. को जारी किए गए 12 विपत्रों से संबंधित उच्च न्यायालय कोलकाता से प्राप्त किए गए प्रमाणित दस्तावेजों की जांच से पता चला कि न्यायालय में वास्तविक पेशी के प्रमाण का सत्यापन किए बिना भुगतान हेतु विपत्र पारित कर दिया गया। विस्तृत जांच से पता चला:

- अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए पेशी की 144 तिथियों में, उच्च न्यायालय में उक्त तिथियों को कोई सुनवाई ही नहीं हुई थी;
- पेशी की 144 तिथियों में से 49 तिथि उस तिथि के बाद की थी जिस पर न्यायालय द्वारा संबंधित मुकदमे का निपटारा कर दिया गया था;
- अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए पेशी की 54 तिथियों के लिए बी.आई. द्वारा उस मुकदमे के संबंध में भुगतान किया गया था जो इंस्टीट्यूट से संबद्ध ही नहीं था।
- पेशी की 10 तिथियों में, उच्च न्यायालय के आदेश अधिवक्ताओं की पेशी के बारे में नहीं बताते जिसके लिए विपत्रों का दावा किया गया था; और
- एक मुकदमे में, दो अलग-अलग विपत्रों में अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए एक ही तिथि पर पेशी के लिए दो बार भुगतान किया गया।

उपरोक्त दावों के विवरण **परिशिष्ट VIII** में दिये गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई. (जुलाई 2013) को ध्यान दिलाये जाने पर, आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि विधिक व्यय विपत्र पूर्व लेखापरीक्षा के बिना गलती से भुगतान के लिए जारी किए गए। आई.ए.सी.एस. ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि अधिवक्ताओं के दो अलग-अलग पैनेल एक उच्च न्यायालय एवं दूसरा निचली अदालतों के लिए बनाए गए हैं। बी.आई. ने कहा (मार्च 2014) कि वकालतनामा की एक प्रति ही बनाई गयी थी और अधिवक्ता को न्यायालय में दायर करने के लिए दे दी गयी थी। अधिवक्ता के साथ औपचारिक समझौता के संबंध में, जबकि आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (जून 2014) कि अधिवक्ता के साथ औपचारिक समझौता उपलब्ध नहीं था, बी.आई. ने कहा (जून 2014) कि अधिवक्ता का लगभग 15 से 20 साल पहले से संबद्ध था।

इस प्रकार, आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई. बिना यथोचित परिश्रम किए एक अधिवक्ता की न सिर्फ सेवाएँ ले रहे थे बल्कि पेशी के झूठे दावों के विरुद्ध भुगतान भी कर रहे

थें जिसका परिणाम ₹54.93 लाख के कपटपूर्ण भुगतान के रूप में हुआ। डी.एस.टी. ने कहा (अगस्त 2014) कि लेखापरीक्षा निरीक्षण के बाद अधिवक्ता को आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई., दोनों के पैनल से हटा दिया गया। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि दोनों संस्थानों को अधिक भुगतान की पूर्ति के लिए विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठाने तथा आंतरिक जांच करने व गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने को निर्देशित किया गया है।

फिर भी, तथ्य यह रहा कि यद्यपि इस मामले को शुरुआत में लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु ना ही कोई प्रारंभिक जांच की गई और ना ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया (अगस्त 2014)।

3.2 उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, उपकरणों के प्रतिष्ठापन के लिए समय पर स्थान की पहचान करने में विफल हो गया, स्थान की तैयारी में विलम्ब किया और इस दौरान उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए उपकरण पाँच वर्षों से अधिक के लिए अप्रतिष्ठापित रहे और अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिनकी ₹ 21.17 लाख की अतिरिक्त लागत पर मरम्मत की गई।

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ऊर्जा, पॉलीमर तथा सामग्री के मूल अनुसंधान में लगा है। आई.ए.सी.एस. ने तीन वर्षों की अवधि के लिए नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बी.आर.एन.एस.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा वित्तपोषित ₹1.77 करोड़ की लागत पर 'सी.आर.पी.¹⁹-स्प्रिट्रॉनिक्स सामग्री'-दोहरे पेरोवस्किट आधारित स्प्रिट्रॉनिक्स की तैयारी तथा लक्षण वर्णन' नामक परियोजना आरम्भ की (अगस्त 2006)। कुल संस्वीकृति में से ₹ 1.60 करोड़ की राशि उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित की गई थी।

आई.ए.सी.एस. ने वैश्विक निविदा के बाद जी.बी.पी.²⁰ 1,80,000 की लागत पर अतिरिक्त उपकरणों के साथ पल्स ट्यूब कोल्ड हेड सहित बेसिक 16 टेसला

¹⁹ समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम

²⁰ ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग

सी.एफ.एम.²¹ की खरीद के लिए यू.के. की एक फर्म को आपूर्ति आदेश दिया (मार्च 2007)। परियोजना प्रभारी ने सूचित किया (19.08.2007) कि आदेशित उपकरण माप प्रणालियों²² के अभाव में बेकार होगा और अतिरिक्त उपकरण के लिए सुमेलन निधियां अनुमोदित करने का निदेशक, को अनुरोध किया। परिणामतः आई.ए.सी.एस. ने किसी निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के बिना जी.बी.पी. 1,85,000 की लागत पर 'डी.सी. प्रतिरोधकता तथा हाल इफेक्ट सिस्टम इलैक्ट्रानिक्स, सॉफ्टवेयर, मल्टीस्केनिंग सुविधा' की खरीद हेतु उसी पूर्तिकार को एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया (20.08.2007)।

दोनों उपकरण अक्टूबर 2008²³ में आई.ए.सी.एस. द्वारा प्राप्त किए गए और आई.ए.सी.एस. ने खरीद हेतु ₹ 3.40 करोड़ व्यय किया था। संरचनात्मक सुधार करने के बाद आई.ए.सी.एस. परिसर में एक पुराने भवन में उन्हें प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था (फरवरी 2008)। परियोजना प्रभारी ने इस दौरान आई.ए.सी.एस. से त्याग पत्र दे दिया (दिसंबर 2008)। हालांकि नवंबर 2009 में परियोजना का एक नया प्रभारी अनुमत हो गया, उपकरण के लिए स्थान तैयार न होने के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। इसी बीच परियोजना औपचारिक रूप से बंद घोषित की गई थी (अगस्त 2009)।

स्थान की उपलब्धता लम्बित रहते हुए, उपकरण को एक अस्थायी ढांचे में तारपालिन से ढककर भण्डार किया गया। स्थान अन्ततः अक्टूबर 2010 में तैयार किया गया था परन्तु तब तक दो वर्ष के अनुचित भण्डारण तथा नमी के लम्बे प्रभाव के कारण मुख्य उपकरण को जंग लग गई और वह क्षतिग्रस्त हो गया था। उपकरण के निरीक्षण के बाद पूर्तिकार ने मरम्मत हेतु क्षतिग्रस्त उपकरण को वापस करने का आई.ए.सी.एस. से अनुरोध किया (नवम्बर 2011)। उपकरण केवल अगस्त 2012 में पूर्तिकार को सुपुर्द किया गया था और मरम्मत किया गया उपकरण मई 2013 में वापस प्राप्त हुआ था। आई.ए.सी.एस. ने मरम्मत पर ₹ 21.17 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। दूसरा उपकरण मापन प्रणाली के साथ तथापि, उसकी प्राप्ति से पैक अवस्था में रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.ए.सी.एस. ने उपकरण प्रतिष्ठापन की योजना अग्रिम में नहीं बनाई। उपकरण के प्रतिष्ठापन के स्थान की पहचान आपूर्ति आदेश

²¹ क्रयाजोन मुक्त माप

²² कक्षा माप प्रणाली के साथ एसी/डीसी प्रतिरोधकता, वीएसएम+एसी संग्राहकता ढांचा, उच्च ताप के लिए विशेष ताप माप तापक

²³ आई.ए.सी.एस. ने उक्त उपकरण की सुपुर्दगी की अनुसूची के लिए कोई खण्ड नहीं लगाया और पूर्तिकार ने अक्टूबर 2008 में, अर्थात् 19 तथा 14 माह बीत जाने के बाद दोनों उपकरण सुपुर्द किए।

देने के लगभग एक वर्ष बाद फरवरी 2008 में की गई थी। स्थान तैयार करने में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था। आई.ए.सी.एस. इस बीच की अवधि में उपकरण का उचित भण्डार करने में भी विफल रहा जिसके कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया। परिणामस्वरूप, उपकरण का मार्च 2014 तक प्रतिष्ठापन नहीं हुआ।

आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि वह आरम्भ में पर्याप्त उपलब्ध प्रयोगशाला स्थान की पहचान करने में असमर्थ था। तथापि स्थान की तैयारी के विलम्ब के मामले पर आई.ए.सी.एस. ने कुछ नहीं कहा। आई.ए.सी.एस. ने यह भी स्वीकार किया कि कथित उपकरण परियोजना, जो पूर्ण नहीं हो सकी, के भाग के रूप में अपेक्षित था। आई.ए.सी.एस. ने आगे बताया कि परियोजना का उद्देश्य सहयोगी प्रयासों के माध्यम से अन्यत्र समान सुविधाओं के अभिगम द्वारा अधिकतर पूर्ण किया गया था।

इस प्रकार समय पर स्थान की पहचान करने की विफलता, स्थान तैयारी में विलम्ब और उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में लापरवाही के परिणामस्वरूप पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 3.40 करोड़ का महंगा उपकरण निष्क्रिय रहा जो अन्य अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था। अनुचित भण्डारण के कारण हानि के परिणामस्वरूप उपकरण की मरम्मत पर ₹21.17 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

डी.एस.टी. ने जहां स्वीकार किया (जुलाई 2014) कि समय से स्थल की पहचान करने में विफलता थी और स्थल तैयार करने में देरी हुई थी, इसने कहा कि उपकरण को नुकसान एक साइक्लोन के कारण हुआ था जो अनपेक्षित था। डी.एस.टी. ने यह भी कहा कि आई.ए.सी.एस. स्थान की तीव्र कमी के कारण भवन के अंदर उपकरण को रखने में असमर्थ था। यह उत्तर लेखापरीक्षा के इस निरीक्षण का समर्थन करता है कि संस्थान द्वारा स्थान की कमी का सामना करने को देखते हुए महंगे आयातित उपकरण के स्थापन के लिए स्थल की अग्रिम योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी।



अध्याय-IV

अंतरिक्ष विभाग

4.1 एस.आर.ई. 2-मिशन की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब

अन्तरिक्ष विभाग का अंतरिक्ष कैपसूल रिकवरी प्रयोग-2 मिशन का प्रक्षेपण, जो आरम्भ में अगस्त 2008 के लिए नियत था, 5 वर्षों से अधिक से विलम्बित था। इसके परिणाम स्वरूप मिशन के लिए खरीदे गए पैराशूट तथा फ्लोट्स की अवधि समाप्ति के कारण ₹ 52 लाख का निष्फल व्यय और मिशन पर ₹ 30.66 करोड़ का व्यय करने के बावजूद मिशन के उद्देश्य मार्च 2014 तक अप्राप्त रहे।

अंतरिक्ष कैपसूल रिकवरी प्रयोग (एस.आर.ई.) अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की परियोजना है जो अंतरिक्ष कैपसूल के पुनः प्रवेश और प्राप्ति की कुछ प्रमुख तकनीकों का प्रदर्शन करती है तथा सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों हेतु प्लेटफार्म प्रदान करता है। प्रायोगिक सैटलाइट एस.आर.ई.-1 जनवरी 2007 में छोड़ा गया था। इसके बाद एस.आर.ई.-2 मिशन छोड़ा जाना था जो ₹ 30 करोड़ की लागत पर अन्तरिक्ष आयोग द्वारा पहले (नवम्बर 2005) अनुमोदित किया गया था। परियोजना की योजित अवधि 18 माह अर्थात् अगस्त 2008 तक थी। एस.आर.ई.-2 मिशन का मुख्य उद्देश्य सामग्री तथा जीवन विज्ञान के क्षेत्र में सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग और कैपसूल के नोज कैप क्षेत्र में स्वदेश विकसित उन्नत कार्बन-कार्बन थर्मल सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करना था।



एस.आर.ई. कैपसूल

एस.आर.ई.-2 कैपसूल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.), उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी डी.ओ.एस की एक इकाई द्वारा छोड़ा जाना था। कैपसूल की ताप सुरक्षा प्रणाली के विकास में तकनीकी मामलों के कारण वी.एस.एस.सी. ने विदेश से मदों की खरीद करने का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2010)। वी.एस.एस.सी. के प्रस्ताव के आधार पर परियोजना लागत संशोधित कर ₹ 42 करोड़ की गई थी (अक्टूबर 2010) और प्रक्षेपण समय मध्य 2011 तक बढ़ाया गया। मार्च 2013 तक परियोजना पर ₹ 30.66 करोड़ खर्च किया गया था। जैव रिएक्टर पे लोड, प्रक्षेपण रिकवरी परिचालन

प्रभारों तथा खरीद आदेशों पर विविध शेष भुगतान और आकस्मिक खर्चों पर शेष भुगतान के प्रति व्यय पूरा करने के लिए ₹ 11.34 करोड़ और अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 2011 में एक प्रक्षेपण वाहन उपलब्ध था, परन्तु एस.आर.ई.-2 मिशन पूरा नहीं किया गया क्योंकि एस.आर.ई.-2 कैपसूल कार्बन-कार्बन नोज कैप की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं था। प्रक्षेपण वाहन अन्य भारतीय तथा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण (2011) के लिए उपयोग किया गया था। एस.आर.ई.-2 मिशन का प्रक्षेपण समय जून 2014 तक टाल दिया गया था।

परियोजना के प्रक्षेपण समय के स्थगन के परिणामस्वरूप ₹ 30.66 करोड़ का व्यय करने के बाद मिशन की प्राप्ति में पांच वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारण मिशन उपभोज्यों की अवधि समाप्ति के कारण निष्फल व्यय हुआ जैसा नीचे चर्चा की गई है:

पैराशूट तथा फ्लोट्स की खरीद में निष्फल व्यय

अंतरिक्ष कैपसूल अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए अन्तरिक्ष में होना था जिसके दौरान सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किए जाने थे। उसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाया जाना था और अन्ततः समुद्र से प्राप्त किया जाना था। पृथ्वी के वातावरण में इसके वापस आने पर समुद्र में गिराने के लिए एक पैराशूट तथा प्लवन प्रणाली का उपयोग किया जाना था।



अंतरिक्ष कैपसूल का पुनःप्रवेश

वी.एस.एस.सी. ने ₹52 लाख की कुल लागत पर एस.आर.ई.-2 मिशन के लिए पैराशूटों तथा फ्लोट्स की आपूर्ति के लिए एरियल डिलवरी रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई) आगरा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया (मार्च 2008)। एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार कुल मूल्य का 50 प्रतिशत एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में और शेष का उड़ान तैयारी समीक्षा (एफ.आर.आर.) के बाद भुगतान किया जाना था। एम.ओ.यू. के हस्ताक्षर पर ₹26 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया (मार्च 2008) था। वी.एस.एस.सी. ने फ्लोट के छः सेट तथा पैराशूट के चार सेट प्राप्त किए (2009) और एफ.आर.आर. करने के बाद ₹26 लाख का शेष भुगतान कर दिया (मार्च 2010)।



इसी बीच फ्लोट तथा पैराशूटों का शेल्फ कार्यकाल क्रमशः अक्टूबर 2012 तथा नवम्बर 2013 में समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप पैराशूटों तथा फ्लोट पर वी.एस.एस.सी. द्वारा किया गया ₹ 52 लाख का खर्च व्यर्थ हो गया। डी.ओ.एस ने स्वीकार किया (अप्रैल 2014) कि सामग्री मिशन में प्रयोग नहीं की जाएगी।

समुद्र से अंतरिक्ष कैप्सूल की पुनर्प्राप्ति

इस प्रकार एस.आर.ई.-2 मिशन के प्रक्षेपण समय के स्थगन के परिणामस्वरूप ₹ 30.66 करोड़ का व्यय करने के बाद भी मिशन प्राप्ति में पांच वर्षों का विलम्ब हुआ। पैराशूट और फ्लोट, जो ₹ 52 लाख में खरीदे गए थे, अवधि पार हो गए और अन्ततः प्रयोग में नहीं लाए गए जिसके कारण व्यर्थ व्यय हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (अप्रैल 2013) कि परियोजनाओं की वित्तीय संस्वीकृति के लिए दिया गया समय सांकेतिक समय था और प्रचालन अनुसूची अन्य अन्त प्रयोक्ताओं के साथ अनुबन्धों और राष्ट्रीय प्रथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। डी.ओ.एस. ने आगे बताया कि वर्ष 2011 में यद्यपि पी.एस.एल.वी. वाहन की पहचान की गई थी और एस.आर.ई.-2 मिशन के प्रक्षेपण हेतु उपलब्ध था परन्तु देशी कार्बन-कार्बन ताप सुरक्षा प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण, कैप्सूल प्रक्षेपण हेतु तैयार नहीं था।

उत्तर उपग्रहों के प्रक्षेपण की वित्तीय तथा परिचालन योजना के बीच बेमेल होना दर्शाता है जो मिशन पेलोड के शेल्फ कार्यकाल के समग्र संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वी.एस.एस.सी./डी.ओ.एस. के उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से भी देखा जाय कि इसके देशी रूप में विकास की असमर्थता के कारण विदेश से कार्बन-कार्बन नोज कैप की खरीद का निर्णय काफी पहले सितम्बर 2010 में लिया गया था। तथापि अप्रैल 2014 तक वी.एस.एस.सी. नोज कैप प्राप्त करने में असमर्थ था। इसके अलावा मार्च 2014 तक एस.आर.ई.-2 की उड़ान इकाईयां संयोजित नहीं की गई थी। एकीकृत इलैक्ट्रॉनिक पैकेजों की जांच, जो अनुसूचित उड़ान से एक वर्ष पहले की जानी प्रस्तावित थी, भी आरम्भ नहीं की गई थी।

इस प्रकार, एस.आर.ई.-2 मिशन में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ था और प्रक्षेपण अनुसूची मार्च 2014 तक भी निश्चित नहीं हुई थी जिसके कारण ₹ 30.66 करोड़ का

व्यय करने एवं मिशन उपभोज्यों की अवधि समाप्ति के कारण ₹ 52 लाख का निष्फल व्यय होने के बावजूद पांच वर्षों से अधिक समय से मिशन के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

4.2 उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि

उपग्रह सेवाओं के सभी प्रयोक्ताओं को प्रभारित करने में भारत सरकार के निर्णय के उल्लंघन में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, अन्तरिक्ष विभाग ने आंध्रप्रदेश सरकार को निःशुल्क संचार उपग्रह क्षमता उपलब्ध कराई जिसके परिणामस्वरूप ₹19.16 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) का मूल उद्देश्य अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रयोग प्रोत्साहित करना है। इसरो द्वारा परिचालनीकृत प्रमुख उपग्रह प्रणालियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) है जो विभिन्न संचार सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आरम्भ में इनसैट प्रणाली पर सरकारी प्रयोक्ताओं को सैटलाइट क्षमता मुफ्त दी जा रही थी। वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के निर्देश के आधार पर इनसैट समन्वय समिति (आई.सी.सी.)²⁴ ने सिफारिश की (जनवरी 2002) कि सरकारी प्रयोक्ताओं सहित इनसैट प्रणाली के सभी प्रयोक्ताओं को सैटलाइट क्षमता के आवंटन हेतु प्रभारित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजना हेतु गठित स्थाई समिति ने ₹ 2.50 करोड़ प्रति ट्रांसपॉंडर²⁵ प्रति वर्ष की निम्नतम तल दर निर्धारित की (जुलाई 2002)।

दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडीसिन, कृषि विस्तार, ई-गवर्नेंस, स्वसहायता समूहों, विपणन तथा मानव संसाधन विकास, सामुदायिक इंटरनेट केन्द्रों आदि क्षेत्रों में सैटलाइट आधारित संचार के उपयोग को बढ़ाने के लिए इनसैट प्रणाली की के यू बैण्ड सैटलाइट क्षमता का उपयोग कर आंध्रप्रदेश राज्य के अन्दर सैटलाइट आधारित संचार की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इसरो ने आंध्रप्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया (जुलाई 2000)। इसरो तथा जी.ओ.ए.पी. को एक साथ सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करनी थी और एक साथ काम करने के लिए निर्णायक अनुबन्ध पर पहुंचना था। एम.ओ.यू. आपसी सहमति के अनुसार की अवधि के लिए नवीकरण के प्रावधान के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध था।

²⁴ इनसैट समन्वय समिति, इनसैट प्रणाली के संचार उपग्रह क्षमता के समन्वय योजना एवं आवंटन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा बनाई गई एक अन्तर विभागीय समन्वय प्रणाली है।

²⁵ एक ट्रांसपॉंडर 36 मेगाहर्ट्ज बैंडविथ के बराबर है।

एम.ओ.यू. दो बार (जुलाई 2003 तथा अगस्त 2006) तीन-तीन वर्ष के लिए अर्थात् अगस्त 2009 तक आगे नवीकृत किया गया था।

एम.ओ.यू. के अनुसार इसरो पर विशेषज्ञता तथा अनुभव बांटकर और तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता देकर तीन वर्षों की अवधि के लिए इनसैट प्रणाली में अपेक्षित केयू बैंड प्रदान करने का उत्तरदायित्व था। तदनुसार इसरो ने अपने सैटलाइट इनसैट-3बी से जी.ओ.ए.पी. को 29 मेगाहर्ट्ज की सैटलाइट क्षमता आवंटित की (2000) और सैपनेट-माना टीवी²⁶ नामक सेवाएं परिचालन में आ गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जी.ओ.ए.पी. के साथ एम.ओ.यू. अगस्त 2009 में समाप्त हो गया परन्तु इसरो ने सैपनेट सेवाओं के लिए इनसैट क्षमता देना जारी रखा। इसके अलावा इनसैट-3बी के कक्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर इसरो ने जी.ओ.ए.पी. को देने के लिए जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक विदेशी सैटलाइट एन.एस.एस.-12²⁷ से 13 मेगाहर्ट्ज उपग्रह क्षमता किराए पर ली (जून 2010) और ट्रांसपॉंडर किराया प्रभारों के रूप में

₹4.02 करोड़ का व्यय किया। अपने स्वयं के सैटलाइट जीसैट 8 (मई 2011) के छोड़े जाने के बाद इसरो ने बाद में विदेशी सैटलाइट क्षमता को खाली कर दिया और जीसैट 8 पर 17 मेगाहर्ट्ज क्षमता आवंटित की (अप्रैल 2012)।



सैपनेट-माना टीवी के लिए सैटलाइट क्षमता के आवंटन में घटनाओं का क्रम:

दिनांक	घटना
जुलाई 2000	दूरस्थ शिक्षा, टेली मेडिसिन, कृषि विस्तार, ई-गवर्नेंस, स्वसहायता समूह, विपणन तथा मानव संसाधन विकास, सामुदायिक इंटरनेट केन्द्रों आदि के क्षेत्रों में इनसैट प्रणाली की केयू बैंड उपग्रह क्षमता का उपयोग कर आंध्र प्रदेश राज्य के अन्दर उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा आंध्रप्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी.) के बीच समझौता ज्ञापन हुआ
2000	इसरो ने अपने सैटलाइट इनसैट-3बी से जीओएपी को 29 मेगाहर्ट्ज उपग्रह क्षमता आवंटित की और सैपनेट-माना टीवी नामक सेवाएं परिचालन में आ गईं।

²⁶ आंध्र प्रदेश सोसाइटी नेटवर्क, जो माना टीवी सेवाएं देने के लिए जी.ओ.ए.पी. द्वारा वित्त पोषित, अलाभ सोसाइटी के रूप में निबंधित हुई थी (मार्च 2003)

²⁷ न्यू स्काईज सेटलाइट्स, जिसके मुख्यालय नीडरलैंड्स/अमेरिका में हैं और जिसका अब नाम एस.ई.एस. वर्ल्ड स्काईज है।

जनवरी 2002	वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के निर्देश के आधार पर इनसैट समन्वय समिति (आई.सी.सी.) ने सिफारिश की कि सरकारी प्रयोक्ताओं सहित इनसैट प्रणाली के सभी प्रयोक्ताओं को इसरो/डी.ओ.एस. द्वारा सैटलाइट क्षमता आवंटन हेतु प्रसारित किया जाना चाहिए।
जुलाई 2002	इस प्रयोजन हेतु गठित स्थाई समिति ने ₹ 2.50 करोड़ प्रति ट्रांसपॉंडर प्रति वर्ष की निम्नतम तल दर निर्धारित की ।
जुलाई 2003	एम.ओ.यू. तीन वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया गया।
अगस्त 2006	एम.ओ.यू. तीन वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया गया।
अगस्त 2009	इसरो तथा जी.ओ.ए.पी. के बीच एम.ओ.यू. समाप्त हो गया।
जून 2010	इसरो ने जी.ओ.ए.पी. के लिए जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक के लिए विदेशी सैटलाइट जीसैट एनएसएस-12 से उपग्रह क्षमता किराये पर ली।
मई 2011	जीसैट 8 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया।
अप्रैल 2012	इसरो ने एन.एस.एस 12 में क्षमता खाली कर दी और सैपनेट को जीसैट 8 पर 17 मेगाहर्ट्ज क्षमता आवंटित की।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पहले एम.ओ.यू की समाप्ति (जुलाई 2003) के बाद यद्यपि इसरो ने जी.ओ.ए.पी. के साथ एम.ओ.यू का प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दो बार अर्थात् अगस्त 2009 तक नवीकरण किया परन्तु उन्होंने आवंटित सैटलाइट क्षमता के लिए जी.ओ.ए.पी. से कोई प्रभार नहीं लिया। एम.ओ.यू की समाप्ति के बावजूद, इसरो ने अगस्त 2009 के बाद भी, विदेश से क्षमता किराए पर लेकर और उसके लिए प्रभार खर्च करके भी जी.ओ.ए.पी. को निःशुल्क सैटलाइट क्षमता प्रदान करना जारी रखा। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इसरो ने जी.ओ.ए.पी. के साथ एक सुस्पष्ट समझौता भी नहीं किया जैसा आरम्भिक एम.ओ.यू में परिकल्पित किया गया था।

डी.ओ.एस. नीति के उल्लंघन में जी.ओ.ए.पी. को मुफ्त सैटलाइट क्षमता आवंटन के परिणामस्वरूप जुलाई 2003 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए विदेशी सैटलाइट मालिक को प्रदत्त ₹ 4.02 करोड़ सहित ₹19.16 करोड़²⁸ की हानि हुई।

²⁸ 25 जुलाई 2003 से 30 जून 2010 (इनसैट 3 बी पर 29 मेगाहर्ट्ज) एवं 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 (जीसैट 8 पर 17 मेगाहर्ट्ज) की अवधि में ₹ 2.5 करोड़ प्रति ट्रांसपॉंडर प्रति वर्ष की दर से एवं 01 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2012 (एन एस एस-12 पर 12 मेगाहर्ट्ज) की अवधि के लिए विदेशी उपग्रह मालिक को दिए गए 4.02 करोड़ जोड़कर गणना की गई।

इसरो ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि सैटलाइट क्षमता सामाजिक कार्यक्रमों जैसे दूर शिक्षा, दूर स्वास्थ्य तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के सहयोग से विकसित संचार नेटवर्क के लिए आवंटित की गई थी और बताया कि आई.सी.सी. का निर्णय बी.एस.एन.एल.²⁹, दूरदर्शन आदि जैसे राजस्व अर्जन वाले विभागों से प्रभार करना था। इस स्थिति को दोहराते हुए डी.ओ.एस. ने आगे बताया (मई 2014) कि जी.ओ.ए.पी. द्वारा शिक्षण प्रयोजन हेतु एपनेट का उपयोग मुफ्त बैंडविड्थ हस्तान्तरण द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों की सहायता के लिए, जैसा अन्य राज्यों में अपनाया जा रहा है, डी.ओ.एस/इसरो के अभिगम के अनुरूप था।

इसरो/डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का निर्णय सरकारी विभागों/सामाजिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रयोक्ताओं से सैटलाइट क्षमता का प्रभार करना था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इसरो ने अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी गैर वाणिज्यिक विभागों, जैसे रक्षा मंत्रालय से 2008-11 के दौरान इनसैट 3ई सैटलाइट पर सी बैंड क्षमता के 4 मेगाहर्ट्ज के पट्टे के लिए ₹ 3.39 करोड़ प्रति ट्रांसपोंडर प्रति वर्ष की दर पर और छत्तीसगढ़ सरकार से 2009-11 के दौरान इनसैट 4 सीआर सैटलाइट पर 4 मेगाहर्ट्ज केयू बैंड क्षमता के पट्टे के लिए ₹ 5.44 करोड़ प्रति ट्रांसपोंडर प्रति वर्ष की दर पर सैटलाइट क्षमता प्रभार संग्रहीत किए थे। इसके अलावा सैपनेट भी भुगतान के आधार पर अपनी कुछ सेवाएं देने के द्वारा राजस्व अर्जन कर रहा था।

इस प्रकार जी.ओ.ए.पी. को मुफ्त सैटलाइट क्षमता देना न केवल सरकार के निर्णय का उल्लंघन था बल्कि सैटलाइट क्षमता के आवंटन उचितता के सिद्धान्त, समानता व्यवहार और उद्देश्यता के भी प्रतिकूल था। सरकारी निर्णय की अननुकूलता के परिणामस्वरूप इसरो को ₹ 19.16 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

4.3 गलत ठेका प्रबन्धन के कारण परिहार्य व्यय

इसरो सैटलाइट सेंटर, बंगलुरु ने विरचना कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समयावधि का उल्लेख किए बिना हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए दो विरचना ठेकों में मूल्य वृद्धि खण्ड शामिल किए। इसके अलावा ठेकों के हस्ताक्षर की तारीख से तीन वर्ष बाद इन्होंने कार्य-विस्तार बदले बिना श्रम घंटों की निर्धारित उपरी सीमा बढ़ाने के द्वारा ठेके संशोधित किए। गलत ठेका प्रबन्धन के परिणामस्वरूप ₹4.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

²⁹ भारत संचार निगम लिमिटेड

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अधीन इसरो सैटलाइट सेंटर बंगलुरु (आई.एस.ए.सी) सैटलाइट प्रणालियों के संप्रत्ययीकरण, डिजाइन, विरचना, जांच, एकीकरण तथा कक्षा में चालू करने के लिए उत्तरदायी है।

इसरो कार्यक्रमों के सहयोगी प्रयासों के भाग के रूप में इसरो ने एच.ए.एल. की तकनीकी श्रमशक्ति की सहायता से जिओसैट³⁰/आई.आर.एस.³¹ अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित संरचनात्मक संयोजनों के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) स्थित एयरो स्पेस डिवीजन (ए.एस.डी.) नामक समर्पित सुविधा की स्थापना की (मई 1983)।



इनसैट 4सी की विरचना

आई.एस.ए.सी. ने ब्रेकेट तथा विविध संघटकों के साथ जिओसैट अन्तरिक्ष विमान कार्यक्रम के लिए तीन प्रकार के 10 संरचनात्मक अन्तिम संयोजनों और आई.आर.एस. अन्तरिक्ष

विमान कार्यक्रम के लिए पांच प्रकार के 16 संरचनात्मक संयोजनों के विरचना के लिए एच.ए.एल. से दो अनुबंध किए (मार्च 2004)। दोनो विरचना अनुबंध, संपूर्ण विरचना कार्य को शामिल करते हुए प्रत्येक हेतु 60,000 श्रम घंटों की उपरी सीमा निर्धारित करते थे। श्रम घंटा दर ₹ 700 पर निर्धारित की गई थी जो 2005-06 तक स्थिर रहेगी और उसके बाद पूर्व वर्ष को लागू दर के सात प्रतिशत की वृद्धि के अध्यधीन होगी। दोनों ठेकों की वैधता चार वर्षों के लिए यानि मार्च 2008 अथवा संरचनाओं की पूर्णता तक, जो भी बाद में हो, के लिए थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.एस.ए.सी. ने ठेकों में संरचनात्मक संयोजनों के वार्षिक सुपुर्दगी योग्यों का उल्लेख नहीं किया बल्कि सुपुर्दगी अवधि अपूर्ण छोड़ दी। यद्यपि ठेके के अनुसार, आपसी सहमति से सुपुर्दगी अनुसूची समय-समय पर तैयार की जानी थी, तथापि कार्य-विस्तार तथा सुपुर्दगी अनुसूचियों का उल्लेख करते हुए कार्य आदेश एच.ए.एल. को जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ठेकों को हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने के बाद आई.एस.ए.सी. ने निश्चित तथा निर्धारित ठेकों के अन्तर्गत कार्य-

³⁰ जिओ स्टेशनरी सैटलाइट (जिओसैट)

³¹ इण्डियन रिमोट सेंसिंग (आईआरएस)

विस्तार में कोई तदनुरूपी वृद्धि किए बिना जिओसैट तथा आई.आर.एस. ठेकों में ठेकागत श्रम घंटों की उपरी सीमा बढ़ाकर क्रमशः 95,000 घंटे तथा 75,000 घंटे करते हुए दोनो ठेके संशोधित किए (मार्च 2007)।

एच.ए.एल. ने 94,941.31 श्रम घंटे लिखने के बाद मई 2004 तथा फरवरी 2010 के बीच जिओसैट ठेका के अन्तर्गत अन्तिम संयोजन सुपुर्द किए और 74,145.39 श्रम घंटे लिखने के बाद अक्टूबर 2004 तथा दिसम्बर 2011 के बीच आई.आर.एस. ठेका के अंतर्गत सुपुर्दगियां सुपुर्द किया। दोनो ठेकों के अन्तर्गत एच.ए.एल. को कुल ₹12.58 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसमें से ₹4.13 करोड़ ठेकागत श्रमघंटों में वृद्धि के कारण था। इसके अलावा जिओसैट तथा आई.आर.एस. ठेकों को पूर्ण करने में क्रमशः लगभग दो वर्ष तथा तीन वर्ष के विलम्ब के बावजूद एच.ए.एल. को श्रम घंटा वृद्धि खण्ड के कारण ₹ 21.58 लाख की मात्रा का लाभ दिया गया था। दोनों ठेकों के लिए श्रम घंटों, वृद्धि दरों सहित दरों के ब्यौरे *परिशिष्ट IX* में दिए गए हैं।

इस प्रकार 2005-06 से आगे श्रम घंटा दर बढ़ाने के लिए ठेकों में वृद्धि खण्ड समाविष्ट करने के साथ-साथ सुपुर्दगी अवधि अपूर्ण छोड़कर आई.एस.ए.सी. ने कार्यों के समापन में विलम्ब के बाद भी बढ़ाई गई श्रम घंटा दर पर भुगतान करने के वादे द्वारा एच.ए.एल. को लाभ पहुँचाया। यह सामान्य वित्तीय नियमों³² के उल्लंघन में भी था।

आई.एस.ए.सी. ने स्वीकार किया (जुलाई 2009) कि कार्य-विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और बताया कि श्रम घंटों में वृद्धि एच.ए.एल. में कार्य की भागीदारी बढ़ाने और ठेकों के बेहतर प्रबन्धन को सुगम बनाने के लिए शामिल की गई थी। डी.ओ.एस. ने जोड़ा (जून 2014) कि कुछ संघटकों को बांधने का कार्य एच.ए.एल. को अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया गया था। तथापि यह संशोधित अनुबन्ध में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि कार्य में वृद्धि एच.ए.एल. को दि गई संशोधित ड्राइंग के माध्यम से प्रतिविम्बित किया गया था। डी.ओ.एस. ने आगे बताया (जून 2014) कि ठेकेदार को कोई लाभ नहीं हुआ था क्योंकि प्रत्येक संघटक के विरचना के लिए दर्ज श्रम घंटे और संरचनाओं की सुपुर्दगी अनुसूची आई.एस.ए.सी. द्वारा प्रमाणित किए गए थे। श्रम घंटा दरों की वृद्धि के संबंध में आई.एस.ए.सी. सहमत था (जुलाई 2014) कि विभेदक राशि की एच.ए.एल. से वसूली की जाएगी।

³² सामान्य वित्तीय नियमों (जेनरल फाइनेन्शियल रूल्स) का नियम 204 बताता है कि अनुबंध की शर्तें सटीक, पक्के तथा साफ होने चाहिए। यह भी बताता है कि जहाँ मूल्य वृद्धि खण्ड शामिल किया जाये, वहाँ सहमत हुए मूल्य मौलिक दर का भी उल्लेख होना चाहिए जैसे, माह और वर्ष जिससे मूल्य संबंधित है, ताकी उस माह एवं वर्ष से संदर्भ ले कर मूल्य परिवर्तन कि गणना कि जा सके।

श्रम घंटों की वृद्धि से सम्बन्धित डी.ओ.एस. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकों में आरम्भ में निर्धारित श्रम घंटों की सीमा ठेकों के अधीन सम्पूर्ण विरचना कार्य के लिए थी और एच.ए.एल. के कार्य की भागीदारी में और वृद्धि ठेके के संशोधन के उचित प्रकार से सम्मिलित की जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया था। उत्तर को इस संदर्भ में भी देखे जाने की आवश्यकता है कि ठेकों में वृद्धि के लिए सम्मिलित प्रावधान निश्चित सुपर्दगी अवधि नहीं रखते थे और समीक्षा की अवधि का उल्लेख किए बिना प्रभारों की समीक्षा गलत ठेका प्रबन्धन प्रतिविम्बित करता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन भी था।

इस प्रकार, आई.एस.ए.सी. द्वारा त्रुटिपूर्ण ठेका प्रबन्धन के परिणामस्वरूप दो विरचना ठेकों के अन्तर्गत ₹4.35 करोड़ का अपरिहार्य व्यय हुआ।

4.4 संघटकों के क्रय पर निष्फल व्यय

परियोजना में उपयोग हेतु सॉलिड स्टेट स्विचों की आवश्यकता उचित प्रकार निर्धारित करने में इसरो सैटेलाइट सेंटर विफल हो गया। स्विच परियोजना में अन्ततः उपयोग नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी खरीद पर किया गया ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

इसरो सैटेलाइट सेंटर (आई.एस.ए.सी.), अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की एक इकाई, ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशनल सैटेलाइट प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) परियोजना में स्विचों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक विक्रेता विकसित करने के उद्देश्य से मालिकाना आधार पर एस.आई 2 माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड से एस.आई. 2-124 सॉलिड स्टेट स्विचों की खरीद के लिए एक खरीद मांग पत्र जारी किया (नवम्बर 2007)। खरीद आदेश ₹ 1.60 करोड़ की कुल लागत पर 30 नग 42 वोल्टेज तथा 20 नग 70 वोल्टेज साधन सहित 50 सॉलिड स्टेट स्विचों की डिजाइन तथा विकास के लिए फर्म को दिया गया (अक्टूबर 2008)। फर्म से आई.एस.ए.सी. द्वारा निर्वाधन के लिए चार से पांच माह के अन्दर प्रोटोटाइप स्विचों और उसके बाद खरीद आदेश से छः से आठ माह के अन्दर अर्थात् अप्रैल/जून 2009 तक उत्पादन यूनिटों की आपूर्ति की अपेक्षा की गई थी।

पूर्तिकार ने तकनीकी कारणों का उल्लेख कर समय वृद्धि की मांग की और प्रोटोटाइप के जांच जुगत तथा जांच परिणमों के साथ उत्पादन अनुमोदन हेतु 42 वोल्टेज तथा 70 वोल्टेज साधन प्रत्येक के दो प्रोटोटाइप की आपूर्ति की (जनवरी 2010)। आई.एस.ए.सी. ने जांच जुगत में सुधार के लिए कुछ सिफारिशों के साथ बैच उत्पादन

हेतु प्रोटोटाइप का निर्बाधन किया (फरवरी 2010)। तथापि पूर्तिकार ने संयोजित स्विचों की सुपुर्दगी हेतु जून 2010 तक और समय वृद्धि का अनुरोध किया और बाद में जून तथा जुलाई 2010 में क्रमशः 42 वोल्टेज के 23 स्विचों और 70 वोल्टेज के 19 स्विचों की आपूर्ति की। यह वृद्धि कोई नष्ट हर्जाना लगाए बिना दी गई थी।

जुलाई 2010 में पूर्तिकार ने शेष साधनों के निर्माण में लाने वाले समय के कारण पैकेजों की आपूर्ति हेतु समय वृद्धि अथवा नहीं तो आदेश को वहीं समाप्त करने का फिर अनुरोध किया। आई.एस.ए.सी. ने आदेश को समय से पहले समाप्त करने की सिफारिश की (अगस्त 2010) और पूर्तिकार को ₹ 1.47 करोड़ का भुगतान कर दिया। आई.एस.ए.सी. ने यह कहते हुए आदेश को समयपूर्व समाप्ति को उचित ठहराया (फरवरी 2013) कि आई.आर.एन.एस.एस. परियोजना के लिए खरीदे गए सॉलिड स्टेट स्विचों को उपयोग न करने का निर्णय ले लिया गया था और इसके स्थान पर पारम्परिक पैकेज उपयोग किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.एस.ए.सी. ने विक्रेता के पहचान और चयन के लिए उचित सचेतना प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। यद्यपि आई.एस.ए.सी. को भारत में इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाले चार हाईब्रिड सर्किट विनिर्माताओं की विद्यमानता की जानकारी थी परन्तु निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना और आंतरिक विचार विमर्श, जिस पर स्विचों की खरीद के लिए समय-समय पर निर्णय लिया गया था, दर्ज किए बिना मालिकाना आधार पर इसने एस.आई 2 माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड का चयन किया। इसके अलावा परियोजना में स्विचों का उपयोग न करने के आधार पर आदेश की समय पूर्व समाप्ति, मांगपत्र में दिए गए औचित्य के प्रतिकूल थी, जो उसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि यद्यपि आई.एस.ए.सी. ने काफी पहले जनवरी 2010 में पारम्परिक पैकेज का उपयोग करने का निर्णय ले लिया था, इसने फरवरी 2010 में बैच उत्पादन हेतु प्रोटोटाइप का निर्बाधन किया और ₹ 1.47 करोड़ की लागत दर 42 स्विचों की प्राप्ति स्वीकार की।

उचित प्रक्रिया अपनाए बिना विक्रेता के चयन और आई.आर.एन.एस.एस. में स्विचों का उपयोग न करने के निर्णय के बाद प्रोटोटाइप के अविवेकी निर्बाधन के परिणामस्वरूप अभिप्रेत प्रयोजन हेतु स्विचों का उपयोग नहीं हुआ और ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा वैकल्पिक देशज विक्रेता, जैसी परिकल्पना की गई, विकसित नहीं किया जा सका।

आई.एस.ए.सी ने बताया (जून 2013) कि उन्होंने इन साधनों में से कुछ का हीटर ड्राइवर्स के इंजीनियरी माडल विकास में उपयोग किया था और निष्पादन संतोषजनक था। उन्होंने आगे बताया कि आई.एस.ए.सी. ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और

प्रौद्योगिकीय चुनौतियां प्राप्त की थीं और वैकल्पिक देशी विक्रेता का विकास किया था। यह स्वीकार करते हुए कि विक्रेता द्वारा झेली गई तकनीकी समस्याओं के कारण आदेश समय पूर्व समाप्त किया गया था, डी.ओ.एस. ने भी कहा (मई 2014) कि 42 वो स्विच आधार जांच के लिए आन बोर्ड सिमूलेशन मॉडलों में उपयोग किए जाने थे और 70 वो साधन को आर.आई.एस.ए.टी.³³ फौलोओन्स की भावी अनुरूपण आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने की योजना थी। जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आई.एस.ए.सी. ने सॉलिड स्टेट स्विचों को परियोजना में न उपयोग करने का निर्णय लेने के बावजूद उनके विनिर्माण हेतु देशी विक्रेता विकसित किया था और परियोजना के लिए बैच उत्पादन का निर्बाधन किया। इसके अलावा 70 वोल्टेज स्विच अभी भी किसी उपयोग में लाए जाने हैं।

इस प्रकार सॉलिड स्टेट स्विचों की आवश्यकता का उचित प्रकार निर्धारण करने में आई.एस.ए.सी. की विफलता के परिणामस्वरूप स्विचों की खरीद पर किया गया ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

³³ राडार इमेजिंग सैटेलाइट

अध्याय-V

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

5.1 राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यान्वयन के 12 वर्ष बाद भी समुद्र में प्लवों के उत्पादन तथा परिनियोजन के लिए देशज प्रौद्योगिकी के विकास का उद्देश्य प्राप्त करने में सीमित सफलता प्राप्त की। प्लव परियोजना के पूरक के रूप में देशीय रूप से विकसित कम लागत मौसम प्लव अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए जा रहे थे। भारतीय सेटलाइट के माध्यम से संचार स्थापित करने के प्रयास जुलाई 2014 तक परीक्षण चरण पर रहे। डाटा प्लवों के परिनियोजन हेतु खरीदा गया समर्पित जहाज अभिप्रेत प्रयोजन हेतु मुश्किल से उपयोग किया गया था।

5.1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्व में समुद्र विकास विभाग के रूप में ज्ञात) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जो समुद्री संसाधनों के धारणीय उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों का विकास करने के उद्देश्य से नवम्बर 1993 में स्थापित किया गया था।

समुद्र विकास विभाग (डी.ओ.डी.) ने समुद्र में बुनियादी अनुसंधान तथा विकासीय गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय डाटा प्लव प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया (जुलाई 1996)। एन.आई.ओ.टी. को कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दिया गया था।

परियोजना में भारत के ई.ई.जैड.³⁴ महासागरों में विभिन्न मौसम संबंधी तथा समुद्र विज्ञान पर समय श्रेणी डाटा के संग्रहण हेतु तीन वर्षों



समुद्र में डाटा प्लव

³⁴ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र

में 12 डाटा प्लवों³⁵ के परिनियोजन की परिकल्पना की गई। प्लव मापदंडों यथा वायु, तरंग, धारा, वायुमण्डलीय दबाव तथा तापमान, समुद्रतल तापमान आदि की माप के लिए संवेदकों से सज्जित किए जाने थे। प्लवों से डाटा सैटेलाइट के माध्यम से तटीय केन्द्रों को संचरित किया और बाद में तटीय तथा समुद्री क्षेत्रों में विकासीय कार्यों के लिए और समुद्री मौसम तथा जलवायु की भविष्यसूचक क्षमता सुधारने के लिए भी उपयोग किया जाना था। डाटा प्लवों की आपूर्ति तथा परिनियोजन के लिए नार्वे की एक कम्पनी, ओसनर की पहचान की गई थी।

नार्वे विकास सहयोग एजेंसी (एन.ओ.आर.ए.डी.) से ₹14 करोड़ की आंशिक वित्तीय सहायता के साथ ₹ 37 करोड़ की लागत पर छः वर्षों के लिए परियोजना डी.ओ.डी. की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी (दिसम्बर 1996)। सचिव, डी.ओ.डी. की अध्यक्षता के अधीन परियोजना के उचित निगरानी तथा कार्यान्वयन हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया था। डाटा प्लवों की डिजाइन तथा विकास के लिए बाद में देशज क्षमता विकसित करने के उद्देश्य के साथ आरम्भ में 15³⁶ के एक सेट का आयात करने का प्रस्ताव किया गया।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डाटा प्लवों के देशीकरण का उद्देश्य देशीकरण प्रक्रिया के आरम्भ से 12 वर्ष बाद भी आंशिक रूप से प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1.2.1 डाटा प्लवों के देशीकरण की आंशिक प्राप्ति

डी.ओ.डी. ने दो वर्षों के लिए एन.ओ.के. 34,807,000 (₹18.55 करोड़) की लागत पर राष्ट्रीय डाटा प्लव प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए नार्वे की फर्म ओसनर के साथ एक अनुबंध किया (दिसम्बर 1996)। दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ओसनर को एक और वर्ष के लिए प्लव प्रणाली का प्रचालन तथा अनुरक्षण करना था।

³⁵ डाटा प्लव मौसम संबंधी तथा समुद्र विज्ञान संवेदकों से सज्जित तैरते प्लेटफार्म हैं जो नियमित अंतरालों पर समुद्री डाटा पर्यवेक्षण के लिए समुद्र में विशेष स्थानों पर बांधे जाते हैं।

³⁶ 12 प्लव समुद्र में परिनियोजन के लिए और तीन अतिरिक्त के रूप में।

ओसनर ने दिसम्बर 1996 तथा फरवरी 1998 के बीच भारतीय महासागरों में 12 डाटा प्लव परिनियोजित किए। सहयोग की समाप्ति पर ओसनर परियोजना से बाहर हो गया (अक्टूबर 2000)।

बाद में एन.आई.ओ.टी. ने सहयोगी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर अलग परियोजना के रूप में देशज प्लव प्रौद्योगिकी के विकास की प्रक्रिया आरम्भ की। एन.आई.ओ.टी. ने संवेदको, जिनकी आयात किए जाने की योजना थी, को छोड़कर भारतीय सैटेलाइट (इनसैट) का उपयोग कर सैटेलाइट संचार सहित प्लव की सभी यांत्रिक, विद्युतीय तथा बंधन प्रणाली को देशीकृत करने



पहला देशीकृत प्लव

का प्रस्ताव किया। योजना का उद्देश्य 12 प्लवों की विरचना तथा विभिन्न स्थानों पर उनका परिनियोजन करना था। डी.ओ.डी. की स्थाई वित्त समिति ने दो वर्षों की अवधि के साथ ₹8.81 करोड़ की लागत पर परियोजना का अनुमोदन किया (दिसम्बर 2000) जिसके प्रति ₹84 लाख खर्च किया गया था। तथापि बाद में देशजकरण कार्यकलाप दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी थे जिसके दौरान समुद्र में प्लव नेटवर्क को 40 डाटा प्लवों तक बढ़ाने का निर्णय भी किया गया था। एन.आई.ओ.टी. ने 2012 तक डाटा प्लव नेटवर्क के अनुरक्षण पर परियोजना जारी रखने के प्रति ₹100.28 करोड़ का व्यय किया।

2000 से 2006 के दौरान एन.आई.ओ.टी. ने यांत्रिक प्रणालियों का देशीकरण किया और प्लवों का संयोजन, समाकलन और हिन्द महासागर में परिनियोजन किया। प्लवों के तोड़-फोड़ की समस्या का सामना करने के लिए एन.आई.ओ.टी. ने प्रोटेक्टिव हुड, ढके हुए सोलर पैनल तथा लिड में कठोर बंधकों जैसे संघटकों से छेड़छाड़ निरोधक डिजाइन भी विकसित की। तथापि कुछ संघटकों की अपक्रिया और तकनीकी समस्याओं के कारण अनेक प्लव डाटा संचरित करने में विफल हो गए। दसवीं योजना अवधि के दौरान, परिनियोजित 26 प्लवों में से, किसी एक समय पर केवल 19 परिचालन में थे (मार्च 2007)। इसी प्रकार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान भी संस्थान केवल 34 प्लव परिनियोजित कर सका जिनमें से कार्यात्मक प्लवों की संख्या किसी भी समय पर 19 से अधिक नहीं हुई थी।

देशज रूप से विकसित प्लवों पर किए गए (2008) विफलता विश्लेषण ने दर्शाया कि बंगाल की खाड़ी में परिनियोजित प्लवों के लिए डाटा रिक्ति 65 से 91 प्रतिशत के बीच और अरब सागर में परिनियोजित प्लवों के लिए 28 से 73 प्रतिशत के बीच थी। विफलता के कारण बैटरी के अपवहन, तोड़-फोड़ के कारण प्लव हानि, केन्द्रीय संसाधन यूनिट (सी.पी.यू.) में समस्या और देशीकरण के अंतर्गत विकसित संचार प्रणाली में कमी को आरोपित किए गए थे। विफलता विश्लेषण ने स्पष्ट रूप से यह भी जाहिर किया कि ओसनर के द्वारा आपूर्ति किए गए डाटा प्लवों का निष्पादन देशज रूप से विकसित डाटा प्लवों के मुकाबले बेहतर था। एन.आई.ओ.टी. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी समस्याएं संस्थान द्वारा अपनाई गई देशीकरण प्रक्रिया के कारण थीं।

एन.आई.ओ.टी. द्वारा अनुभव की गई संभारतंत्रीय तथा अन्य प्रतिबंधों के कारण डाटा रिक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए और इष्टतम प्लव आवश्यकता की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की (मार्च 2009) कि प्लवों की इष्टतम संख्या 12 की आवश्यकता थी। समिति ने आगे सिफारिश की कि संवेदकों की अधिक संख्या और भिन्न बंधन लाइन से सुसज्जित एक पूर्णतया नई प्लव प्रणाली एक यूनिट के रूप में खरीदी जाय।

तदनुसार, एन.आई.ओ.टी. ने 16 ओमनी प्लवों³⁷ के आयात के लिए ओसनर को एक खरीद आदेश दिया (जून 2010/मार्च 2012)। जून 2010 तथा मार्च 2013 के बीच, एन.आई.ओ.टी. ने ₹27.21 करोड़ का व्यय करने के बाद 16 प्लव प्राप्त किए। इसके अलावा, एन.आई.ओ.टी. ने ₹1.96 करोड़ के विभिन्न यांत्रिक तथा विद्युतीय प्लव संघटकों और बंधन का भी आयात किया।

इस प्रकार डाटा प्लव परियोजना के देशीकरण प्रयासों के 12 वर्ष से अधिक समय बाद प्लव प्रौद्योगिकी पूरी तरह स्थिर नहीं की जा सकी। तथापि, एन.आई.ओ.टी. का तोड़-फोड़ रोकने के लिए प्लव डिजाइन अनुकूलन और तोड़-फोड़ रोकने के लिए उत्पन्न जागरूकता के प्रयास प्रशंसनीय थे।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (मई 2014) कि एन.आई.ओ.टी. ने भिन्न प्लव अनुप्रयोगों के लिए पांच भिन्न सी.पी.यू. विकसित किए थे और छः प्लव (चार तटीय प्लव³⁸, एक

³⁷ ओमनी प्लव डाटा प्लवों के समान बंधित प्लव हैं परन्तु अधिक उन्नत प्लव हैं और 500 मीटर गहराई तक समुद्री धारा, चालकता तथा तापमान मापने की क्षमता रखते थे। इसके अतिरिक्त ये प्लव विकिरण संवेदकों तथा वर्षामापी से भी सज्जित थे।

³⁸ ये प्लव जलगुणवत्ता संवेदकों के साथ-साथ मौसम संबंधी तथा समुद्र विज्ञान संवेदकों से सज्जित हैं और तटीय महासागर में परिनियोजित हैं।

मौसमीय समुद्री प्लव³⁹ तथा एक सुनामी प्लव⁴⁰) देशज प्रौद्योगिकी के साथ कार्यरत थे। तथापि, एम.ओ.ई.एस. ने स्वीकार किया कि सम्पूर्ण डाटा प्लव प्रणाली के देशी विकास के लिए विशेष समय अवधि की आवश्यकता होगी। एम.ओ.ई.एस. ने आगे बताया (मई 2014) कि नई प्रणाली पूर्ण पैकेज के रूप में आयात किया गया था क्योंकि वैज्ञानिक आवश्यकता ने विभिन्न मौसम संबंधी तथा समुद्र वैज्ञानिक मापदण्डों को उत्पन्न करने योग्य सब-सर्फेस संवेदकों, अधिष्ठापन बंधन आदि के साथ नवीनतम प्लव डिजाइन की मांग की। एम.ओ.ई.एस. ने आगे बताया (जुलाई 2014) कि सबसर्फेस प्राचलों के लिए प्लवों के देशीकरण का अगला चरण आरम्भ किया गया था और जांच की गई थी।

उत्तर दर्शाता है कि सम्पूर्ण रूप से प्लव प्रणाली की प्रौद्योगिकी के देशीकरण का पूर्णतया विकास अभी किया जाना था। इसके अलावा देशीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सीमा पर उत्तर मौन था। इस प्रकार यद्यपि एन.आई.ओ.टी. ने 12 वर्षों से अधिक, प्लव प्रौद्योगिकी को देशज करने का प्रयास किया और परियोजना पर ₹100.28 करोड़ का व्यय किया गया परन्तु इसने देशज रूप से विकसित प्लवों के परिनिर्णयन तथा उपयोग में आंशिक सफलता प्राप्त की।

5.1.2.2 इनसैट का उपयोग कर संचार संयोजन स्थापित करना

राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना के एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में डी.ओ.डी. ने भारतीय सैटेलाइट इनसैट-2बी का उपयोग कर समुद्र में प्लवों तथा तट-केन्द्र के बीच संचार संयोजन स्थापित करने का प्रस्ताव किया (जुलाई 1996)। यह मूल रूप से विदेशी सैटेलाइट के उपयोग के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय का परिहार करने और सुरक्षा के कारणों के लिए था। तथापि ओसनर के साथ किए गए अनुबंध (दिसम्बर 1996) के अनुसार आरम्भ में विदेशी सैटेलाइट 'इनमारसैट' का उपयोग करने पर सहमति हुई थी क्योंकि इसे परियोजना की अनुसूचित समय के योग्य माना गया था।

एन.आई.ओ.टी. ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर⁴¹, अहमदाबाद (एस.ए.सी.) के सहयोग से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की (2001) और बाद में प्लव संचार के लिए देशज प्रौद्योगिकी से दो प्रोटोटाइप प्रणालियों का विकास किया (दिसम्बर 2002)। यद्यपि एक

³⁹ ये प्लव वायु गति तथा दिशा, वातावरणीय दबाव, वायु ताप, आर्द्रता, चालकता, समुद्रतल ताप, धारा गति तथा दिशा और तरंग प्राचल मापने के संवेदक रखते हैं।

⁴⁰ सुनामी प्लव प्रणाली में दो यूनिटें होती हैं, सतह प्लव तथा गर्त दबाव रिकार्डर। बी.पी.आर. प्रत्येक 15 सेकेण्ड में दबाव की माप करता है और सतह प्लव को प्रत्येक घंटा सूचित करता है।


⁴¹ अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई

प्रोटोटाइप प्रणाली परिनियोजित की गई थी (दिसम्बर 2002) और इनसैट संचार स्थापित किया गया था परन्तु डाटा प्राप्ति प्रणाली के साथ ट्रांससीवरों के इंटरफेसिंग में समस्याओं के कारण संचार की निरंतरता में समस्याएं हुई थीं। घरेलू सैटेलाइट के उपयोग की आवश्यकता तथा महत्व पर विचार कर निगरानी समिति ने अपनी बैठक (जनवरी 2008) में इनसैट संचार प्रणाली को चालू करने के लिए अंतिम तिथि मई 2008 निर्धारित की। तथापि, निरंतर संचार की समस्या दूर नहीं हुई और एन.आई.ओ.टी. ने विदेशी सैटेलाइट का उपयोग करना जारी रखा। इसके अलावा एन.आई.ओ.टी. द्वारा विकसित ट्रांसमीटर आयातित ओमनी प्लवों के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि वे संचरित किए जाने के लिए डाटा सेटों की बड़ी मात्रा को नियंत्रित करते थे।

जुलाई 2014 तक, एन.आई.ओ.टी. देशज रूप से विकसित इनसैट संचार प्रणाली के साथ चार तटीय प्लवों को प्रतिष्ठापित करने में सक्षम था। तथापि गहरे समुद्र प्लवों में संचार प्रौद्योगिकी का विकास अभी भी प्रक्रियाधीन था।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (जुलाई 2014) कि कुछ प्रौद्योगिकी रुकावटें जैसे द्विमार्ग संचार की कमी इसरो⁴² के साथ उठाए जा रहे थे।

तथ्य यह शेष है कि भारतीय सैटेलाइट के माध्यम से संचार स्थापित करने के एन.आई.ओ.टी. के प्रयास जुलाई 2014 तक भी विकास तथा परीक्षण चरण में थे।




भारतीय समुद्रों में प्लवों का नेटवर्क

⁴² भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

5.1.2.3 कम लागत मौसमीय प्लवों के विकास में निष्फल व्यय

वर्तमान डाटा प्लव नेटवर्क को पूरा करने के लिए और बड़े प्लव नेटवर्क की आई.एम.डी. की आवश्यकता की सहायता के लिए एन.आई.ओ.टी. ने निम्न लागत मौसम संबंधी प्लवों के विकास तथा उत्पादन की परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया। परियोजना 50 निम्न लागत डाटा प्लवों की डिजाइन, विकास तथा उत्पादन और विफलता के मामले में वर्तमान डाटा प्लवों की सहायता करने के लिए समुद्र में चयनित स्थानों से मूल मौसम संबंधी डाटा प्राप्त करने के लिए भारत के आसपास समुद्र में चयनित स्थानों पर उनके परिनियोजन पर उद्देशित थी। एम.ओ.ई.एस. ने एक वर्ष की अवधि के लिए ₹4.80 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना संस्वीकृत की (अक्टूबर 2006)।

एन.आई.ओ.टी. ने प्लवों की डिजाइन तथा विरचना के लिए दिसम्बर 2007 तक दो प्रयास किए परन्तु विफल रहे क्योंकि एक प्लव परिनियोजन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और दूसरे प्लव ने केवल एक सप्ताह कार्य किया था। एन.आई.ओ.टी. ने नई डिजाइन के साथ एक और प्रयास करने और जून 2008 तक 25 ऐसे प्लव परिनियोजित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2008)। तथापि एन.आई.ओ.टी. ने नई डिजाइन से केवल दो प्लव विकसित किए और परिनियोजन पर (मार्च 2008) इन प्लवों ने केवल एक माह के लिए डाटा संचरित किया।



स्पर प्रकार का निम्न लागत प्लव

एन.आई.ओ.टी. ने पाया कि प्लवों को तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री समुद्र की कठोर स्थिति में कायम रहने योग्य नहीं था और इसलिए इसके स्थान पर उच्च सघनता पॉली इथाइलीन (एच.डी.पी.ई.) उपयोग करने का निर्णय किया (फरवरी 2009)। परियोजना अवधि प्लवों की डिजाइनिंग और क्षेत्रीय परीक्षण करने को सुगम करने के लिए मार्च 2010 तक बढ़ाई गई थी। तथापि नए प्लव भी क्षेत्र परीक्षणों (जुलाई 2010) के दौरान असफल होते पाए गए थे और समुद्री अवलोकन में इन प्लवों का उपयोग न करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना पर ₹4.08 करोड़ का खर्च किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रोटोटाइप प्लव के सज्जीकरण और उनकी स्थिरता तथा सफल समाकलन सुनिश्चित करने के लिए समुद्र परीक्षण करने से भी पूर्व सभी 50 प्लवों के लिए संवेदकों सहित प्लव के संघटक खरीदे गए थे जो अविवेकी था।

एन.आई.ओ.टी. ने बताया (फरवरी 2011) कि समुद्र में प्रणाली को बनाए रखने में कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें तटीय जहाजों पर प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया था। एन.आई.ओ.टी. ने आगे बताया (सितम्बर 2013) कि एक वर्ष की मूल परियोजना अवधि और लम्बी सुपुर्दगी अवधि के साथ मर्दे आयात किए जाने की अपेक्षा को ध्यान में रखकर संघटक एक साथ खरीदे गए थे। एम.ओ.ई.एस. ने आगे बताया (मई 2014) कि 17 प्लव विकसित किए गए जिनमें से पांच जहाजों में प्रतिष्ठापित किए गए थे, सात दक्षिण भारत में पहचाने गए स्थानों में प्रतिष्ठापित किए जाएंगे तथा शेष प्लव अतिरिक्त के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

तथ्य यह शेष रहा कि जहाजों में प्लवों का उपयोग उप इष्टतम समाधान था क्योंकि प्लव अविरत समुद्री डाटा प्राप्त करने के अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

5.1.2.4 प्लव सेवी जलयान सागर मंजूषा का उपयोग

दूसरी संचालन समिति बैठक (मई 1999) में एन.आई.ओ.टी. ने प्लवों के परिनियोजन के लिए एक समर्पित जहाज प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। एन.आई.ओ.टी. ने मई 2002 में आयोजित बैठक में इसे दोहराया और स्वीकार किया कि कार्यक्रम प्लवों का योजित अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त जहाज के अभाव से पीड़ित था। यह निर्धारण किया गया था कि विभिन्न समुद्र अवलोकन सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए जहाज की कुल मांग वर्ष में 310 दिन होंगे जिनमें एकमात्र डाटा प्लव परियोजना की आवश्यकता 180 दिन अनुमानित की गई थी। शेष 130 दिन अन्य समुद्र अवलोकन संबंधित कार्यक्रमों के लिए उपयोग किए जाने की योजना बनाई गई थी। समिति प्लवों के परिनियोजन हेतु एक समर्पित जहाज रखने को सहमत हो गई।

डी.ओ.डी. ने ₹23 करोड़ की कुल लागत पर जहाज की प्राप्ति की संस्वीकृति की (अक्टूबर 2003)। तदनुसार, एन.आई.ओ.टी. ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लि. को जहाज बनाने का अनुबंध दिया (अप्रैल 2004)। सागर मंजूषा नामक जहाज ₹22.50 करोड़

की वास्तविक लागत पर बनाया गया था और एन.आई.ओ.टी. सेवा में प्रतिष्ठापित किया गया था (जून 2006)।



सागर मंजूषा

उपयोग किए जाने पर जहाज में अत्यधिक रोलिंग⁴³ पाई गई। सागर मंजूषा की अस्थिरता ने समुद्र अवलोकन कार्य के लिए इसके उपयोग को सीमित कर दिया। 2006 से 2010 तक की अवधि के दौरान समुद्र अवलोकन संबंधित कार्यक्रमों के लिए योजित 1240⁴⁴ दिनों में से 114 दिनों के लिए जहाज का उपयोग किया गया था। इन 114 दिनों में से केवल 74 दिन प्लव परिनियोजन

तथा पुनर्प्राप्ति कार्य में लगाए गए थे। 2010 के दौरान एन.आई.ओ.टी. ने आयतित ओमनी प्लवों को आरम्भ किया जो विशेष इण्डक्शन मूरिंग सिस्टम रखते थे जिनको डायनामिक पोजीसनिंग सिस्टम वाले जहाज की आवश्यकता हुई जिसके कारण सागर मंजूषा का उपयोग करना संभव नहीं था। इस प्रकार अभिप्रेत प्रयोजन हेतु ₹22.50 करोड़ की लागत पर राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना के लिए एकमात्र रूप से खरीदा गया समर्पित जहाज का उपयोग निम्नतम था।

यद्यपि अत्यधिक रोलिंग की समस्या का निर्धारण करने और संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जहाज का निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी परन्तु समिति ने इस विषय पर अध्ययन करने के लिए अपना समय नहीं बढ़ाया। बाद में एन.आई.ओ.टी. ने जहाज की समुद्र देखरेख विशेषताओं में सुधार करने के लिए डिजाइन संशोधन तथा परिवर्तन के लिए उनका परामर्श प्राप्त करने के लिए इण्डियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी (आई.एम.यू.) से सम्पर्क किया (अगस्त 2009) और विश्लेषण करने, संशोधन सुझाने तथा ड्राइंग तैयार करने के लिए ₹9.50 लाख की लागत पर आई.एम.यू. को एक कार्य आदेश दिया (अगस्त 2010)। फरवरी 2012 में प्राप्त हुए आई.एम.यू. के सुझाव एन.आई.ओ.टी. द्वारा बाद में कार्यान्वित किए गए थे।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (मई 2014) कि वैज्ञानिक आवश्यकताओं की तीव्र गति को देखते हुए इसे बहुप्रयोजन जहाज बनाने और विभिन्न अनुसंधान प्रयोजनों हेतु

⁴³ तरंगो अथवा अन्य बाह्य बलों द्वारा किए गए चलायमान जहाज का दोलन

⁴⁴ 2006-07 से 2009-10 तक चार वर्षों के लिए 310 दिन प्रति वर्ष

उपयोग करने के लिए गत कुछ वर्षों में जहाज को विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा सर्वेक्षण उपकरणों से सज्जित किया गया था।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाना है कि सागर मंजूषा अपने विनियोजन से 2006 तथा 2010 के बीच अभिप्रेत प्रयोजन हेतु मुश्किल से उपयोग किया जा सका। 2010 में डाटा प्लवों को डिजाइन में परिवर्तनों से मूल प्रयोजन हेतु इसका उपयोग और ज्यादा सीमित हो गया था। इसके अतिरिक्त, समुद्र अवलोकन कार्यक्रमों तथा अन्य प्रयोजनों हेतु 2006 से 2013 तक के दौरान सागर मंजूषा का कुल उपयोग निर्धारित आवश्यकता के केवल 53⁴⁵ प्रतिशत था।

5.1.3 निष्कर्ष

यद्यपि एन.ओ.आई.टी. ने 12 वर्षों से अधिक समय से प्लव प्रौद्योगिकी को देशज करने के प्रयास किए और परियोजना पर ₹100.28 करोड़ का व्यय किया, इन्होंने प्लवों के परिनियोजन तथा इनसैट संचार के साथ देशज रूप से विकसित प्लवों के उपयोग में आंशिक सफलता प्राप्त की थी। मौसम संबंधी डाटा उत्पन्न करने के लिए एक वर्ष में 50 निम्न-लागत प्लवों के विकास के लिए एन.ओ.आई.टी. द्वारा आरम्भ की गई एक अन्य संबंधित परियोजना भी सफल नहीं हुई थी क्योंकि यह अभिप्रेत प्रयोजन हेतु प्लवों की अपेक्षित संख्या परिनियोजित करने में विफल हो गया परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। ₹22.50 करोड़ की लागत पर केवल प्लवों के परिनियोजन हेतु खरीदा गया जहाज भी अभिप्रेत कार्य हेतु इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

⁴⁵ 2006-07 से 2012-13 तक के सात वर्षों के लिए 310 दिन प्रति वर्ष की दर पर समुद्र अवलोकन कार्यक्रमों हेतु निर्धारित आवश्यकता होने पर 2170 दिनों में से 1151 दिन

5.2 ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अनियमित रूप से अपने स्वायत्त निकायों को उनके नियमित कर्मचारियों की सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित सेवा शर्तों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 से बदलने की अनुमति प्रदान की। इस अनुमति के आधार पर, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने 54 नियमित कर्मचारियों, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे, को ₹68.88 लाख ग्रेच्युटी का भुगतान किया।

सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 50 के अनुसार, पांच साल के अर्हक सेवा पूरा करने के बाद सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। हालांकि, सेवा से त्यागपत्र पूर्व सेवा की जल्दी की आवश्यकता पर जोर देता है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, वृक्षारोपण, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक योजना प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कम से कम पाँच वर्षों के लिए निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद रोजगार की समाप्ति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु होने पर एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय है।

हालांकि, सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 50 के तहत भारत सरकार का निर्णय (6) (2) निर्धारित करता है कि कर्मचारी, जो अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) योजना के विकल्प को चुनते हैं, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार हैं जैसा कि पेंशन योग्य स्थापना पर वहनीय सरकारी कर्मचारियों को देय है। इसलिए, सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के अंतर्गत, वैसे कर्मचारी जो सेवा से त्यागपत्र देते हैं, ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे, जबकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कम से कम पाँच वर्षों के लिए निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद त्यागपत्र देनेवाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र थे।

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। एन.आई.ओ.टी. के कर्मचारी सेवा नियमावली ने निर्धारित किया कि नियमित कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान के प्रयोजन के लिए सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के

द्वारा शासित किए जाएंगे और अनुबंध कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत रखा जाएगा।

चूँकि उपरोक्त प्रावधानों ने एन.आई.ओ.टी. के नियमित कर्मचारियों को अनुबंध कर्मचारियों की तुलना में एक अलाभकारी स्थिति में रख दिया, एन.आई.ओ.टी. ने सितंबर 2000 से पूर्वव्यापी रूप से नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन का एक प्रस्ताव अपने गवर्निंग काउंसिल (जी.सी.) के समक्ष रखा (अगस्त 2008)। जी.सी. ने एन.आई.ओ.टी. के सभी नियमित कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी (जनवरी 2010) दे दी। तदनुसार, एन.आई.ओ.टी. ने 54 नियमित कर्मचारियों, जो 2001 और 2013 के बीच सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे तथा जो अन्यथा सी.सी.एस. पेंशन निमावली, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी हेतु पात्र नहीं थे, को ₹68.88 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एम.ओ.ई.एस. ने अपने स्वायत्त निकायों को उनके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की अनुमति दी (जून 2009) तथा यह बताते हुए एक आदेश भी जारी (जून 2009) किया कि मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थाएं अपने नियमित कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के द्वारा शासित किए जा रहे थे। यह सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 का उल्लंघन था क्योंकि सी.पी.एफ. योजना के तहत नियमित कर्मचारी ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के अंतर्गत कवर किए गए थे। यह वित्तीय औचित्य⁴⁶ के मानकों एवं सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम (6)(iv)(a)⁴⁷ के भी विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि एम.ओ.ई.एस. ने अपने स्वायत्त निकायों के नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के

⁴⁶ वित्तीय औचित्य के मानकों पर सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 कहता है कि तब तक सार्वजनिक धन का खर्च किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए या लोगों के एक वर्ग के लिए नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि राशि के लिए कोई दावा किसी विधि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता हो या खर्च एक मान्यता प्राप्त नीति या परंपरा के अनुसरण में नहीं है।

⁴⁷ नियम 209(6)(iv)(a) के अनुसार सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान या संगठन, जो अपने आवर्ती व्यय 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं, को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनानी चाहिए, जो केन्द्र सरकार के समान स्तर के कर्मचारियों को लागू शर्तों से व्यापक रूप से अधिक न हो। असाधारण मामलों में वित्त मंत्रालय के विमर्श से छूट दी जा सकती है।

प्रावधानों से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में परवर्तित करने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त नहीं किया था। यह वित्त मंत्रालय के निर्देशों⁴⁸ तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था।

वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त किए बिना पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एम.ओ.ई.एस. की स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बदलने का परिणाम एन.आई.ओ.टी. के नियमित कर्मचारियों, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे, को ग्रेच्युटी के लिए ₹68.88 लाख के अनियमित भुगतान के रूप में हुआ।

एन.आई.ओ.टी. ने कहा (अप्रैल 2013) कि जी.सी. की मंजूरी एवं एम.ओ.ई.एस. द्वारा जून 2009 में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के आधार पर संस्थान द्वारा अधिनियम को अंगीकार किया गया तथा पात्र कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए एन.आई.ओ.टी. ने आगे कहा (जून 2014) कि एन.आई.ओ.टी. द्वारा की गई कार्रवाई एक बार का उपाय था और सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के प्रासंगिक प्रावधानों का उन कर्मचारियों, जो सी.पी.एफ. स्कीम के तहत कवर किये गए हैं, के मामले में ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए भविष्य में पालन किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि नियमित कर्मचारियों, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे, के ग्रेच्युटी का भुगतान सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 की गवर्निंग प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके अलावा, वित्तीय निहितार्थ से जुड़े रोजगार संरचना से संबंधित किसी प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय की आवश्यक पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

इस मामले को मार्च 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था, जुलाई 2014 तक इसका उत्तर प्रतीक्षित था।

⁴⁸ यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय निहितार्थ वाले इस तरह के मामलों में स्वायत्त निकायों के शासी निकाय की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का ठीक से प्रयोग कर रहे हैं, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने स्वायत्त निकायों के सभी मंत्रालयों को प्रासंगिक नियम/ उपनियमों/ विनियमों को शामिल करने का निर्देश (अक्टूबर 1984) दिया कि रोजगार संरचना से संबंधित प्रस्तावों की वित्त मंत्रालय के परामर्श से भारत सरकार (जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है) की मंजूरी आवश्यक होगी।



अध्याय – VI

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

6.1 जैव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जैव विविधता के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.), जिसका भारत एक पक्ष है, के उद्देश्य के साथ इसे पंक्तिबद्ध करने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया; और देश के जैव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने का कार्य और निगरानी के लिए 1993-2020 की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सामरिक योजना तैयार की। मार्च 2014 तक, भा.प्रा.स. सभी योजनाबद्ध गतिविधियों में सी.बी.डी. के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य से पीछे रहा।

चयनित राज्यों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण और सूचीबद्ध करने का कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण करने के लिए कोई मानक पद्धति और किए गए सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जीव प्रजातियों की क्षेत्र और प्रजातित्वार निगरानी भी शुरू नहीं की गई तथा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वर्गीकरणशास्त्री का कार्यरत बल संस्वीकृत बल से काफी कम था। वर्गीकरणशास्त्री की कमी से जीव वर्गीय अध्ययन प्रभावित हुआ जैसा कि संग्रहीत प्रजातियों की कुल संख्या का मात्र 34 प्रतिशत ही वर्गीकृत रूप से पहचान की गई। यद्यपि वर्गीकरण को एक अति विशिष्ट विषय के रूप में मान्यता दी गई थी फिर भी भा.प्रा.स. अपने नए भर्ती वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए तैनात करने में विफल रहा।

संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा अत्यंत सीमित थी। समीक्षा हेतु लक्षित 10 प्रजातियों में से सात प्रजातियों के लिए वस्तु स्थिति सर्वेक्षण की शुरुआत नहीं की गयी थी।

6.1.1 प्रस्तावना

जैव विविधता में पृथ्वी पर सभी जीवन समाहित हैं। भारत दुनिया के 12 बड़े विविध देशों में से एक है। दुनिया भर में लगभग 1.7 मिलियन जीवित प्रजातियों का वर्णन किया गया है जिनमें से भारत में 90,000 प्रजातियां वर्णित की गई हैं। प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के नुकसान के बारे में वैश्विक चिंता का परिणाम जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.)⁴⁹ रहा जो 29 दिसंबर 1993 से प्रभाव में आया। सी.बी.डी. के तीन प्रमुख उद्देश्य थे- जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया है तथा सी.बी.डी. के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) की स्थापना, भारत में प्राणी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान-वृद्धि हेतु विविध जीव संसाधनों के सर्वेक्षण एवं समन्वेषण के लिए, प्राणिविज्ञान हेतु राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1916 में की गई थी। भा.प्रा.स. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। भा.प्रा.स. भारत में वन्य जीवन और पशु विविधता से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह भी देता है। सी.बी.डी. के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) ने अगले 20 साल के लिए भा.प्रा.स. की सामरिक योजना तैयार (2001) की और तदनुसार 1987 के अपने पहले के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया। संशोधित अधिदेश के तहत भा.प्रा.स के मुख्य उद्देश्य थे:

- भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थिकी तंत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण तथा निगरानी;
- संग्रह किए गए सभी जैव घटकों का वर्गीकरण-आत्मक अध्ययन;
- संकटग्रस्त तथा स्थानिकी प्रजातियों की स्थिति की सम-समय पर समीक्षा; और
- भारत तथा राज्यों के जीवों का रेड डाटा बुक (आर.डी.बी.) तैयार करना।

⁴⁹ रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जैव विविधता संधि पर 150 सरकार के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया था तथा यह सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संधि अभिज्ञान करता है कि पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ संबंध होने के अलावा, जैव विविधता लोगों और खाद्य सुरक्षा, दवाई, ताजा हवा और पानी, आवास और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए हमारी जरूरत के बारे में भी है।

भा.प्रा.स. का प्रमुख निदेशक होता है जिन्हें वैज्ञानिकों और प्रशासनिक कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भा.प्रा.स. का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा 16 क्षेत्रीय केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनके प्रमुख संबन्धित क्षेत्रीय निदेशक होते हैं जो भा.प्रा.स. के मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं।

बजट एवं व्यय

बजट आवंटन तथा भा.प्रा.स. द्वारा वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1 में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 6 - भा.प्रा.स. का बजट आवंटन एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भा.प्रा.स.द्वारा मांगी गई राशि			एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी की गई राशि			वास्तविक व्यय			कुल व्यय पर बचत का प्रतिशत
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2005-06	6.81	10.67	17.48	6.81	9.79	16.60	6.59	9.82	16.41	1.14
2006-07	8.39	11.61	20.00	8.39	10.95	19.34	7.82	10.56	18.38	4.96
2007-08	9.15	12.25	21.40	9.00	11.61	20.61	8.80	11.00	19.80	3.93
2008-09	12.07	14.30	26.37	12.07	16.52	28.59	11.74	15.82	27.56	3.60
2009-10	16.49	14.30	30.79	16.49	16.28	32.77	16.30	16.27	32.57	0.61
2010-11	26.67	14.47	41.14	24.46	14.52	38.98	23.81	14.60	38.41	1.46
2011-12	24.26	17.70	41.96	17.99	16.85	34.84	17.21	16.50	33.71	3.24
2012-13	34.71	17.53	52.24	17.41	18.11	35.52	17.27	17.87	35.14	0.38

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा जारी की गई राशि भा.प्रा.स. द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में कम थी। तथापि भा.प्रा.स. द्वारा किया गया वास्तविक व्यय उसके द्वारा मांगी गई राशि से कम था और सभी वर्षों में 0.61 से लेकर 4.96 प्रतिशत तक की बचत थी।

भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. ने सहमति जताई कि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी की गई राशि भा.प्रा.स. द्वारा मांगी गई राशि से कम थी और कहा कि यद्यपि सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक शोध-पत्र विभाग की बड़ी गतिविधियां एवं उत्पाद थी, बजट का बड़ा भाग वेतन एवं दैनिक कार्यालय खर्च पर आवंटित किया गया, जिसके कारण भा.प्रा.स. अपने प्रस्तावित लक्ष्य को हासिल करने में पीछे रहा।

6.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षित आदेश-पत्र पर पी.ए.सी. द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार 2005-14 की अवधि के लिए समन्वेषण, पहचान, निगरानी तथा संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा स्थिति की समीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे के पैराग्राफ्स में की गई है।

6.1.2.1 भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण एवं निगरानी

देश के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी को भा.प्रा.स. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया था। यद्यपि सभी स्तनधारियों तथा पक्षियों और लगभग 95 प्रतिशत सरीसृपों, उभयचरों और मीठे पानी की मछलियों का पिछले 90 वर्षों के दौरान पूरी तरह से सर्वेक्षण और प्रलेखन किया गया था, फिर भी पाया गया कि जैव विविधता के स्तर का आकलन तथा मूल्यांकन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए शामिल प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। इन चिंताओं को दूर करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने को ध्यान में रखकर पी.ए.सी. ने समन्वेषण, अध्ययन और जीव लेखा की तैयारी के लिए 1993-2020 की अवधि को कवर करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक और समयबद्ध कार्य योजना बनाई।

(i) सर्वेक्षण और जीव लेखा के शोध-पत्र के लक्ष्यों को न प्राप्त कर पाना

पी.ए.सी. द्वारा तैयार किए गए समन्वेषण योजना के अनुसार 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 25 पारिस्थिकी तंत्रों एवं 46 संरक्षित क्षेत्रों के जैव संसाधनों का सर्वेक्षण 2012 तक पूरा किया जाना था। भा.प्रा.स. द्वारा किए गए सर्वेक्षणों एवं अक्टूबर 2012 तक

प्रकाशित जीव लेखा की स्थिति तालिका 7 में दी गयी है। प्रत्येक राज्य, पारिस्थिकी तंत्र, एवं संरक्षित की विस्तृत स्थिति **परिशिष्ट X** में दी गयी है:

तालिका 7: मार्च 2014 तक भा.प्रा.स. द्वारा किए गए सर्वेक्षण, अध्ययन एवं प्रकाशित जीव लेखा की स्थिति

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
राज्य/के.शा.प्र.	13	10	1	2	13	1	1	2	9	12	8
	<p>13 राज्यों के लक्ष्य में से 10 राज्यों में सर्वेक्षण किया गया। एक राज्य के मामले में सर्वेक्षण शुरू ही नहीं किया गया। दो राज्यों में सर्वेक्षण की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>मार्च 2014 तक केवल एक ही राज्य में अध्ययन पूरा किया गया और दो राज्यों में चल रहा है। एक राज्य के मामले में अध्ययन प्रारम्भ ही नहीं किया गया। नौ राज्यों में किए गए अध्ययनों की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>12 शोध-पत्रों के लक्ष्य में से 2005-12 के दौरान भा.प्रा.स. ने आठ राज्यों के संबंध में राज्य जीव शृंखला शोध-पत्र को दिखाया। हालांकि इन आठ शोध-पत्रों से संबन्धित दो मामलों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि उपलब्ध नहीं थी। उस अवधि, जिसके दौरान सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सका कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य योजना के अनुसार, केरल राज्य में, सर्वेक्षण की निर्धारित अवधि 2000 से 2010 थी। भा.प्रा.स. ने 1999 से 2002 के बीच सर्वेक्षण किया, इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में कटौती कर तीन वर्ष कर दिया। तथापि, मार्च 2014 तक कोई जीव लेखा प्रकाशित नहीं की गई थी।</p>										

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
पारिस्थिकी तंत्र	25	10	2	13	25	0	2	5	18	25	4
	<p>25 पारिस्थिकी तंत्र के लक्ष्य में से 10 पारिस्थिकी तंत्र में ही सर्वेक्षण किया गया। इन 10 में से एक पारिस्थिकी तंत्र से संबन्धित सर्वेक्षण, सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरा कर लिया गया। विवरण तालिका 3 में दिया गया है। दो पारिस्थिकी तंत्रों के मामले में सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया। 13 पारिस्थिकी तंत्रों में सर्वेक्षण की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>मार्च 2014 तक किसी भी पारिस्थिकी तंत्र से संबन्धित अध्ययन पूर्ण नहीं किया गया था। पाँच पारिस्थिकी तंत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया गया किन्तु मार्च 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया। दो पारिस्थिकी तंत्रों से संबन्धित अध्ययन शुरू नहीं किया गया। 18 पारिस्थिकी तंत्र में अध्ययन के पूर्ण होने का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>25 शोध-पत्रों के लक्ष्य में से चार शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। दो शोध-पत्रों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि का विवरण उपलब्ध नहीं था। उस अवधि, जिसके दौरान सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सका कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>16 पारिस्थिकी तंत्रों के संबंध में, यद्यपि एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि भा.प्रा.स. ने जीव लेखा का प्रकाशन किया था, लेखापरीक्षा ने भा.प्रा.स. द्वारा 2014 में प्रकाशित 'विवरणिका 2014'⁵⁰ से पाया कि ये शोध-पत्र चयनित पारिस्थिकी तंत्रों से संबन्धित नहीं थे।</p>										

⁵⁰ भा.प्रा.स.के मूल्य अंकित शोध-पत्रों की सूची

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
संरक्षित क्षेत्र (पीए)	46	25	15	6	46	2	16	5	23	41	14
	<p>यह पाया गया कि 46 संरक्षित क्षेत्रों में से 25 संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। 15 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया था। किए गए 25 सर्वेक्षणों में से चार संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरे कर लिये गये थे। इन मामलों को तालिका 3 में दिया गया है। छह संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>46 संरक्षित क्षेत्रों, जो अध्ययन के लिए लक्षित थे, में से सिर्फ दो मामलों में अध्ययन पूरा किया गया। एक संरक्षित क्षेत्र के मामले में, यद्यपि सर्वेक्षण पूरा किया गया, विशेषज्ञता की कमी के कारण अध्ययन शुरू नहीं किया गया। पाँच मामलों में मार्च 2014 तक अध्ययन जारी था। 23 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>लक्षित 41 शोध-पत्रों में से 14 शोध-पत्र निकाले गए। तथापि, दो शोध-पत्रों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि उपलब्ध नहीं थी। उस अवधि, जिसके दौरान उल्लेखित शोध-पत्रों के लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सकी कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>चार अन्य संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में, यद्यपि जीव खाते के शोध-पत्र का संकेत दिया गया था तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सर्वेक्षण सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरा कर लिया गया था। इस प्रकार, इससे साबित होता है कि उपर्युक्त शोध-पत्रों का ताल्लुक सर्वेक्षण के पहले की अवधि से है और पी.ए.सी. के योजनाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थे।</p> <p>यह स्वीकार करते हुए (मार्च 2014) कि एक संरक्षित क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम नहीं किया गया, एम.ओ.ई.एफ. ने कहा कि विशेषज्ञता के अभाव के कारण 13 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू नहीं किये जा सके और एक संरक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण हटा दिया गया। नौ संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में यह बताया गया कि जीव लेखा जारी है।</p>										
<p>स्रोत: मार्च 2014 में भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े।</p>											

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 67 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाते हुए 12 राज्यों, जिसके लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन पूरा करने के उपरांत जीव लेखा प्रकाशित किया जाना था, में से आठ राज्यों के लिए ही शोध-पत्र निकाले गए थे। तथापि, 25 पारिस्थिकी तंत्रों के संबंध में केवल चार पारिस्थिकी तंत्र के शोध-पत्र प्रकाशित किए गए, जिसकी उपलब्धि 16 प्रतिशत थी। संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में उपलब्धि 34 फीसदी थी क्योंकि 41 संरक्षित क्षेत्रों के लक्ष्य के विरुद्ध 14 शोध-पत्र ही संरक्षित क्षेत्र पर प्रकाशित किए गए थे।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि मुख्य रूप से अन्वेषण/सर्वेक्षणों के लिए विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति मिलने में हुई देरी और वर्गिकरण विशेषज्ञता की कमी हो जाने के कारण भा.प्रा.स. अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

जैसा कि तालिका 7 में उल्लेख किया गया है, चार संरक्षित क्षेत्रों में सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। इन मामलों को तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8 - पारिस्थितिकी तंत्र/आरक्षित क्षेत्र जहां भा.प्रा.स. ने पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसित अवधि के पहले सर्वेक्षण पूरा कर लिया

पारिस्थितिकी तंत्र/आरक्षित क्षेत्र के नाम	अवधि जिसमें सर्वेक्षण किया गया	पी.ए.सी. द्वारा तय की गई सर्वेक्षण की अवधि
मीठा पानी पारिस्थितिकी तंत्र, भोज, मध्य प्रदेश	2005-2006	2006-2009
सिमलीपाल, ओडिशा	2001-2003	2006-2008
महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2005-2008	2008-2010
सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान	2003-2006	2008-2010
प्वाइंट कलिमोरे वन्य जीवन अभयारण्य, तमिलनाडु	2003-2006	2008-2010

अधिदेश (1987) के पुनरीक्षण से पहले भा.प्रा.स. का ध्यान जीव संसाधनों के समन्वेषण और सर्वेक्षणों पर केन्द्रित था। सी.बी.डी. की घोषणा के बाद, भा.प्रा.स. के अधिकार-पत्र को भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थिकी तंत्रों संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। पुनरीक्षित अधिदेश में अतिरिक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, पी.ए.सी. ने चयनित क्षेत्रों के सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण की योजना बनाई। इस संदर्भ में, उपरोक्त चार क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण इस अवधि से पूर्व के थे।

इस प्रकार, यद्यपि पुनरीक्षित अधिकार-पत्र के अनुरूप सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी कार्य के लिए व्यापक समयबद्ध योजना थी, भा.प्रा.स. ने कार्य के लक्षित समय को नज़रअंदाज़ कर दिया। इसका असर जीव प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्रों में सी.बी.डी. के उद्देश्यों के कार्यान्वयन पर पड़ा।

(ii) सर्वेक्षण करने हेतु मानक कार्यप्रणाली का अभाव

एम.ओ.ई.एफ. ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) की गतिविधियों के संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित (जुलाई 2009) की। टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों में से एक भा.प्रा.स. की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के क्रम उसके मौजूदा अधिकार-पत्र, उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना, मानव शक्ति और बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना था।

अपने प्रतिवेदन (2009-10) में, टास्क फोर्स ने आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आलोक में व्यापक आधार वाली विशेषज्ञ विमर्श के माध्यम से वर्तमान मात्रात्मक सर्वेक्षण तकनीकों को शामिल करते हुए विभिन्न टैक्सा⁵¹ और पारिस्थितिकी प्रणालियों से सम्बद्ध भा.प्रा.स. के सर्वेक्षण नियमावली के अद्यतन करने एवं मानकीकरण करने की सिफारिश की। लेखापरीक्षा में पाया कि भा.प्रा.स. द्वारा इस प्रकार की कोई नियमावली तैयार नहीं की गई।

2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान भा.प्रा.स. द्वारा कुल 248 दौरे किए गए जिसमें से क्रमशः 97 पारिस्थिकी तंत्रों और 151 आरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित थे। लेखापरीक्षा ने अधिकतर मामलों में पाया कि किए गए सर्वेक्षण में पी.ए.सी. की कार्य योजना में सर्वेक्षण हेतु निर्धारित क्षेत्रों से इतर के क्षेत्रों को शामिल किया गया।

⁵¹ प्रजातियों के समूहों का वैज्ञानिक वर्गीकरण

248 दौरों में से चयनित राज्यों, पारिस्थिकी तंत्रों तथा संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित 20 दौरों पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दौरा प्रतिवेदन का कोई मानक प्रारूप नहीं था।
- वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दौरा प्रतिवेदनों को तैयार करने हेतु कोई मानक तंत्र नहीं था।
- यद्यपि, दौरे का प्रतिवेदन निदेशक, भा.प्रा.स. के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु सक्षम प्राधिकारी का औपचारिक अनुमोदन दर्ज नहीं किया गया।
- सर्वेक्षण में अपनाये गए बुनियादी गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों जैसे कि और नक्शे, क्षेत्र में जैव विविधता मूल्यांकन, सर्वेक्षित प्रजातियों का महत्व/जोखिम, पूर्व के सर्वेक्षण के साथ सर्वेक्षण का नमूना चयन के लिए प्रयोग किए गए तकनीकों, क्षेत्र पहचान, सर्वेक्षण और संरक्षण आदि का उपयोग करते हुए 20 सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में से 18 सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को शामिल नहीं किया गया।

भा.प्रा.स. में अनुमोदित मानदंड और सर्वेक्षण नियमावली के अभाव में, यह तुलना करना कि क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा परिकल्पित वर्तमान मात्रात्मक सर्वेक्षण की तकनीक पर विचार करते हुए सर्वेक्षण किया गया है, संभव नहीं था। इसलिए, सर्वेक्षण के लिए मानकीकृत नियमावली या अनुमोदित पद्धति के अभाव में, मात्रात्मक और गुणात्मक अर्थ में सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण या मूल्यांकन के लिए न तो कोई गुंजाइश और न ही मापदंड छोड़ते हुए, वास्तविक सर्वेक्षण कार्य संबन्धित वैज्ञानिकों के विवेक पर छोड़ दिया गया।

एम.ओ.ई.एफ. ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार (मार्च 2014) किया और बताया कि उसने कई सुधारात्मक कार्रवाई किये जैसे कि दौरा प्रतिवेदनों के प्रारूप तथा जमा करने एवं जांच करने की प्रक्रिया का मानकीकरण, पशु समूहों के सर्वेक्षण हेतु मानक तरीकों एवं सर्वेक्षण नियमावली में टास्क फोर्स की सिफारिशों को समाहित करना आदि, जिसे भा.प्रा.स. द्वारा 2013-14 के बाद क्रियान्वित किया जाएगा।

(iii) जैव विविधता की निगरानी

निगरानी को विचाराधीन स्थान के जीव संयोजन और व्यवहार में वर्षों में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, की प्रवृत्ति की जांच के रूप में माना जाता है। सी.बी.डी. के

अनुच्छेद 7 के अनुसार जैव विविधता की निगरानी का उद्देश्य, नमूने और अन्य तकनीकों के माध्यम से, पहचान किए गए जैव विविधता के घटकों पर तत्काल संरक्षण के उन उपायों की आवश्यकता और उन गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हुए, जो संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती है, की प्रक्रियाओं और श्रेणियों की पहचान करने के साथ-साथ सतत उपयोग के लिए सबसे बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं, की निगरानी करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. द्वारा आरंभ से ही सर्वेक्षण एवं समन्वेषण गतिविधियों के लिए योजना के अनुसार प्रजातिवार निगरानी नहीं की गई। इसके अलावा, भा.प्रा.स. द्वारा क्षेत्रवार निगरानी गतिविधियां नहीं की गई।

भा.प्रा.स. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2012) कि देश के किसी विशेष क्षेत्र की प्रजातिवार पुनर्सर्वेक्षण का खाका खींचना बाकी था। उसने बताया कि अधिकतर पारिस्थिकी तंत्रों एवं जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों के जीव संयोजन का समन्वेषण और प्रलेखन सिर्फ अस्सी के दशक से शुरू किया गया था और सभी वन्य जीवों पर नजर रखना संभव नहीं था क्योंकि निगरानी के लिए बार-बार एक ही क्षेत्र के दौरे की आवश्यकता पड़ती है। भा.प्रा.स. ने यह भी कहा कि पूरे देश को कवर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया (मार्च 2014) कि जैव विविधता की निगरानी या स्थानिक में परिवर्तन एवं प्रजातियों के लौकिक वितरण का प्रलेखन करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त मानव शक्ति तथा वन/वन्यजीव प्राधिकारों के समर्थन एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है। भा.प्रा.स. संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धकों से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कई कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर सका।

भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. के उत्तर से संकेत मिलता है कि भा.प्रा.स. ने देश में जैव विविधता की निगरानी हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की। इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि भा.प्रा.स. एम.ओ.ई.एफ. का एकमात्र अधीनस्थ एवं प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्र में सी.बी.डी. की प्रतिबद्धताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संगठन है और इसीलिए इस गतिविधि को शुरू करने तथा योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, सर्वेक्षण का लक्ष्य भा.प्रा.स. के उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उत्तर को भी इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि कई क्षेत्रों के लिए भा.प्रा.स. ने सर्वेक्षण आरंभ ही नहीं किया।

2005-12 के दौरान नियमित योजना बजट के तहत अपनी गतिविधियों के अलावा भा.प्रा.स. ने कुछ चयनित प्रजातियों की निगरानी पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित तीन परियोजनाओं को शुरू किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन तीनों परियोजनाओं में से कोई भी योजना पूरी नहीं की गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- भा.प्रा.स. ने अंडमान और निकोबार अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर (ए.एन.आर.सी.) द्वारा कार्यान्वित कराये जाने हेतु पांच साल की अवधि के लिए ₹1.27 करोड़ की लागत से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (फरवरी 2002) द्वारा मंजूर की गई 'भारत में प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण एवं निगरानी' नामक एक परियोजना हाथ में लिया। परियोजना के उद्देश्य भारत के भारत की प्रवाल भित्तियों का सर्वेक्षण एवं निगरानी करना, प्रवाल की विविधता और वितरण की जांच करना, प्रवाल भिती पारिस्थितिकी तंत्र पर अध्ययन करना तथा भारत के प्रवाल पर आंकड़े तैयार करना/संग्रह प्रकाशित करना था। यद्यपि, भा.प्रा.स. ने 2001-02 के दौरान ₹52.65 लाख की लागत से उपकरण खरीदा तथापि ए.एन.आर.सी. को भा.प्रा.स. द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण कार्य आगे जारी नहीं रह सका। परियोजना सात साल के अंतराल के बाद अप्रैल 2009 में फिर से शुरू की गई और ₹70.99 लाख के कुल व्यय के बाद मई 2011 में पूरी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि विभिन्न प्रवाल द्वीपों में सर्वेक्षण शुरू किया गया था तथापि आंकड़े/संग्रह पुस्तिका प्रकाशित नहीं की गई।

ए.एन.आर.सी. ने कहा (अक्टूबर 2012) कि प्रकाशन हेतु संग्रह पुस्तिका भा.प्रा.स. मुख्यालय में प्रस्तुत (अगस्त 2010) की गई थी जिसके बाद फरवरी 2011 में दिया गया। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया (मार्च 2014) कि 2010 एवं 2012 के बीच विभिन्न जीव समूहों पर छह शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि छह शोध-पत्रों में से सिर्फ दो प्रवालों से संबन्धित थे। भारत के प्रवालों से संबन्धित अध्ययनों एवं संग्रह पुस्तिका के प्रकाशन की स्थिति के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।

- भा.प्रा.स. ने (मार्च 2008) ए.एन.आर.सी. द्वारा कार्यान्वित कराये जाने हेतु तीन साल की अवधि के लिए ₹15.05 लाख की लागत से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई 'रानी झाँसी मरीन नेशनल पार्क के प्रवाल की विविधता एवं वितरण तथा उससे सम्बद्ध जीव' नामक एक परियोजना हाथ में लिया। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवाल भित्तियों का अध्ययन एवं सतत निगरानी करना, क्षेत्र पथप्रदर्शक तैयार करना और भौगोलिक सूचना प्रणाली

का उपयोग करते हुए प्रवाल भित्तियों का मानचित्रण करना था। परियोजना अप्रैल 2009 में शुरू की गई और ₹7.51 लाख व्यय करने के बाद पूर्ण करने के लिए निर्धारित वर्ष के एक साल पहले ही बंद कर दी गई। परियोजना के पूरा होने का प्रतिवेदन अक्टूबर 2012 तक तैयार नहीं किया गया था।

यद्यपि, एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि परियोजना के पूरा होने का प्रतिवेदन भा.प्रा.स. द्वारा 2012 के दौरान प्रस्तुत किया गया था किन्तु भा.प्रा.स. के अभिलेखों में ऐसा नहीं पाया गया। उत्तर में क्षेत्र गाइड्स की तैयारी और प्रवाल भित्तियों के मानचित्रण की स्थिति पर चुप्पी साध ली गयी।

- दो वर्षों की अवधि हेतु ₹21.92 लाख की लागत से 'लिटिल अंडमान द्वीप के आसपास पारिस्थितिकी परिवर्तनशीलता का जी.आई.एस. आधारित मैपिंग और विश्लेषण' शीर्षक से एम.ओ.ई.एफ. द्वारा मंजूरी (मार्च 2008) दी गई एक अन्य परियोजना के संबंध में भा.प्रा.स. ने बताया (अक्टूबर 2012) कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना के अंतर्गत ₹14.96 लाख (मार्च 2011) का व्यय किया गया था।

एम.ओ.ई.एफ. ने स्वीकार किया कि (मार्च 2014) इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. अपने पुनरीक्षित अधिकार-पत्र के अनुसार जैव विविधता की निगरानी हेतु कार्य योजना तैयार करने में न सिर्फ विफल रहा बल्कि इस संबंध में शुरू की गई विशेष परियोजनाओं को भी यह पूरा नहीं कर सका।

6.1.2.2 वर्गीकरण अध्ययन

भा.प्रा.स. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक संग्रहीत किए गए सभी जीव घटकों का वर्गीकरण⁵² अध्ययन भी था। यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि जीवों और उनकी विशेषताओं तथा गुणों पर आंकड़ों के विभिन्न समूह के बीच कड़ी होने के कारण, उनके नाम ही मुख्य सूत्रधार होते हैं जिससे प्रजातियों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत जीवों, जो पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संकेत के लिए

⁵² वर्गीकी(Taxonomy), नामकरण का वर्णन और जीवों को वर्गीकृत करने का विज्ञान है।

महत्वपूर्ण हैं, की उपस्थिति की पहचान किए बिना पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य की निगरानी नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समन्वेषण/सर्वेक्षण के दौरान संग्रहीत किए गए काफी मात्रा में नमूने पहचान किए के लिए प्रतीक्षित थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

वर्गीकरणकर्ताओं की क्षमता निर्माण में कमी के कारण पशु नमूनों की वर्गिकी व्याख्या में कमी

वर्ष 2005-06 में, भा.प्रा.स. के पास नमूनों के 1,11,750 प्रारंभिक शेष थे जिनमें से 18,033 कशेरुकी एवं 93,717 अकशेरुकी थे। 2005-11⁵³, के दौरान, भा.प्रा.स. ने 8951 कशेरुकी एवं 41,872 अकशेरुकीय का स्टॉक एकत्र किया। हालांकि, भा.प्रा.स. 54,904 नमूनों के वर्गीकरण पहचान में सक्षम था जो कि कुल एकत्रित नमूनों का 34 फीसदी था।

भा.प्रा.स. ने नमूनों की पहचान की कम दर के संबंध में कहा (अगस्त 2010) की वर्गीकरणकर्ता विभिन्न समूहों के पशु प्रजातियों की उपलब्धता / बहुतायत के संबंध में कभी प्रचुर मात्रा में नहीं थे।

लेखा परीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. में काम कर रहे वर्गीकरणकर्ताओं की संख्या भा.प्रा.स. में वर्गीकरणकर्ता की स्वीकृत संख्या से काफी कम थी जिसे विस्तृत रूप से तालिका 9 में दर्शाया गया है।

तालिका 9: स्वीकृत एवं कार्यरत वर्गीकरणकर्ता

वर्ष	वर्गीकरणकर्ताओं की स्वीकृत संख्या	उपलब्ध वर्गीकरणकर्ताओं की संख्या
31-03-2006	146	84
31-03-2007	136	83
31-03-2008	136	78
31-03-2009	136	80
31-03-2010	136	69
31-03-2011	136	75
31.03.2012	136	83

⁵³ वर्ष 2011-12 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी।

वर्गीकरणकर्ता के लिए मूलभूत वांछनीय योग्यता प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। हालांकि एक आकांक्षी वर्गीकरणकर्ता को वर्षों तक एक विशेषज्ञ के अंदर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, क्षेत्र सर्वेक्षण में अनुभव प्राप्त करना पड़ता है, संग्रहालय नमूनों का अध्ययन, तथा शोध पत्रों को वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करवाना पड़ता है। अतएव वर्गीकरण अध्ययन का संचालन करने के लिए विशेष मानवशक्ति के निर्माण के साथ समय और प्रशिक्षण के मामले में काफी निवेश की आवश्यकता पड़ती है।

विभिन्न समूहों के पशु प्रजातियों की उपलब्धता / बहुतायत के संबंध में वर्गीकरणकर्ता की कमी को देखते हुए, लेखा परीक्षा ने भा.प्रा.स. के वर्गीकरणकर्ता के स्टॉक निर्माण के संबंध में की गई कार्रवाई की जांच में पाया कि:

- 2001 में भा.प्रा.स. के कामकाज की समीक्षा के दौरान, वर्गीकरण अध्ययन पर भारी बकाया से निपटने के लिए एक रणनीति प्रस्तावित किया गया था, जिसमें मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से वैज्ञानिकों का पुनर्नियोजन, विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों की पहचान, भा.प्रा.स. के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की पुनर्नियोजन एवं विदेशों में भा.प्रा.स. वैज्ञानिकों की प्रशिक्षण अंतर्निहित थी। लेखा परीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. ने उपर्युक्त उपायों में से किसी पर कार्रवाई नहीं की।

भा.प्रा.स. ने (अक्टूबर 2012) स्वीकार किया कि वर्गीकरण अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों/ वैज्ञानिक संस्थानों से विशेषज्ञों के पुनर्नियोजन कि कार्रवाई की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई थी। भा.प्रा.स. ने इस बात की भी पुष्टि की, कि चयनित वैज्ञानिकों में से किसी को भी विदेश में प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान भा.प्रा.स. ने 27 वर्गीकरणकर्ता की भर्ती की थी। 27 वर्गीकरणकर्ता में से, 25 की नियुक्ति वैज्ञानिकों के लिए प्रवेश स्तर यानी वैज्ञानिक सी के रूप में की गई। भर्ती वर्गीकरणकर्ता की संख्या अभी भी काम को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इस तथ्य को देखते हुए यह और भी गंभीर था कि भा.प्रा.स. द्वारा किसी भी वर्गीकरणकर्ता को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

- भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या के साथ 2005-11 के अवधि के दौरान नमूनों पहचान की संख्या के विश्लेषण में यह उजागर हुआ कि वर्गीकरणकर्ता ने एक वर्ष के दौरान औसतन, 117 नमूनों का निष्पादन किया। इनके विवरण तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 10: 2005-06 से 2010-11 तक प्रति वर्ष वर्गीकरणकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए नमूनों की संख्या

वर्ष	पहचान नमूनों की संख्या	उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या	नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान निष्पादित
2005-06	10,347	84	10,347	123
2006-07	10,089	83	10,089	122
2007-08	8,983	78	8,983	115
2008-09	8,482	80	8,482	106
2009-10	7,818	69	7,818	113
2010-11	9,185	75	9,185	122
वर्गीकरण वैज्ञानिक द्वारा प्रति वर्ष पहचान नमूनों की औसत संख्या			117	
उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता द्वारा इस कार्य दर से 1,07,669 बकाया नमूनों के वर्गीकरण कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या			12	

1,07,669 संग्रहीत बकाया नमूनों के साथ मार्च 2011 में शेष बचे पहचान नमूनों की संख्या से, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या एवं भा.प्रा.स.द्वारा वर्गीकरण अध्ययन की पूर्णता के लिए उपलब्ध संग्रहीत सामग्री के मध्य असंतुलन की स्थिति थी।

एम.ओ.ई.एफ. ने (मार्च 2014) स्वीकार किया की भा.प्रा.स. में वर्गीकरणकर्ता की कमी ने वर्गीकरण कार्य की प्रगति को बाधित किया था। एम.ओ.ई.एफ. ने कहा की भा.प्रा.स. के वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक कार्य के देखरेख के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे। एम.ओ.ई.एफ. ने बाद में यह भी कहा की मंत्रालय का संचालन अक्टूबर 2012 में आयोजित सी.बी.डी. में दलों के सम्मेलन द्वारा अपनाई गई फैसले से होता है एवं भारत की रूख और प्रतिबद्धता अपनाई गई निर्णय की सीमा के दायरे में था। 'ग्लोबल वर्गीकरण पहल के लिए क्षमता निर्माण की रणनीति' पर उक्त दस्तावेजों की समीक्षा ने यह उजागर किया की उल्लिखित विभिन्न वर्ष-वार कार्यवाहियों में से, एक कार्रवाई को एम.ओ.ई.एफ. द्वारा 2013 के अंत तक पूरा किया जाना था, एवं इसे वर्गीकरण आवश्यकता एवं क्षमता की संवीक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय स्तर पर संभाषण को लागू करने के लिए एवं जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजना की तैयारी एवं प्राथमिकताएं तय करना था।

एम.ओ.ई.एफ. हालांकि, एम.ओ.ई.एफ. / भा.प्रा.स. द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के संबंध में चुप रहे।

इस प्रकार, हालांकि भा.प्रा.स. अपर्याप्त प्रशिक्षित वर्गीकरणकर्ता द्वारा जीव संबंधी नमूनों की पहचान एवं विवरण के कार्य को संपादित करने के दबाव से अवगत थे परंतु इनके द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए की गई कार्यवाही की व्याख्या नहीं की गई थी।

अनुशंसा 1:

भा.प्रा.स. को सी.बी.डी. में दलों के सम्मेलन में परिकल्पित राष्ट्रीय, उप-क्षेत्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर अपनी क्षमता व टैक्सोनोमिक आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करना चाहिए तथा बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त क्षमताओं का निर्माण करने एवं प्रजातियों के टैक्सोनोमिक पहचान में शेष कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

6.1.2.3 संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समीक्षा

भा.प्रा.स. का प्राथमिक उद्देश्य प्रजातियों पर आवधिक स्थिति सर्वेक्षणों का था जिसकी लुप्तप्राय के रूप में पहचान की गई थी। यदि यह विलुप्त, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त या स्थिर है, के मामले में स्थिति सर्वेक्षण एक विशेष प्राणी की स्थिति का पता लगाने के क्रम में किया जाता है। स्थिति सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, परिणामों को रेड डाटा पुस्तकों (आर.डी.बी.) में प्रकाशित किया गया है। आर.डी.बी. प्रजातियों का विवरण देता है जो विलुप्त होने के खतरे में माना जाता है। वे खतरे के स्तर का एक संकेत के साथ संबंध प्रजातियों की आबादी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं (जैसे संकटग्रस्त, गंभीर रूप से लुप्तप्राय इत्यादि)। प्रजातियों के विवरण का वर्णन के अलावा, सुझाव दिए गए संरक्षण के उपायों पर एक खंड खाते में भी शामिल करता है, जो जानवरों के अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए आवश्यक कार्रवाई⁵⁴ पर सिफारिशें भी शामिल है। प्रस्तावों में मुख्य रूप से पशुओं के

⁵⁴ (1) कानूनी कार्रवाई: (क) नए कानून बनाना या मौजूदा कानून के तहत शक्तियों का बेहतर उपयोग करना, (ख) एक विशेष अंतरराष्ट्रीय परंपरा को बनाना, (ग) संरक्षण क्षेत्रों के संबंध में कानून प्रवर्तन में सुधार करना; (2) नए संरक्षण क्षेत्रों की घोषणा करना; (3) एक सतत वैज्ञानिक कार्य योजना स्थापित करना; (4) शैक्षिक/सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना; (5) मौजूदा संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना; (6) एक प्रजाति को स्थानान्तरण/बंदी नस्ल स्टॉक को छोड़ना या भोजन की आपूर्ति बढ़ाना या वास प्रबंधन द्वारा रहने का स्थान बढ़ाना के द्वारा पुनः स्थापित करना और (7) जंगली/संकर पशुओं को नियंत्रित करना

संरक्षण से संबंधित है और इनके वास एवं इनके अस्तित्व के लिए खतरों का उन्मूलन शामिल है।

भा.प्रा.स. की आर.डी.बी. पिछले 1994 के दौरान अद्यतन किया गया था। ऑडिट ने कहा कि उक्त स्थिति सर्वेक्षण करने के लिए अवधि निर्दिष्ट नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति तालिका 11 में दर्शायी गई है।

तालिका 11: संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या का विवरण

श्रेणी	31.03.11 तक संकटग्रस्त रूप में पहचान की गई प्रजातियों की संख्या	31.03.12 तक संकटग्रस्त रूप में पहचान की गई प्रजातियों की संख्या	वृद्धि (प्रतिशत में)
स्तनधारी	96	123	28
पक्षी	57	136	139
सरीसृप	25	35	40
उभयचर	66	74	12
मछलियाँ	40	65	63
कुल			
कशेरुकी	284	433	52
अकशेरुकी	111	उपलब्ध नहीं	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत में अकेले पिछले दो वर्षों में संकटग्रस्त प्रजातियों (कशेरुकी) की संख्या में 284 से 433 की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि आर.डी.बी. द्वारा 153 प्रजातियों के खातों (35 प्रतिशत) को ही किया गया है। इस प्रकार, लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण के संचालन में भा.प्रा.स. की गतिविधियां निरर्थक थीं।

2001 में अपने उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करने के बाद, भा.प्रा.स. ने 10 प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण 2012 तक पूरा हो जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। स्थिति तालिका संख्या 12 में दिया गया है।

तालिका 12: लक्षित प्रजातियों के सर्वेक्षण की स्थिति

क्र. सं.	लुप्तप्राय प्रजातियों के नाम	सर्वेक्षण की अवधि के लिए निर्धारित तिथि	अध्ययन पूरा होने के निर्धारित तिथि	शोध-पत्र के लिए निर्धारित तिथि	स्थिति	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	बिर्गस लाट्रो (केकडे)	1999-03	2005	2007	उपलब्ध नहीं	1999-05 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। 2005 में शोध-पत्र निकाला गया था।
2.	हिम तेंदुए	2003-06	2008	2010	लुप्तप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
3.	काली गर्दन वाले क्रेन	2003-06	2008	2010	संकटपूर्ण	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
4.	कोरल रीफ (निकोबार द्वीप)	2003-06	2008	2010	उपलब्ध नहीं	2006-09 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। शोध-पत्र निकाला नहीं गया था।
5.	केकडा	2003-06	2008	2010	उपलब्ध नहीं	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
6.	भारतीय जंगली गधा	2004-06	2008	2010	लुप्तप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
7.	दलदली हिरण	2006-10	2012	2014	अतिसंवेदनशील	2006-07 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। शोध-पत्र निकाला गया था।
8.	हंगुल कश्मीरी हिरण	2010-12	2014	2016	लुप्तप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
9.	हलोक गिबबन	2004-06	2008	2010	लुप्तप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
10.	निकोबार मेगापोड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2010-12	2014	2016	अतिसंवेदनशील	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

- 10 में से सात प्रजातियों पर स्थिति सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं किया गया था।
- बाकी बची हुई तीन प्रजातियाँ, जिन पर सर्वेक्षण शुरू किया गया था, मार्च 2014 तक केवल एक प्रजाति पर ही शोध-पत्र निकाला गया था।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने कहा कि भा.प्रा.स. ने इसके बजाय 2001-2012 के दौरान आठ⁵⁵ अन्य प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया और इसी अवधि के दौरान स्थिति प्रतिवेदन निकाले गए। हालांकि सर्वेक्षित प्रजातियों में से किसी भी प्रजाति के खातों को आर.डी.बी. में शामिल नहीं किया गया था।

भा.प्रा.स. (जुलाई 2011) ने कहा कि किसी जीव का स्थिति सर्वेक्षण करना तभी जरूरी होता है जब इसकी जरूरत पैदा होती है और यह एक नियमित काम नहीं था जो हर साल सभी प्राणी समूहों के लिए किया जा सके, क्योंकि भा.प्रा.स. का प्राथमिक काम सर्वेक्षण और सर्वेक्षित क्षेत्रों के प्राणी संसाधन का दस्तावेज़ बनाना था। एम.ओ.ई.एफ. (मार्च 2014) ने और बताया कि विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्रमों को शुरू नहीं किया जा सका। आर.डी.बी. को अद्यतन करने के संबंध में, एम.ओ.ई.एफ. ने कहा कि भा.प्रा.स. प्रजातियों के वैश्विक खतरे के आंकलन के अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयास में योगदान दे रहा था और भारत की प्रजातियों के खतरे के आंकलन के लिए आंकड़े उपलब्ध करा रहा था।

भा.प्रा.स के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा भा.प्रा.स का शासनादेश था। एम.ओ.ई.एफ. का उत्तर भा.प्रा.स के आर.डी.बी. का अद्यतन करने की स्थिति पर चुप था, यह तथ्य रह जाता है कि आर.डी.बी. को अंतिम बार 1994 में, अर्थात् 20 साल पहले अद्यतन किया गया था। इसके साथ देश में संकटग्रस्त प्रजाति की बढ़ती संख्या से इन प्रजातियों की समीक्षा और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

⁵⁵ (i) पश्चिमी ट्रेगोपान (ii) रौटोन के मुक्त पुच्छ चमगादड़ (iii) हिमालयी मरमोट (iv) खाद्य घोंसला स्विफ्टलेट (v) हिमालयी सलामेंडर (vi) कृष्णमृग (vii) ट्रोक्स निलोटिकस और (viii) कियांग

अनुशंसा 2:

भा.प्रा.स. को तय लक्ष्य के अनुसार संकटग्रस्त और स्थानिकी प्रजातियों कि आवधिक स्थिति सर्वेक्षण करना चाहिए। रेड डाटा पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति तुरंत अद्यतन करनी चाहिए ताकि संरक्षण प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

6.1.3 निष्कर्ष

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के एलान के साथ, एम.ओ.ई.एफ. ने भा.प्रा.स. के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया तथा 1993-2020 की अवधि हेतु अन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने और जैव विविधता की निगरानी और उनके प्रलेखन के लिए एक व्यापक रणनीति-संबंधी योजना तैयार की। लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित शासनादेश को पूरा करने में भा.प्रा.स. की गतिविधियाँ अपर्याप्त रूप से निष्पादित की गई थी। भा.प्रा.स. ने जीव संसाधनों की पहचान और उनको सूचीबद्ध करने के लिए परिकल्पना के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई और चयनित राज्यों, पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जीव खातों के प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों में पिछड़ गया था। आठ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण के संचालन के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया था। सर्वेक्षण करने के लिए या सर्वेक्षण रिपोर्ट के आकलन के लिए कोई मानक पद्धति नहीं थी। इस तरह, सर्वेक्षण का कार्य व्यावहारिक रूप से किसी भी निरीक्षण के बिना, संबंधित वैज्ञानिकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि भा.प्रा.स. ने जैव विविधता की निगरानी के क्षेत्र में संशोधित आदेश के अनुसार काम शुरू नहीं किया था। प्रजाति अनुसार और क्षेत्र अनुसार जैव विविधता की निगरानी नहीं की गई थी और इस बारे में कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई थी।

भा.प्रा.स. वर्गीकरणआत्मक अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति की क्षमता का निर्माण करने के संदर्भ में असमर्थ था। मार्च, 2012 तक, टेक्सोनोमिस्टों की कुल स्वीकृत संख्या का केवल 61 प्रतिशत उपलब्ध था। परिणामस्वरूप, भा.प्रा.स. पूरी तरह से वर्गीकरणआत्मक अध्ययन करने के अपने शासनादेश का निर्वहन करने में असमर्थ हुआ। इस अवधि के दौरान एकत्र की गई प्रजातियों की कुल संख्या में से केवल 34 फीसदी की वर्गीकरणआत्मक रूप से पहचान की गई थी।

वर्गीकरण अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुभव को महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया था। भा.प्रा.स. में कार्यरत 83 टेक्सोनोमिस्टों में से 27 की नियुक्ति गत पाँच सालों में हुई थी। तथापि, इनमें से किसी भी वैज्ञानिक को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

यह भी देखा गया कि संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समीक्षा पर बहुत सीमित काम किया गया था। 10 लक्षित प्रजातियों में से सात पर स्थिति सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. जैव विविधता कन्वेंशन के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पिछड़ गया था। काम की गति धीमी और इसमें शामिल बकाया काम की मात्रा के अनुरूप नहीं थी।

6.2 राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोएडा प्राधिकरण द्वारा इसे आवंटित भूमि पर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का विकास करने के लिए उसके साथ समझौता ज्ञापन करने में विफल हो गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास पर ₹11.54 करोड़ खर्च करने के बाद, 17 वर्षों से अधिक के बाद भी भूमि के स्वामित्व की स्थिति असुलझी रही और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का उद्देश्य भी मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने सातवीं पंचवर्षीय अवधि⁵⁶ के दौरान दिल्ली क्षेत्र में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (एन.बी.जी.) स्थापित करने का प्रस्ताव आरम्भ किया। परियोजना का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और संकटापन्न तथा संकटमय पौधों के संरक्षण तथा प्रचारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का वनस्पति उद्यान स्थापित करना था। तथापि परियोजना भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वित नहीं की गई थी। बाद में नोएडा⁵⁷ प्राधिकरण, उत्तरप्रदेश सरकार ने इस समझौते के अधीन लगभग 200 एकड़ जमीन एम.ओ.ई.एफ. को देने की पेशकश की, कि यदि अधिकार की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर एन.बी.जी. का विकास नहीं होता है तो भूमि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा किए गए निर्माण अनुरक्षण कार्यों की किसी प्रतिपूर्ति बिना उस पर कुछ भी निर्माण के साथ नोएडा प्राधिकरण को स्वतः वापस हुई मानी जाएगी (मार्च 1997)।

⁵⁶ 1985 से 1990

⁵⁷ न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को प्रस्तुत किया गया था जिसने ₹ 38.88 करोड़ के परिव्यय पर परियोजना अनुमोदित की (जुलाई 2000)। साथ ही एम.ओ.ई.एफ. ने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में एन.बी.जी. की स्थापना का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी परन्तु यह वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने, इस आधार पर कि इसके कारण वित्तीय अभिधानों जैसे पदों का सृजन, आवर्ति लागतें आदि वाले स्वायत्त निकायों का प्रचुरोदभवन होगा, इसे अस्वीकार कर दिया (जुलाई 2001)। परिणामस्वरूप एम.ओ.ई.एफ. ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.), एम.ओ.ई.एफ. के एक अधीनस्थ कार्यालय, द्वारा निर्मित परियोजना के रूप में एन.बी.जी. स्थापित करने के लिए ई.एफ.सी. को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2002)। ई.एफ.सी. ने नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि⁵⁸ के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए ₹37.78 करोड़ के कुल परिव्यय पर संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (जनवरी 2002)।

इसी बीच नोएडा प्राधिकरण ने एम.ओ.ई.एफ. से उत्तर के अभाव में भूमि का आवंटन रद्द कर दिया (जून 2001)। बाद में एक बैठक (अगस्त 2001) के दौरान नोएडा प्राधिकरण ने परियोजना में भागीदारी में अपनी रुचि का संकेत दिया ताकि वर्तमान अथवा नए स्टाफ, जैसी आपसी सहमति हुई, से परियोजना पर देखभाल/आवर्ती खर्च जारी रखा जाएगा। यह भी सहमति हुई कि एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) तैयार किया जाएगा तथा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।



राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का अविकसित स्थल

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2002 से 2006 तक के दौरान वनस्पति उद्यान की स्थापना में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी और चारदीवारी, सड़कें तथा सीवर को छोड़कर (₹ 55.56 लाख के खर्च पर) कोई योजनागत कार्य⁵⁹ पर नहीं किए गए थे। बाद में नोएडा प्राधिकरण ने, आवंटन से नौ वर्षों के बाद भी आधारभूत संरचना के अपर्याप्त विकास के कारण, आवंटन फिर रद्द कर

⁵⁸ नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि: 1997 से 2002 और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि: 2002 से 2007

⁵⁹ कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन, रक्षक गृह, जलीय समूह और बरसाती जल निकास, जल आपूर्ति वितरण, ओवरहेड टैंक, पम्प हाउस आदि का निर्माण

दिया (जुलाई 2006)। एम.ओ.इ.एफ. ने एन.बी.जी. से संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए एम.ओ.इ.एफ. तथा नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी बहुअनुशासनात्मक विशेषज्ञ समिति (एम.डी.ई.सी.) का गठन किया (सितम्बर 2006)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सितम्बर 2006 में इसकी स्थापना से एम.डी.ई.सी. की एक भी बैठक नहीं हुई थी।

एम.ओ.इ.एफ. द्वारा व्यक्त तात्कालिकता के दृष्टिगत, नोएडा प्राधिकरण ने वनस्पति उद्यान के विकास के लिए भौतिक कार्य करने के लिए मंत्रालय को अनुमति दे दी (सितम्बर 2007)। ₹37.78 करोड़ के कुल परिव्यय में से पूंजीगत तथा आवर्ती खर्च के प्रति 2013 तक परियोजना पर ₹ 11.54 करोड़ खर्च किया गया था।



लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. केवल सितम्बर 2010 में एम.ओ.इ.एफ. द्वारा अंतिम किया गया था। ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. में एम.ओ.इ.एफ. तथा नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से प्रबन्धित स्वायत्त संस्थान के रूप में वनस्पति उद्यान के विकास का प्रस्ताव किया गया। तथापि, एम.ओ.यू. सितम्बर 2013 तक अंतिम नहीं किया गया था और भूमि का अधिकार अस्पष्ट रहा। इसके अलावा स्वायत्त संस्थान के रूप में एन.बी.जी. के कार्यचालन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही अस्वीकृत हो चुका था।

इस प्रकार भूमि के स्वामित्व का मामला सुलझाने अथवा नोएडा प्राधिकरण द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति के 12 वर्ष बाद भी उसके साथ एम.ओ.यू. अंतिम करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो गई जहां एम.ओ.इ.एफ. को आवंटित भूमि का अधिकार अस्पष्ट रहा।

एम.ओ.इ.एफ. ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि एम.ओ.यू. का अंतिमीकरण लम्बित होने पर भूस्वामित्व के विषय पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। एम.ओ.इ.एफ. ने आगे बताया (अप्रैल 2014) कि ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. 2011 में नोएडा को भेजा गया था परन्तु कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। एम.ओ.इ.एफ. ने आगे बताया कि चूंकि भूमि आवंटन नोएडा द्वारा रद्द किया गया था इसलिए एम.डी.ई.सी. द्वारा कोई प्रमुख कार्रवाई नहीं की जा सकी।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाय कि एम.डी.ई.सी., जो दोनों पार्टियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी थी, की नियमित बैठकें, भूमि के विवादित अधिकार और एम.ओ.यू. के

अंतिमीकरण के समाधान को सरल बना सकती थीं। उसके अलावा तथ्य यह शेष रहा कि ₹ 11.54 करोड़ खर्च करने के बाद भूमि का अधिकार अनिश्चित रहा और देश में पारितंत्र के प्रतिनिधि संकटग्रस्त पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास का उद्देश्य मार्च 2014 तक अप्राप्त रहा।

6.3 कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लगभग 29 महीनों के लिए किराए के परिसर में 17 में से 13 कक्षाओं का उपयोग करने में विफल हो गया, जिससे किराए तथा ब्याज के बकाया देयों के प्रति ₹ 4.43 करोड़ की देयता उठाने के अतिरिक्त, उनके नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12 लाख का व्यय व्यापक रूप से अपव्यय हो गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) का कार्यालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित है। एम.ओ.ई.एफ. ने अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए अपर्याप्त स्थान, मंत्रालय में पदों की संख्या में वृद्धि तथा अग्नि दुर्घटना के कारण हुई व्यापक हानि के आधार पर अतिरिक्त कार्यालय स्थान किराए पर लेने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2009)। सम्पदा निदेशालय से “अनुपलब्धता प्रमाणपत्र” प्राप्त होने के बाद (जून 2009) एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 100 प्रति वर्ग फीट जमा 5 प्रतिशत सफाई प्रभारों के मासिक किराए पर, नई दिल्ली नगर परिषद (एन.डी.एम.सी.) से पालिका भवन, नई दिल्ली में 6 तथा 7 मंजिल पर 9,755 वर्ग फीट कार्यालय स्थान किराए पर लिया (जुलाई 2009)। आवंटन की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार एम.ओ.ई.एफ. को ₹ 98.52 लाख की राशि जो दो माह की अग्रिम लाइसेंस फीस, दो माह के सफाई प्रभार और प्रतिभूति जमा के रूप में आठ माह की अग्रिम लाइसेंस फीस के बराबर था, का भुगतान करना था। तदनुसार एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 98.52 लाख व्यय करने की संस्वीकृति जारी की (जुलाई 2009) और एन.डी.एम.सी. को ₹ 50 लाख जारी किए।

एम.ओ.ई.एफ. ने पालिका भवन में आवंटित कार्यालय स्थान का नवीकरण करने के लिए भी एन.डी.एम.सी. से अनुरोध किया (अगस्त 2009)। एन.डी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत (नवम्बर 2009) अनुमान के आधार पर, एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 1.31 करोड़ की लागत पर नवीकरण का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया (फरवरी 2010) और एन.डी.एम.सी. को स्थान सौंप दिया। जून 2010 तथा अक्टूबर 2010 के बीच, एम.ओ.ई.एफ. ने नवीकरण कार्य के प्रति, साथ ही फर्नीचर तथा फिक्चर के प्रतिष्ठापन हेतु, एन.डी.एम.सी. को ₹ 1.37 करोड़ की राशि जारी की।

एन.डी.एम.सी. द्वारा नवीकरण पूरा किया गया और एम.ओ.ई.एफ. ने 17 कक्षों से बनें नवीकृत कार्यालय स्थान को अपने अधिकार में ले लिया (अप्रैल 2011)। तथापि 17 कक्षों में से केवल चार कक्ष एम.ओ.ई.एफ. के दो अनुभागों द्वारा अधिकार में लिए गए थे और शेष खाली रखे गए थे। उसके बाद एम.ओ.ई.एफ. ने नए परिसरों में अपना कार्यालय पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.)⁶⁰ को निर्देश दिया परन्तु यह किया नहीं गया था।



पालिका भवन में अप्रयुक्त कक्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम.ओ.ई.एफ. ने नए परिसरों में अपने प्रभागों/अनुभागों को हटाने के लिए या तो स्थान किराए पर लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अथवा पालिका भवन में परिसरों को अंतिम करते समय, कोई विशेष योजना तैयार नहीं की थी। यद्यपि ये परिसर केवल अपने वर्तमान कार्यालय की भीड़ हटाने के प्रयोजन हेतु किराए पर लिए थे परन्तु एम.ओ.ई.एफ. अपने किसी अन्य प्रभागों/अनुभागों को 13 खाली कक्ष आवंटित करने में असमर्थ था।



अप्रयुक्त सज्जित सभा कक्ष

बाद में एम.ओ.ई.एफ. को सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में सम्पदा निदेशालय द्वारा कार्यालय स्थान आवंटित किया गया था (नवम्बर 2011) और पालिका भवन का कार्यालय स्थान खाली करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2012)। एम.ओ.ई.एफ. ने पालिका भवन के अप्रयुक्त फर्नीचर तथा फिक्चर को छोड़ने का भी प्रस्ताव किया और लाइसेंस फीस तथा अन्य प्रभारों के प्रति एम.ओ.ई.एफ. द्वारा देय के ₹1.37 करोड़ की लागत का समायोजन करने का एन.डी.एम.सी. से अनुरोध किया।

तथापि एन.डी.एम.सी. ने एम.ओ.ई.एफ. का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और ₹4.43 करोड़ (लाइसेंस फीस के बकाया के रूप में ₹3.83 करोड़ तथा ब्याज के प्रति ₹60 लाख सहित) के बकाया देयों का भुगतान करने का एम.ओ.ई.एफ. से अनुरोध किया (जुलाई 2013)।

⁶⁰ एम.ओ.ई.एफ. के अधीन एक यूनिट

फर्नीचर तथा फिक्चर को रखे रहने के लिए एन.डी.एम.सी. की अस्वीकृति को देखते हुए एम.ओ.ई.एफ. ने परिसरों को औपचारिक रूप से खाली कर दिया (अक्टूबर 2013) और पालिका भवन से फर्नीचर, वर्क स्टेशन आदि को सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में इसको आवंटित अतिरिक्त कार्यालय स्थान में (नवम्बर 2012 के बाद) और जोर बाग, नई दिल्ली में एम.ओ.ई.एफ. के नए भवन में (सितम्बर 2013) ले गए।

इस प्रकार, पालिका भवन में किराए के कार्यालय स्थान का एम.ओ.ई.एफ. द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था और कुल मिलाकर 29 महीनों (अप्रैल 2011 से सितम्बर 2013 तक) के लिए खाली रहा। यद्यपि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा हटाई गई मदों तथा उनके मूल्य के सही ब्यौरे नहीं प्रस्तुत किए गए थे परन्तु एम.ओ.ई.एफ. द्वारा किए गए निर्धारण (दिसम्बर 2009) के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि पालिका भवन में निर्मित कुल कार्य का ₹ 41.42 लाख की मात्रा तक किया गया कार्य वसूली योग्य नहीं होगा। इसलिए किराए के स्थान का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफलता से नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12⁶¹ लाख का व्यय अपव्यय हो गया क्योंकि 17 में से केवल चार कक्षों का उपभोग किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. बकाया देयों के रूप में एन.डी.एम.सी. को ₹4.43 करोड़ की राशि का भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (अप्रैल 2014) कि महिला स्टाफ की सुरक्षा चिंताओं के कारण एन.ए.ई.बी. को पालिका भवन में स्थानांतरित नहीं किया जा सका। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया कि एन.ए.ई.बी. को स्थानांतरित न करने के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.सी. परिसरों से स्थानांतरण की लागत के प्रति बचत हुई। उत्तर को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि अनेक सरकारी कार्यालय जैसे वित्त मंत्रालय के अधीन सेंट्रल प्लान स्कीम मानीट्रिंग सिस्टम, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन एक कम्पनी और एन.डी.एम.सी. का उप पंजीयक जन्म तथा मृत्यु कार्यालय पालिका भवन में पहले ही कार्य कर रहे थे। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की भी पुष्टि करता है कि एम.ओ.ई.एफ. की पालिका भवन में परिसरों के अधिभोग की कोई निश्चित योजना नहीं थी और अपने कार्यालयों को स्थानांतरित करने के प्रति उसकी सभी कार्रवाईयां आकस्मिक थीं।

इस प्रकार किराए पर कार्यालय स्थान के आवंटन में अग्रिम योजना की कमी तथा इष्टतम रूप से उसका उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹91.12 लाख का व्यय अपव्ययी हो गया और बकाया देयों के कारण एन.डी.एम.सी. को ₹4.43 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी हुई।

⁶¹ ₹ 41.42 लाख जमा किराए के प्रति प्रदत्त ₹ 50 लाख

6.4 नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत चयनित 10 राज्यों में ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ के 10 वर्षों के बाद और ₹24.80 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्थापित नहीं की गई थीं। सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी की गई जिसके कारण अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्व समाप्ति, निष्फल व्यय, सृजित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नगर ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने का मूल उद्देश्य अप्राप्त रहा।

6.4.1 प्रस्तावना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2000 (एम.एस.डब्ल्यू. नियम) अधिसूचित किए (सितम्बर 2000) जो हर एक शहर तथा सभी नगर प्राधिकरणों को लागू किए गए थे। एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के अनुसार स्थानीय निकायों को निम्नलिखित कार्य करने अपेक्षित है:

- अपशिष्ट के संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार और विशिष्ट मानदण्ड पूरे करने के लिए अपशिष्ट भण्डारण सुविधाएं स्थापित करना,
- अनुबद्ध मार्गनिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट का परिवहन,
- अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं (जैसे कम्पोस्ट संयंत्र, ऊर्जा प्राप्ति आदि) की स्थापना, और
- वर्तमान अपशिष्ट खत्ता स्थलों का सुधार और अपशिष्ट निपटान हेतु नए स्थलों की पहचान।

एम.ओ.ई.एफ. के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)⁶², एक सांविधिक संगठन, एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के अनुसार अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय

⁶² केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सितम्बर 1974 में गठित किया गया था और वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियां तथा कर्तव्य सौंपे गए थे। यह क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एम.ओ.ई.एफ. को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। सी.पी.सी.बी. के मुख्य कार्य (i) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों तथा कुओं की स्वच्छता बढ़ाना और

निकायों से सहयोग हेतु विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) को निवेश प्रदान कर रहा था। तथापि यह महसूस किया गया कि अधिकांश स्थानीय निकाय तैयार नहीं थे और नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किसी भी शहर/कस्बा में आदर्श सुविधा स्थापित की जा सकेगी। ऐसी आदर्श सुविधा अन्य स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन संयंत्र के रूप में काम करेगी जो इसे आगे दोहरा सकेंगे। सी.पी.सी.बी. ने परिकल्पित किया कि इन आदर्श सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव एम.एस.डब्ल्यू नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी।

6.4.1.1 परियोजना के उद्देश्य तथा क्षेत्र

मार्च 2003 से फरवरी 2007 के दौरान, सी.पी.सी.बी. ने 10 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों⁶³ में एम.एस.डब्ल्यू नियमों के कार्यान्वयन के लिए नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के निदर्शन हेतु आदर्श सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत की। परियोजना के उद्देश्य निम्न थे:

- एम.एस.डब्ल्यू नियम, 2000 के कार्यान्वयन हेतु प्रदर्शन आधार पर आदर्श सुविधाओं की स्थापना करना,
- कार्यान्वयन से लेकर इसके चालू होने तक सम्पूर्ण योजना का दस्तावेज तैयार करना और वास्तविक निष्पादन का निर्धारण करना,
- राज्यों में अन्य स्थानीय निकायों को और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रसारित करना, और
- आंतरिक संसाधनों के प्रबंधन सहित स्थानीय निकायों की क्षमताएं बनाना, जो बेहतर सेवा प्रदान के साथ सुधार के लिए प्रत्याशित थीं।

परियोजनाएं निधियों की पहली किस्त जारी करने की तारीख से 36 माह के अंदर पूर्ण की जानी थीं। प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र निम्नवत था:

(ii) वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना अथवा उपशमन करना है।

⁶³ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ यू.टी., हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल

चरण-I:

- एम.एस.डब्ल्यू. के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण तथा परिवहन से संबंधित कार्यकलापों और अंतर शहर कार्यकलाप आरम्भ करना और समाप्त करना,
- एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन हेतु प्रभावी निगरानी दस्ता स्थापित करना,

चरण-II:

- अपशिष्ट संसाधन संयंत्र की डिजाइन, ड्राइंग तथा विनिर्देशन तैयार करने और इसके प्रचालन तथा अनुरक्षण सहित अपशिष्ट संसाधन संयंत्र, अर्थात् कम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्टिंग अथवा किसी अन्य उचित प्रौद्योगिकी, उचित क्षमता की स्थापना करना,
- संसाधन संयंत्र के प्रचालन में आने के समय तक संसाधन संयंत्र से निकले अस्वीकृतियों और गाद के निपटान के लिए अथवा मिश्रित अपशिष्टों के निपटान के लिए भराव के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरी स्थल जांच, डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देशन प्राप्त करने सहित भराव स्थलों का विकास, और
- सार्वजनिक ज्ञान के माध्यम से एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन में जनता की भागीदारी।

6.4.1.2 प्रत्येक एजेंसी की भूमिका

इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए सी.पी.सी.बी. ने संबंधित एस.पी.सी.बी./प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) और शहरी स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं (यू.एल.बी.) के साथ समझौता ज्ञापन किए। परियोजनाएं संबंधित यू.एल.बी. द्वारा निर्मित की जानी थीं। सी.पी.सी.बी. को 50 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के मामले में 90 प्रतिशत तक राज्यों के साथ परियोजनाओं की लागत बांटनी थी। सी.पी.सी.बी. द्वारा निधियां एस.पी.सी.बी./पी.सी.बी. को जारी की जानी थीं जो पर्यवेक्षण और संबंधित यू.एल.बी. को आगे निधियां जारी करने को उत्तरदायी थे। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. को इस अवधि के दौरान निष्पादित कार्यकलापों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी थीं और सी.पी.सी.बी. को उन्हें आगे भेजना था। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए यू.एस.बी., एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. तथा सी.पी.सी.बी. के सदस्यों से बनी एक निगरानी समिति के गठन की भी अपेक्षा की गई थी।

6.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 14.80 करोड़ की राशि एस.पी.सी.बी. को जारी की और योजना के अंतर्गत ₹ 24.80 करोड़ (राज्यों के हिस्से सहित) का कुल व्यय किया गया था।

परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति, निधि प्रबंधन और निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.4.2.1 आदर्श सुविधाएं चालू न करना

परियोजनाओं का उद्देश्य आदर्श सुविधाओं के निर्माण द्वारा एक समन्वित रीति में एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना था जिन्हें आगे दोहराया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि जुलाई 2014 तक 10 चयनित राज्यों में से किसी में भी आदर्श सुविधाएं चालू नहीं की गई थीं परिणामस्वरूप परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके। प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत आदर्श सुविधाओं की स्थापना की स्थिति तालिका-13 में दर्शाई गई है।

तालिका-13: जुलाई 2014 तक आदर्श सुविधाओं की स्थापना की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शहर	एम.ओ.यू. में अन्य हितधारक	परियोजना की संस्वीकृति की तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	संस्वीकृत लागत	सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी निधियां	किया गया व्यय
1.	आंध्र प्रदेश						
	आंध्र प्रदेश सूर्यापेट	ए.पी.पी.सी.वी. ⁶⁴ / एस.एम. ⁶⁵	सितम्बर 2005	सितम्बर 2007	2.90	0.36	0.72
चरण-1 पूर्ण था। यद्यपि नगरपालिका ने वर्मी-कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया था परन्तु भराव स्थल के विकास का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।							

⁶⁴ आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁶⁵ सूर्यापेट नगर परिषद

2. अरुणाचल प्रदेश						
ईटानगर तथा नाहरलगुन	ए.पी.एस.पी. सी.वी. ⁶⁶ /ए. पी.यू.डी. ए. ⁶⁷	जनवरी 2006	जनवरी 2009	2.23	0.60	0.66
चरण-I आंशिक रूप से पूर्ण था। अपशिष्ट संसाधन संयंत्र की स्थापना करने और भराव स्थल के विकास से समन्वित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे। परियोजना बंद कर दी गई थी (जनवरी 2011)।						
3. चण्डीगढ़						
चण्डीगढ़	सी.पी.सी.सी. . ⁶⁸ /एम.सी. सी. ⁶⁹	मार्च 2003	अप्रैल 2008	13.10	4.18	9.44
आदर्श सुविधा का आंशिक निर्माण किया गया था। निर्मित किए जाने वाले 80 सहज सफाई केन्द्रों में से केवल 35 का निर्माण किया गया था। यद्यपि भराव का विकास किया गया था परन्तु अपशिष्ट डम्पिंग आरम्भ नहीं हुआ था।						
4. हिमाचल प्रदेश						
मण्डी	एच.पी.एस. पी.सी.वी. ⁷⁰ / एम.सी.एम. ⁷¹	सितम्बर 2005	सितम्बर 2008	1.09	0.98	1.10
परियोजना का चरण-I पूर्ण था, चरण-II आरम्भ नहीं किया जा सका।						
5. महाराष्ट्र						
जालना	एम.पी.सी. बी. ⁷² /जे.एम. .सी. ⁷³	जनवरी 2006	जनवरी 2008	3.00	0.50	0.59
अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित किया गया था परन्तु विद्युत तथा जल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। भराव विकास का कार्य एक अन्य योजना यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत आरम्भ किया गया था, तथापि उसके समापन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।						

⁶⁶ अरुणाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁶⁷ अरुणाचल प्रदेश नगर एजेंसी

⁶⁸ चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति

⁶⁹ नगर निगम, चण्डीगढ़

⁷⁰ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷¹ नगर परिषद्, मंडी

⁷² महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷³ जालना नगर परिषद्

6.	नागालैंड						
	कोहिमा	एन.पी.सी. बी. ⁷⁴ /के.एम .सी. ⁷⁵	सितम्बर 2005	सितम्बर 2008	1.35	0.75	1.37
परियोजना का चरण-I पूर्ण था, तथापि भराव का विकास आरम्भ नहीं किया गया था। चरण-II का कार्य सम्पूर्ण ए.डी.बी. वित्तपोषित एक अन्य योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया था, तथापि उसकी स्थिति उपलब्ध नहीं थी।							
7.	सिक्किम						
	दक्षिण पूर्व जिले सिक्किम में कस्बों का कलस्टर	एस.एस.पी. सी.बी. ⁷⁶ /यू. डी. एण्ड एच.डी ⁷⁷	फरवरी 2006	फरवरी 2009	2.50	1.71	1.96
चरण-I पूर्ण नहीं था। चरण-II आरम्भ नहीं किया गया था। परियोजना बंद करने का सुझाव (फरवरी 2013) दिया गया था, आगे की कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।							
8.	तमिलनाडु						
	उडूमलपेट	टी.एन.पी. सी.बी. ⁷⁸ /यू. एम. ⁷⁹	दिसम्बर 2004	दिसम्बर 2006	1.50	0.70	1.6
अपशिष्ट संसाधन सुविधा प्रतिष्ठापित की गई थी तथापि अपशिष्ट पृथक्करण नहीं किया जा रहा था। भराव सुविधा विकसित नहीं की गई थी और एम.एस.डब्ल्यू प्रबंधन के लिए निगरानी दस्ता गठित नहीं किया गया था।							
9.	त्रिपुरा						
	अगरतल्ला	टी.एस.पी. सी.बी. ⁸⁰ /ए म.सी. ⁸¹	फरवरी 2006	फरवरी 2009	3.0	2.70	3.05
परियोजना का चरण-I आरम्भ किया गया था, तथापि डम्पर प्लेसर इस्टबिन तथा यांत्रिक रोड स्वीपर जैसी खरीदी गई मर्दे उपयोग नहीं की गई थीं। अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित करने और भराव स्थल का विकास से संबंधित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे क्योंकि सी.पी.सी.बी. ने निधियों के प्रतिबंध के कारण परियोजना के चरण-II की सहायता नहीं की थी।							

⁷⁴ नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁵ कोहिमा नगर परिषद्

⁷⁶ सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁷ शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार

⁷⁸ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁹ उडूमलपेट नगर पालिका

⁸⁰ त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁸¹ अगरतल्ला नगर परिषद्

10.	पश्चिम बंगाल					
	उत्तरदमदम तथा न्यू बैरकपुर	डब्ल्यू.पी.सी .बी. ⁸² /के.ए म.डी.ए. ⁸³	मार्च 2003	मार्च 2009	5.05	2.33
चरण-I तथा II दोनों पूर्ण थे और आदर्श सुविधा का फरवरी 2009 में उद्घाटन किया गया था। तथापि स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन के कारण उद्घाटन बाद शीघ्र बंद किया गया था जिसमें संपूर्ण सुविधा नष्ट हो गई थी।						
किया गया कुल व्यय						24.80

उपर्युक्त तालिका को देखने से पाया कि आदर्श सुविधा केवल एक परियोजना में बनाई गई थी, तथापि स्थानीय विधन के कारण यह चालू नहीं की जा सकी। नौ परियोजनाओं में केवल आंशिक रूप से कार्य पूर्ण हुआ था। उनमें से सात परियोजनाओं में चरण-I पूर्ण था जबकि दो परियोजनाओं में चरण-I आंशिक रूप से पूर्ण था। यद्यपि केवल पांच परियोजनाओं में चरण-II आरम्भ किया गया था तथापि यह किसी भी परियोजना में पूर्ण नहीं हो सका।

6.4.2.2 परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी

सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार राज्य पी.सी.बी. को उस अवधि के दौरान निष्पादित कार्यकलापों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी थीं और उन्हें सी.पी.सी.बी. को भेजना था। राज्य पी.सी.बी. को परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए यू.एल.बी., एस.पी.सी.बी. तथा सी.पी.सी.बी. के सदस्यों से बनी एक निगरानी समिति (एम.सी.) का गठन किया जाना भी अपेक्षित था। तथापि एम.ओ.यू. में निगरानी की आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निगरानी में गलतियां पाई गईं जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) आंध्रप्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने आंध्रप्रदेश पी.सी.बी. को ₹ 36.20 लाख की निधियाँ जारी की (सितम्बर 2005)। यद्यपि सूर्यपेट नगर परिषद (एस.एम.सी.) ने वर्मी कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया था परन्तु भराव स्थल का विकास कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने सूर्यपेट तथा मण्डी,

⁸² पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁸³ कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण

हिमाचलप्रदेश में भराव सुविधा निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) के साथ एक अनुबंध किया (फरवरी 2008) और ए.पी.पी.सी.बी. तथा एस.एम.सी. की सहमति प्राप्त किए बिना एन.बी.सी.सी. ने ₹ 10 लाख का अग्रिम जारी किया (सितम्बर 2008)। एन.बी.सी.सी. को लगभग छः वर्ष बीत जाने के बाद भी जुलाई 2014 तक कथित डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 10 लाख की निधियां अवरूद्ध हो गईं और भराव विकास का कार्य रूक गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एम.सी. गठित नहीं की गई थी। यद्यपि परियोजना की संस्वीकृति अथवा सितम्बर 2007 में समाप्त हो गई परन्तु औपचारिक समय वृद्धि प्राप्त किए बिना यह जारी था। बाद में ए.पी.पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.बी. को सूचित किया (अगस्त 2012) कि परियोजना अप्रैल 2008 से निष्क्रिय पड़ी थी।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि ए.पी.पी.सी.बी. ने एस.एम.सी. तथा सी.पी.सी.बी. के साथ एक बैठक (सितम्बर 2013) आयोजित की थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि एस.एम.सी. अंतिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद परियोजना पूरी करेगा। अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित थी। तथापि उत्तर चरण-II की स्थिति पर मौन था।

(ii) अरुणाचल प्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने ए.पी.एस.पी.सी.बी. को ₹ 60 लाख की पहली किस्त जारी की (जनवरी 2006)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना का चरण-I भी केवल आंशिक रूप से पूर्ण था। सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए कार्यस्थल निरीक्षण (अप्रैल 2007) के दौरान यह पाया गया था कि परियोजना की प्रगति बहुत निराशाजनक थी और ए.पी.एस.पी.सी.बी. का समन्वय तथा पर्यवेक्षण कार्य गंभीर रूप से कमी वाला था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना का आगे और कोई निरीक्षण नहीं किया था। परियोजना की समीक्षा करने के लिए गठित एम.सी. की भी परियोजना की संस्वीकृति के चार वर्षों से अधिक समय के बाद केवल नवम्बर 2010 में पहली बार बैठक हुई थी। एम.सी. की उक्त बैठक में यह सहमति बनी थी कि लागत वृद्धि तथा समय वृष्टि आदि जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखकर परियोजना बंद की जानी चाहिए। यह भी पता चला था कि कम्पोस्ट संयंत्र पर ऐसी ही एक

परियोजना ईटानगर में जे.एन.एन.यू.आर. योजना में स्थापित की जा चुकी थी। परिणामस्वरूप, सी.पी.सी.बी. ने परियोजना रद्द कर दी (जनवरी 2011)।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि जून 2014 में अरुणाचल प्रदेश बोर्ड के साथ परियोजना की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि यद्यपि सी.पी.सी.बी. परियोजना से अलग हो गया था। परन्तु, ए.पी.एस.पी.सी.बी. ईटानगर और नाहरलगुन में एम.एस.डब्ल्यू नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। तथ्य यह शेष रहा कि सी.पी.सी.बी. परियोजना की प्रभावी रूप से निगरानी करने में और परियोजना के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने में विफल रहा जिससे सामयिक तथा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप नहीं किए जा सकें।

(iii) चण्डीगढ़ यू.टी.

सी.पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.सी को परियोजना के चरण-I के अंतर्गत ₹ 1.58 करोड़ (अप्रैल 2003, अप्रैल 2004 तथा अप्रैल 2007 में ₹ 52.56 लाख की तीन बराबर किश्तें) और चरण-II के अंतर्गत ₹ 2.60 करोड़ (अप्रैल 2007 तथा सितम्बर 2008 में ₹ 1.30 करोड़ की दो बराबर किश्तें) जारी किए। यद्यपि परियोजना का चरण-I मूल रूप में अक्टूबर 2004 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था परन्तु यह समय-समय पर मार्च 2007 तक बढ़ाया गया था। परियोजना का चरण-II अप्रैल 2008 में निर्धारित पूर्णता के साथ अप्रैल 2007 में आरम्भ किया गया था। तथापि यह समय पर पूर्ण नहीं हुआ था और औपचारिक समय वृद्धि बिना उसके बाद जारी था।



चण्डीगढ़ में भराव स्थल में स्थिर पानी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आदर्श सुविधा केवल आंशिक बनाई गई थी। निर्मित किए जाने वाले 80 सहज सफाई केन्द्रों में से केवल 35 बनाए गए थे। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि निगरानी समिति द्वारा परियोजना की प्रगति पर अंतिम चर्चा जनवरी 2008 में की गई थी। बाद में सी.पी.सी.बी. ने सुविधा का स्थल निरीक्षण किया था (मार्च 2012) जिसमें यह पाया गया था कि यद्यपि भराव स्थल का विकास किया गया था परन्तु अपशिष्ट डम्पिंग अभी आरम्भ किया जाना था। ₹14.41 लाख का अव्ययित शेष भी जुलाई 2014 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा वापस नहीं किया गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि उन्होंने जून 2013 तथा मई 2014 में परियोजना की समीक्षा की थी और सी.पी.सी.सी. से परियोजना का दस्तावेजीकरण तैयार करने तथा एक माह के अंदर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा। सी.पी.सी.बी. ने यह भी बताया कि सी.पी.सी.सी. ₹65,000 दस्तावेजीकरण प्रभार काटने के बाद अव्ययित राशि लौटाने को सहमत हो गया। तथापि उत्तर आदर्श सुविधा के निर्माण और भराव के उपयोग करने की स्थिति पर मौन था।

(iv) हिमाचल प्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने परियोजना के अंतर्गत ₹ 25 लाख (सितम्बर 2005), ₹ 37 लाख (जून 2007) तथा ₹ 35.87 लाख (अगस्त 2008) की तीन किश्तों में ₹ 97.87 लाख एच.पी.एस.पी.सी.बी. को जारी किए। परियोजना की संस्वीकृति अवधि सितम्बर 2008 तक थी परन्तु परियोजना जून 2010 तक बढ़ाई गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि परियोजना का चरण-I पूर्ण था (मार्च 2011) परन्तु चरण-II एन.बी.सी.सी. के साथ एम.ओ.यू. अंतिम न किए जाने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका जैसा कि उपर्युक्त (i) में चर्चा की गई है।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि चरण-II का एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो गया था और अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी और सुविधा स्थापित करने की सहमति की प्राप्ति के बाद निधियों की संस्वीकृति पर विचार होगा। तथ्य यह शेष रहा कि परियोजना संस्वीकृति के लगभग नौ वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुई थी।

(v) महाराष्ट्र

सी.पी.सी.बी. ने एम.पी.सी.बी. को ₹ 50 लाख की पहली किश्त जारी की (जनवरी 2006)। परियोजना मूल रूप में जनवरी 2008 तक पूर्ण किए जाने को निर्धारित थी परन्तु मार्च 2009 तक बढ़ाई गई थी। तथापि कार्य बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी पूर्ण नहीं हुआ था और औपचारिक समय वृद्धि बिना जारी था। सी.पी.सी.बी., एम.पी.सी.बी. तथा जालना नगर परिषद ने स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया (जून 2011) और पाया कि अपशिष्ट संसाधन संयंत्र पूर्ण था परन्तु विद्युत तथा जल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। यद्यपि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना की समीक्षा की (जून 2013 तथा मई 2014) परन्तु परियोजना में और कोई प्रगति नहीं हुई।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि भराव विकसित करने का कार्य जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया था। तथापि उसकी

स्थिति सूचित नहीं की गई थी। इस प्रकार सी.पी.सी.बी. परियोजना की प्रगति से अनभिज्ञ रहा।



जालना, महाराष्ट्र में अपशिष्ट संसाधन सुविधा

(vi) नागालैण्ड

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 30 लाख (सितम्बर 2005) तथा ₹ 45 लाख (जुलाई 2006) की दो किश्तों में ₹ 75 लाख जारी किए। एन.पी.सी.बी. को नियमित आधार पर किए गए कार्य की समीक्षा के लिए सी.पी.सी.बी. से पहली किश्त की प्राप्ति पर तत्काल अध्यक्ष, एन.पी.सी.बी. की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित करनी थी। यद्यपि एन.पी.सी.बी. ने निगरानी समिति का गठन किया (अक्टूबर 2005) परन्तु यह पाया गया था कि समिति की कभी बैठक नहीं हुई। इसके अलावा परियोजना की संस्वीकृति अवधि सितम्बर 2008 में समाप्त हो गई परन्तु परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी और किसी औपचारिक समय वृद्धि के बिना जारी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना का चरण-1 पूर्ण था तथापि भराव का विकास आरम्भ नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषण माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एक अन्य एम.एस.डब्ल्यू परियोजना को हस्तांतरित की गई थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सी.पी.सी.बी. परियोजना के हस्तांतरण से अनभिज्ञ था। परियोजना में मूल हितधारकों में से एक होने पर यद्यपि सी.पी.सी.बी. निगरानी समिति का सदस्य था परन्तु उसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बैठकें आयोजित की गई थीं। परिणामस्वरूप सी.पी.सी.बी. परियोजना के अंतर्गत विकासों से स्वयं को अवगत रखने में विफल हो गया।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि परियोजना ए.डी.बी. वित्त पोषण के कारण समाप्त की गई थी। उत्तर ए.डी.बी. वित्तपोषित परियोजना की स्थिति पर मौन था।

(vii) सिक्किम

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 60 लाख (फरवरी 2006) तथा ₹ 1.11 करोड़ (अप्रैल 2010) की दो किश्तों में ₹ 1.71 करोड़ जारी किए। तथापि परियोजना का चरण-1 भी पूर्ण नहीं हुआ था। सी.पी.सी.बी. को क्रमशः जनवरी 2010 तथा मई 2011 में जारी राशियों के यू.सी. प्राप्त हो गए।

शिलांग स्थित सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय को किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए दो माह में एक बार क्षेत्र दौरा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2007 तथा फरवरी 2013 के बीच स्थल निरीक्षण केवल पांच बार किया गया था। किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान (अप्रैल 2012 तथा फरवरी 2013) यह पाया गया था कि अपशिष्ट संसाधन एवं भूमि भराव सुविधा विकसित नहीं की गई। इसके अलावा परियोजना हेतु गठित एम.सी. की भी केवल फरवरी 2013 में एक बैठक हुई थी। बैठक में सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय निधियों की बर्बादी रोकने के लिए परियोजना तत्काल बंद कर दी जाए।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि समीक्षा बैठक मई 2014 में आयोजित की गई थी परन्तु सिक्किम बोर्ड ने उसमें भाग नहीं लिया। इस प्रकार जबकि परियोजना के उद्देश्य अपूर्ण रहे वहीं यू.सी. प्राप्ति के बावजूद सी.पी.सी.बी. अपने द्वारा प्रदत्त निधियों के वास्तविक उपयोग से अनभिज्ञ रहा। परियोजना की स्थिति भी जुलाई 2014 तक उपलब्ध नहीं थी।

(viii) तमिलनाडु

सी.पी.सी.बी. ने दिसम्बर 2004 तथा नवम्बर 2007 के बीच दो किश्तों में उदूमलपेट नगरपालिका (यू.एम.) को ₹ 70 लाख की निधियां जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि पहली किश्त का उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) 18 माह के विलम्ब के बाद प्राप्त हुआ था। द्वितीय किश्त का यू.सी. यू.एम. द्वारा सी.पी.सी.बी. को भेजा नहीं गया था। परिणामस्वरूप, किए गए व्यय और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, के ब्यौरे सी.पी.सी.बी. के पास उपलब्ध नहीं थे।

परियोजना की संस्वीकृति अवधि दिसम्बर 2006 में समाप्त हो गई, तथापि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना अवधि सितम्बर 2008 तक बढ़ा दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना बढ़ाई गई अवधि में पूर्ण नहीं हुई थी और औपचारिक समय वृद्धि प्राप्त किए बिना उसके बाद जारी थी। बाद में टी.एन.पी.सी.बी. ने सूचित किया

(जून 2012) कि यद्यपि अपशिष्ट संसाधन सुविधा प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु अपशिष्ट पृथक्करण किया नहीं जा रहा था। भराव सुविधा भी विकसित नहीं की गई थी और एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन के लिए निगरानी दस्ता भी गठित नहीं किया गया था। अतः परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए थे।

टी.एन.पी.सी.बी. को नियमित आधार पर किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सी.पी.सी.बी. से पहली किश्त की प्राप्ति पर तत्काल उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि उन्होंने परियोजना की समीक्षा के लिए जून 2013 तथा मई 2014 में टी.एन.पी.सी.बी. को आमंत्रित किया था परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर ने यह दर्शाया कि सी.पी.सी.बी. दो वर्षों से अधिक समय से परियोजना की स्थिति से अनभिज्ञ था। इस बीच सी.पी.सी.बी. ने भी परियोजना के अंतर्गत कार्यकलापों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से स्थल निरीक्षण नहीं किया।

(ix) त्रिपुरा

सी.पी.सी.बी. ने टी.एस.पी.सी.बी. को ₹60 लाख (फरवरी 2006), ₹1.05 करोड़ (अगस्त 2007) तथा ₹1.05 करोड़ (नवम्बर 2009) की तीन किश्तों में ₹2.70 करोड़ जारी किए। परियोजना की संस्वीकृति अवधि फरवरी 2009 में समाप्त हो गई। यह देखा गया कि परियोजना का चरण-I पूर्ण था। यद्यपि सी.पी.सी.बी. ने ₹9.13 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना का चरण-II अनुमोदित किया था (दिसम्बर 2008), परन्तु निधि प्रतिबंधों के कारण चरण-II की इसने अंततः सहायता नहीं की थी। उस रूप में अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित और भराव स्थल का विकास करने से संबंधित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे।

एम.ओ.यू. के अनुसार, शिलांग स्थित सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय को किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए दो माह में एक बार क्षेत्र दौरा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने केवल मार्च 2012 में परियोजना का निरीक्षण किया। यह भी पाया गया कि अगरतला नगर परिषद द्वारा खरीदी गई मर्दे जैसे डम्पर प्लेसर इस्टबिन तथा यांत्रिक सड़क स्वीपर उपयोग में नहीं लाई गई थीं।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि परियोजना की मई 2014 में समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि टी.एस.पी.सी.बी. परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करेगा और एक माह के अंदर सी.पी.सी.बी. को भेजेगा। उत्तर परियोजना के

चरण-I के अंतर्गत खरीदी गई मर्दों के उपयोग के लिए की जा रही कार्रवाई पर मौन था।



परित्यक्त पड़े डम्पर प्लेसर इस्टबिन



यांत्रिक सड़क स्वीपर

(X) पश्चिम बंगाल

सी.पी.सी.बी. ने परियोजना के चरण-I के अंतर्गत डब्ल्यू.पी.सी.बी. को ₹ 95.65 लाख (अप्रैल 2003 में ₹ 47.83 लाख, जून 2004 में ₹ 23.91 लाख और अगस्त 2005 में ₹ 23.91 लाख) और चरण-II के अंतर्गत ₹ 1.37 करोड़ (मार्च 2007 में ₹ 65 लाख और जुलाई 2008 में ₹ 72 लाख) जारी किए। आदर्श सुविधा फरवरी 2009 में पूर्ण हो गई थी।

परियोजना की प्रगति की निगरानी के अतिरिक्त निर्मित सुविधा के निष्पादन की डब्ल्यू.पी.सी.बी. तथा दोनों नगरपालिकाओं द्वारा एक निर्धारित समय अवधि में समीक्षा भी की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I के समापन के बाद परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी (नवम्बर 2006)। तथापि चरण-II की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केवल तीन वर्ष बाद (जून 2009) एम.सी. की अगली बैठक की गई थी। उक्त बैठक में यह सलाह दी गई थी कि परियोजना की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को लगातार बैठकें करनी चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि निगरानी की आगे कोई बैठक नहीं की गई थी। चरण-II के अंतर्गत उद्देश्यों में से एक जन चेतना के माध्यम से एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन में जनता भागीदारी था। तथापि इस संबंध में किए गए कार्य की मात्रा लिखित में नहीं पाई गई थी।

पश्चिम बंगाल पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.बी. को सूचित किया (जून 2012) कि यद्यपि आदर्श सुविधा स्थापित की गई थी और फरवरी 2009 में उद्घाटन किया गया था परन्तु स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन के कारण परियोजना उद्घाटन के शीघ्र बाद बंद

कर दी गई थी जिसमें सम्पूर्ण सुविधा नष्ट हो गई थी। परिणामस्वरूप परियोजना पर किया गया ₹ 4.31 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि राज्य स्तर एम.सी. ने अप्रैल 2013 में परियोजना की समीक्षा की थी और परियोजना बंद करने का निर्णय किया गया और के.एम.डी.ए. की तकनीकी सहायता के अंतर्गत सामूहिक सुविधाएं बांटने के लिए दोनों नगरपालिकाओं को सलाह दी।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाए कि परियोजना के नष्ट हो जाने की सूचना के चार वर्षों से अधिक समय के बाद अप्रैल 2013 में परियोजना की समीक्षा व्यर्थ थी।

इस प्रकार परियोजनाओं की निगरानी कमजोर थी क्योंकि:

- दो परियोजनाओं (तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश) में एम.सी. गठित नहीं की गई थी,
- आठ परियोजनाओं, जहाँ एम.सी. गठित की गई थी, में एम.सी. की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई थीं,
- सी.पी.सी.बी. द्वारा तीन परियोजनाओं (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा सिक्किम) में यथा अनुबद्ध स्थल निरीक्षण नहीं किए गए थे, और
- लेखापरीक्षा में उल्लेख किए जाने पर सी.पी.सी.बी. ने जून 2013 तथा मई 2014 में सम्बंधित पी.सी.बी. के साथ बैठकों का आयोजन किया।

यद्यपि सी.पी.सी.बी. योजना के समग्र कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था और परियोजनाओं की निगरानी में भागीदार होना था परन्तु यह परियोजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ निगरानी लागू करने में विफल रही। निगरानी में शिथिलता का परिणाम न केवल परियोजनाओं की स्थिति पर सूचना उपलब्ध कराने में अंतराल हुआ बल्कि अंततः 10 परियोजनाओं में से किसी में आदर्श अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा चालू नहीं हो सकी।


6.4.3 निष्कर्ष

सुविधाओं की स्थापना हेतु चयनित 10 राज्यों में से किसी में एम.एस.डब्ल्यू. आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ से 10 वर्षों से अधिक समय के बाद भी और ₹24.80 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद भी चालू नहीं हुई थीं। पश्चिम बंगाल में केवल एक परियोजना के अंतर्गत आदर्श सुविधा का निर्माण किया गया था तथापि स्थानीय गड़बड़ियों के कारण यह चालू नहीं की जा सकी। नौ परियोजनाओं में कार्य केवल आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था। उनमें से आंध्रप्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा की सात परियोजनाओं में चरण-1 पूर्ण हुआ था जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र की दो परियोजनाओं में चरण-

आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था। आंध्रप्रदेश, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड तथा तमिलनाडु की केवल पाँच परियोजनाओं में चरण-II आरम्भ किया गया था, तथापि यह किसी भी परियोजना में पूर्ण नहीं हुआ था।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी तथा निधियों के प्रबंधन में गलतियाँ हुई थीं। यद्यपि सी.पी.सी.बी. परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थापित निगरानी तंत्र का एक भाग था परन्तु यह सुनिश्चित करने में विफल हो गया कि निगरानी समितियाँ गठित की गई थीं और नियमित बैठकें की गई थीं। राज्यों, जहाँ उसके लिए प्रावधान था, में सी.पी.सी.बी. द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था। परियोजनाओं के निगरानी करने की विफलता के परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्ण समाप्ति, निर्मित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए योजना के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्य अप्राप्त रहे।


नई दिल्ली
दिनांक: 26 सितम्बर 2014



(गुरवीन सिद्धु)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितम्बर 2014



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



INDIAN TRIBES COUNCIL

INDIAN TRIBES COUNCIL

⚡
TPS
⚡

FUNDED
BY
CPCB

TPS

परिशिष्ट - 1 (पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय

1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)

परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग और बुनियादी अनुसंधान के विकास में लगा हुआ है। विभाग नाभिकीय ऊर्जा/अनुसंधान रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन अन्वेषण, परमाणु खनिज के खनन और प्रसंस्करण, भारी पानी, परमाणु ईंधन निर्माण, ईंधन पुनर्प्रसंस्करण और परमाणु कचरा प्रबंधन के उत्पादन को शामिल करते हुए नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने में जुटा हुआ है। यह अपने संस्थानों के माध्यम से बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का भी समर्थन करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹11,981.76 करोड़ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारी पानी बोर्ड, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

2. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहन हेतु देश के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग और उसकी घटक इकाईयों राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, ध्वनि करने वाले रॉकेट और संबद्ध ग्राउंड प्रणालियों के विकास शामिल हैं। यह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकास अनुप्रयोगों की जरूरत के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) कार्यक्रम संचालित करता है। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से संबंधित मामलों को भी देखता है। वर्ष 2012-13 के दौरान अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹4,856.28 करोड़ था। अंतरिक्ष विभाग की गतिविधियाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) अच्छी तरह से एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से मानसून और अन्य मौसम/जलवायु मापदंडों, सागर की स्थिति, भूकंप, सुनामी और पृथ्वी प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी में बेहतरीन सेवाओं को देश को प्रदान करने के लिए अतिदिष्ट है। एम.ओ.ई.एस. सागर के संसाधनों (सजीव और निर्जीव) की खोज और दोहन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंधित है, और अंटार्कटिक/आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए एक नोडल भूमिका निभाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान एम.ओ.ई.एस. द्वारा किया गया व्यय ₹1,177.14 करोड़ था। एम.ओ.ई.एस. की गतिविधियों को भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में वनस्पति, प्राणी, वन और वन्य जीव का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम और वनीकरण एवं अवक्रमित क्षेत्रों का पुनर्जनन आदि शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रदूषण की रोकथाम और कमी में भी लगा हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण उन्मुख कार्यक्रमों में देश का नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2012-13 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹1,996.69 करोड़ था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गतिविधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय शिक्षा परिषद, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

एम.एन.आर.ई. का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना और तैनात करना है। एम.एन.आर.ई. जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के पूरक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (जैव, पवन, पनबिजली, सौर, ज्वार और भूतापीय) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। मंत्रालय का लक्ष्य अनुसंधान, डिजाइन, विकास, निर्माण की सुविधा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, सामग्री, उपकरणों उप प्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं का विकास करना तथा परिवहन, पोर्टेबल और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए इन ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में करना है। वर्ष 2012-13 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा किया गया व्यय ₹1,243.72 करोड़ था। एम.एन.आर.ई. की गतिविधियों को सौर ऊर्जा केंद्र, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में तीन विभाग हैं।

6.1 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)

डी.बी.टी. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, प्रदर्शनों के माध्यम से देश में जैव प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में प्रमुख क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए अधिदिष्ट है। विभाग विश्वविद्यालय और उद्योग पारस्परिक विचार-विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जैव सुरक्षा दिशा-निर्देश बनाने और सेल आधारित टीके निर्माण और प्रयोग करने में लगी हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान डी.बी.टी. द्वारा किया गया व्यय ₹1,282.84 करोड़ था। डी.बी.टी. की गतिविधियाँ इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान, सेल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों का आयोजन करने, समन्वय करने और उसको बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए, अपने अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण स्वयं करने या आर्थिक रूप से प्रायोजित करने, अनुसंधान डिजाइन और विकास और अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक संघों और निकायों की सहायता के लिए जिम्मेदार रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए व्यय का परिमाण ₹2,524.22 करोड़ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियां प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, रमन अनुसंधान संस्थान, सर्वे ऑफ इण्डिया आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.3 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)

डी.एस.आई.आर. का प्राथमिक प्रयास उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और उच्च व्यावसायिक क्षमता के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास के लिए छोटे/मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक वृहत अंश का समर्थन करना है। विभाग प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास के व्यावसायीकरण के माध्यम, समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी, गहन निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत बनाने के लिए देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। यह भी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा किया गया व्यय ₹2,945.66 करोड़ था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी.एस.आई.आर. द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, जिसमें नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आदि के जैसी 39 प्रयोगशालाओं शामिल हैं। ये शोध प्रयोगशालाएँ एयरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा धातु, खनिज आदि के क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती हैं।

7. जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.)

जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और कार्यक्रमों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई और भू-जल संसाधनों के विकास सहित जल संसाधन के क्षेत्र में समग्र योजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों के बीच नदी जल वितरण और नदियों के जल पर पड़ोसी देशों के साथ वार्ता के संबंधी विवादों में मध्यस्थता और सरलीकरण में शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परिनियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹1,055.59 करोड़ था। जल संसाधन मंत्रालय अंतर्राज्यीय नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान की तैयारी के लिए केंद्रीय नेटवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है।

परिशिष्ट – II (पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2010-11 का 17	2.1	वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की एक योजना की विफलता	एम.ओ.ई.एफ.
	2.2	विकासशील वन संसाधनों के उद्देश्य की गैर उपलब्धि	
	3.1	भारत में जैव विविधता का विनियमन	
	3.2	जैव विविधता सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की भूमिका	
	4.1	इकोसिटी कार्यक्रम के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	4.2	चमड़े के कारखानों के कारण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	5.1	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली की गतिविधियां	
2011-12 का 16	5.1	एक जलयान के नवीनीकरण पर बेकार खर्च	एम.ओ.ई.एस.
	13.1	सॉफ्टवेयर उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय	एम.एन.आर.ई.
	15.2	कचरे के सुरक्षित निपटान के माध्यम से बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन	डी.एस.आई.आर.
	15.3	एक परियोजना के उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति	
	19.1	एक लाइनेक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	डी.ओ.एस.
	19.2	विद्युत शुल्क और उपकर का परिहार्य भुगतान	

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2012-13 का 4	पृथक एकल रिपोर्ट	देवास के साथ संकर उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा समझौते पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	डी.ओ.एस.
2012-13 का 13	10.1	₹3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	डी.ए.ई.
	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य व्यय	डी.ओ.एस.
2013 का 21	पृथक एकल रिपोर्ट	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भारत में प्रतिपूरक वनरोपण पर प्रतिवेदन	एम.ओ.ई.एफ.
2013 का 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	डी.ए.ई.
	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	
	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	डी.ओ.एस.
	3.2	भारतीय प्रशासन समन्वित एक कक्षीय स्लॉट में एक विदेशी उपग्रह की पार्किंग	
	3.3	माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा	
	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	डी.एस.आई.आर.
	4.2	निष्फल व्यय	
	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	डी.एस.टी.
	5.2	परिवहन भत्ते का अग्राह्य भुगतान	
	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन	एम.ओ.ई.एफ.

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
	7.1	फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.
	8.1	पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन	एम.ओ.ई.एस.

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2012-13 में दिए गए अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	2.37
2.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	30.48
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	44.66
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	398.19
5.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	212.51
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	227.22
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	18.36
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	220.00
9.	साह्य नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	93.62
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
10.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव	**
11.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	**
12.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पूणे	**
13.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	**
14.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेंद्रम	**
15.	डी.एन.ए. अंगुलिदाव एवं डाग्नोस्टीक केंद्र, हैदराबाद	**
16.	जैव संसाधन तथा सतत् विकास संस्थान, इम्फाल	**
17.	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	**
18.	ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	**
19.	यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद	**

20.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और जैव प्रसंस्करण इकाई, मोहाली	**
21.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर	**
22.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
23.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान, नैनीताल	14.05
24.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	19.38
25.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	4.50
26.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	17.98
27.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	10.79
28.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	0.20
29.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	20.53
30.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	14.17
31.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	19.46
32.	आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	14.05
33.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	28.02
34.	रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	34.80
35.	सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बंगलौर	6.00
36.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	49.01
37.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर	50.35
38.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	6.67
39.	जवाहर लाल नहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर	49.02
40.	बसु संस्थान, कोलकाता	95.40
41.	इंडियन एसोसिएसन फोर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता	54.86
42.	बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	30.04
43.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्थान, कोलकाता	6.06
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	15.67

45.	राष्ट्रीय इनोवेशन फाउण्डेशन, अहमदाबाद	10.12
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
46.	कंसल्टेंसी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	3.16
अंतरिक्ष विभाग		
47.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	2.10
48.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	64.83
49.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुपति	14.03
50.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	55.89
51.	सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़	61.20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
52.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	136.67
53.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	153.46
54.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री जानकारी सेवार्यें केंद्र, हैदराबाद	72.17
55.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा	236.21
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
56.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	25.50
57.	गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	11.40
58.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	10.50
59.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	110.25
60.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	7.35
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
61.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई*	20.00
62.	सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	15.00
कुल		2,818.26

* नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, तथापि लेखापरीक्षा एक अध्यारोपित प्रकृति की है।

** जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट – IV (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	99-2000	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	15	19.35
	2006-07	49	93.44
	2007-08	47	406.48
	2008-09	38	381.81
	2009-10	43	764.26
	2010-11	62	803.82
	2011-12	245	2,012.28
कुल		540	4,653.86
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य		
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
अंतरिक्ष विभाग	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	99-2000	2	1.30
	2000-01	3	34.87
	2001-02	5	60.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	198.48
	2004-05	13	218.74
	2005-06	23	101.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.30
	2008-09	15	150.94
	2009-10	38	176.72
	2010-11	31	111.55
	2011-12	42	100.63
	कुल	252	1,393.47
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-84	9	0.72
	1984-85	25	44.47
	1985-86	19	5.51
	1986-87	15	7.95
	1987-88	37	39.80
	1988-89	43	140.90
	1989-90	69	84.41
	1990-91	39	251.23
	1991-92	6	83.82

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1992-93	20	205.27
	1993-94	19	104.60
	1994-95	14	53.88
	1995-96	45	212.35
	1996-97	38	55.24
	1997-98	53	229.19
	1998-99	45	583.04
	99-2000	41	694.22
	2000-01	35	187.09
	2001-02	20	131.16
	2002-03	11	17.37
	2003-04	51	104.83
	2004-05	39	711.00
	2005-06	57	442.64
	2006-07	50	786.49
	2007-08	94	1,461.19
	2008-09	68	1,268.09
	2009-10	80	841.67
	2010-11	264	5,130.53
2011-12	274	11,807.14	
	कुल	1,580	25,685.80
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6,531.00
	1988-89	359	2,543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1,439.00
	1992-93	216	736.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1993-94	64	74.18
	1994-95	83	167.88
	1995-96	82	174.18
	1996-97	305	1,058.36
	1997-98	156	557.99
	1998-99	316	758.70
	99-2000	300	1,234.98
	2000-01	327	797.95
	2001-02	355	1,006.82
	2002-03	308	944.23
	2003-04	382	1,321.76
	2004-05	372	1,569.67
	2005-06	291	1,434.86
	2006-07	281	1,801.41
	2007-08	292	2,410.71
	2008-09	241	1,973.48
	2009-10	198	7,957.95
	2010-11	182	43,833.32
	2011-12	448	53,768.32
	कुल	6,996	1,35,775.49
नवीन एवं नवीकर्णीय ऊर्जा मंत्रालय	2005-06	1	3.34
	2006-07	1	2.00
	2007-08	8	27.56
	2008-09	13	263.14
	2009-10	41	799.56
	2010-11	92	2,544.69
	2011-12	178	12,763.24
	कुल	334	16,403.53
जल संसाधन मंत्रालय	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	4.04
	1988-89	2	4.23
	1989-90	1	0.50

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1990-91	3	7.17
	1991-92	3	6.56
	2000-01	1	3.34
	2001-02	2	40.00
	2006-07	5	36.53
	2007-08	13	81.98
	2008-09	50	780.17
	2009-10	48	374.52
	2010-11	91	1,683.34
	2011-12	56	763.95
	कुल	279	3,798.83
	कुल योग	9,981	1,87,710.98

परिशिष्ट-V (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

वर्ष 2012-13 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं जिस कारण से									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेसिया अदायगी	
	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	24	10.50	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	1	0.003	1	0.003	-	-	-	-
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	4	0.80	2	11.14	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
कुल	-	-	1	0.003	29	11.303	2	11.14	-	-

परिशिष्ट – VI (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	2012-13 का 13	10.1	₹3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	15
2.	2012-13 का 9	एकल	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा	15
3.	2013 का 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	2
4.	2013 का 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	2
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
5	2007 का 13	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण	78
6	2013 का 22	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	2
7	2013 का 22	5.2	परिवहन भत्ते का अग्राह्य भुगतान	2
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
8	2013 का 22	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	2
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
9.	2013 का 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन	2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
10.	2011-12 का 21	एकल	भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा	22
11.	2013 का 22	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन	2
12.	2013 का 21	एकल	भारत में प्रतिपूरक वन रोपण	2
जल संसाधन मंत्रालय				
13.	2013 का 22	7.1	फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख	2

परिशिष्ट – VII (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति – ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	1999 का 5	2.4	निष्क्रिय उपकरण	4
2.	2001 का 5	5.4	निष्फल व्यय (संख्या 5.19 से 5.22)	11
3.	2001 का 5	5.5	लेखापरीक्षा के इंस्टांस पर वसूली	5
4.	2002 का 5	9.1	उपेक्षा के कारण परिहार्य व्यय	5
5.	2008 का 19 (पी.ए.)	एकल	भारी पानी संयंत्रक के ईंधन का प्रबंधन	45
6.	2008-09 का सी.ए.-16	2.5	विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना	2
7.	2010-11 का पी.ए.-13	एकल	भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन	2
जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
8.	2003 का 5	3.1	डी.बी.टी. का रिव्यू	124
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
9.	2004 का 5	3.1	प्रौद्योगिकी, सूचना फॉरकास्टिंग एवं मूल्यांकन परिषद का रिव्यू	8
10.	2005 का 5	5.1	जीटीएस-दो सौ वर्षीय समारोह के दौरान निष्फल व्यय	101
11.	2006 का 1	3	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्य	52
12.	2008 का सीए-3	5.1	निष्फल व्यय	38
13.	2008-09 का सीए-16	5.1	प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद भी देय की वसूली न होना	39
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
14.	1996 का 6	5.2	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का रिव्यू	2
15.	1998 का 5	2.1	सीएसआईआर के मैन पावर लेखापरीक्षा का रिव्यू	156

16.	1998 का 5	2.3	औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ	6
17.	2001 का 5	3.2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	14
18.	2005 का 5	6.1	निष्फल व्यय	84
19.	2007 का 2	13.1	सेवाकर की गैर वसूली	6
20.	2008-09 का सीए-16	4.1	परियोजना की अल्प समाप्ति पर निजी कम्पनियों से बकाया देय राशि की गैर वसूली	45
21.	2008-09 का सीए-16	4.2	लेखापरीक्ष के उदाहरण पर बकाया देय राशि की वसूली	20
22.	2008-09 का सीए-16	4.4	खनिज तथा सामाग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधियां	4
अंतरिक्ष विभाग				
23.	2011-12 का सीए-16	19.2	विद्युत शुल्क एवं उपकर का परिहार्य भुगतान	15
24.	2010-11 का 21	एकल	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की गतिविधियां	4
25.	2013 की 22	3.3	माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा	2
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
26.	2007 का 2 (टीए)	5.1	निष्फल व्यय	16
27.	2008 का सीए-3	7.1	लेखाकरण एवं कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	14
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
28.	1998 का 5	9.1	आईसीएफआरई देहरादून की समीक्षा	27
29.	2001 का 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का लागू करना	7
30.	2002 का 5	3.1	जैड एस आई की समीक्षा	12
31.	2003 का 5	10.1	ब्याज का परिहार्य भुगतान और आयकर की वापसी की अप्राप्ति	23
32.	2006 का 18 (पी.ए.)	एकल	बाघ संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का संरक्षण एवं बचाव	38
33.	2008 का सीए-3	6.1	विद्यार्थी पारगमन छात्रावास के निर्माण में विवेकहीन निर्णय	16

34.	2008-09 का सीए-16	6.1	ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता	22
35.	2008-09 का सीए-16	6.2	परिवहन भते का अस्वीकार्य भुगतान	23
36.	2010-11 का 17	2.1	वृक्षारोपण बढ़ाने की योजना में असफलता	9
37.	2010-11 का 17	2.2	वन संसाधन का विकसित करने का उद्देश्य प्राप्त न होना	31
38.	2010-11 का 17	3.2	जैविक विविधता संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में बीएसआई की भूमिका	13
39.	2010-11 का 17	4.2	चमड़े की टैगरियों द्वारा पैदा किए प्रदूषण के नियंत्रण के उद्देश्यों की अनुपलब्धि	21
40.	2010-11 का 17	5.1	प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की गतिविधियां	4
जल संसाधन मंत्रालय				
41.	2010-11 का 4	एकल	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा	16

परिशिष्ट VIII (पैराग्राफ 3.1 के संदर्भ में)

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस एवं बोस संस्थान द्वारा किए गए विधिक शुल्क के कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता								
2006 की रिट याचिका सं. 19720(डबल्यू) (मोली विश्वास, याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ व अन्य)								
1.	25.09.2008	18.05.06, 19.05.06, 12.07.06, 17.08.06, 19.09.06, 20.12.06, 22.12.06, 19.03.07, 29.03.07, 24.04.07, 15.05.07, 07.06.07, 17.07.07, 14.08.07, 11.12.07, 12.12.07, 14.12.07, 19.12.07	1.21	18	-	-	-	मुकदमा 25.08.2006 को दायर किया गया था। इसलिए, विपत्र में 25.08.2006 से पहले की उल्लेख की गई तिथियाँ गलत थीं। इसके अलावा, मुकदमे के संबंध में दिनांक 06.11.2006 का केवल एक आदेश था।
2010 की रिट याचिका सं. 3917(डबल्यू)। डॉ. पूषन मजूमदार - बनाम - भारत संघ एवं 11 अन्य सदस्य मुकदमे								
2.	10.03.2010	03.03.10	6.06	1	-	-	-	3 मार्च 2010 को सुनवाई हेतु 1 मार्च 2010 को एवं से मुकदमों की संयुक्त मासिक सूची की दैनिक अनुपूरक सूची में मुकदमे का कोई जिक्र नहीं था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
3.	13.03.2010	09.03.10	6.42	-	1	-	-	दिनांक 09.03.10 का उच्च न्यायालय, कलकत्ता का आदेश अधिवक्ता की पेशी को नहीं दर्शाता है।
4.	27.03.2010	17.03.10, 18.03.10, 23.03.10	2.02	1	2	-	-	दिनांक 17.03.10 एवं 18.03.10 के उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेश अधिवक्ता की पेशी नहीं दर्शाते हैं। दिनांक 23.03.10 का कोई आदेश नहीं था।
5.	10.07.2010	16.04.10, 28.04.10, 05.05.10, 18.05.10	5.12	4	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में उल्लिखित तारीखों में से किसी पर भी कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं था।
2010 का एमएटी सं. 1521 (एफएमए 16 के रूप में फिर से संख्या दिया गया) डॉ. पूषन मजूमदार - बनाम - भारत संघ एवं 11 अन्य सदस्य मुकदमे।								
6.	13.04.2011	04.01.11, 25.01.11, 07.02.11	3.84	3	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।
7.	20.08.2011	28.02.11, 07.03.11, 14.03.11	3.84	3	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
8.	02.09.2011	28.03.11, 29.03.11	2.55	2	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।
9.	01.02.2012	17.01.12, 01.02.12	2.56	2	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।
10.	03.03.2012	01.02.12, 02.02.12, 17.02.12, 18.02.12, 28.02.12	1.26	3	2	-	-	01.02.2012 के लिए पेशी को क्र. सं. 9 के विपत्र में भी दिखाया गया था। इसलिए, उक्त तिथि के लिए भुगतान का दावा दो बार किया गया था। दिनांक 01.02.12, 18.02.12 एवं 28.02.12 को उच्च न्यायालय कलकत्ता का कोई आदेश नहीं था। दिनांक 02.02.12 एवं 17.02.12 के आदेश से यह पाया गया कि आदेश में अधिवक्ता की पेशी का जिक्र नहीं किया गया था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
11.	28.04.2012	02.03.12, 07.03.12, 14.03.12, 16.03.12, 21.03.12, 23.03.12, 28.03.12, 30.03.12	2.02	7	1	-	-	14.03.12 को छोड़कर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे। यहां तक की उल्लिखित तिथि को भी आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।
2012 की रिट याचिका सं. 8619 अशोक कु. रॉय – बनाम - आईएसीएस एवं अन्य (1521 के साथ विलय)								
12.	10.11.2012	02.05.12, 03.05.12, 10.05.12, 29.06.12, 03.07.12, 26.08.12, 28.08.12	1.18	4	3	-	-	दिनांक 03.05.12, 29.06.12, 03.07.12 एवं 26.08.12 को उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे । इसके अलावा, दिनांक 02.05.12, 10.05.12 एवं 28.08.12 के आदेशों से यह पाया गया कि आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
2005 की रिट याचिका सं. 8517 (डबल्यू) श्री गोलोकबिहारी चटर्जी बनाम भू-अर्जन समाहर्ता एवं अन्य								
13.	21.05.2007	25.04.05, 27.04.05, 29.04.05, 02.05.05, 05.05.05	0.34	4	1	-	-	05.05.05 को छोड़कर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे। उक्त तिथि पर भी, आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।
बोस संस्थान, कोलकाता								
2006 की रिट याचिका सं. 20437(डबल्यू)/ 2009 का सीएएन 274। कलिपद दास - बनाम - भारत संघ एवं अन्य								
14.	17.08.2009	19.12.08, 12.01.09, 21.01.09, 17.03.09, 25.03.09, 31.03.09, 20.05.09, 17.06.09, 15.07.09, 22.07.09, 29.07.09	1.23	11	-	-	-	इस मुकदमे के तहत दिनांक 19.12.2006 एवं 07.11.2006 के केवल दो आदेश थे। इसके अलावा, 2009 का सीएएन 274 इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
1997 की रिट याचिका सं. 10551(डबल्यू), पश्चिम बंग सेक्यूरिटी कर्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य								
15.	19.11.2011	04.01.11, 11.01.11, 18.01.11, 25.01.11, 07.02.11, 15.02.11, 22.02.11, 28.02.11, 08.03.11, 15.03.11, 22.03.11, 28.03.11, 29.03.11, 31.03.11	1.41	14	-	14	-	मुकदमे का निपटारा 15.1.10 को किया गया था। इसलिए, 15.01.2010 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
16.	11.11.2009	08.08.08, 10.09.08, 19.09.08, 19.11.08, 26.11.08, 10.12.08, 19.12.08, 23.12.08, 21.01.09, 28.01.09, 19.02.09, 16.03.09, 30.03.09	1.68	13	-	-	-	मुकदमे के तहत, केवल दिनांक 21.05.1999, 30.06.1999, 29.07.1999 एवं 04.12.2009 के आदेश थे। इसलिए, विपत्र में वर्णित तारीखों पर पेशी के लिए किए गए दावे गलत थे।
2008 का एमएटी सं. 1436, तरुण चक्रवर्ती बनाम बोस इंस्टीट्यूट (2009 का एफएमए 300 के रूप में फिर से संख्या दिया गया)								
17.	5.8.2010	05.01.10, 06.01.10, 14.01.10, 19.02.10, 24.03.10, 31.03.10, 07.04.10, 21.04.10	0.89	8	-	8	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
18.	06.09.11	21.01.11, 27.01.11, 15.02.11, 23.02.11, 28.02.11, 09.03.11, 16.03.11, 30.03.11, 31.03.11, 05.04.11, 12.04.11, 19.04.11, 27.04.11	1.31	13	-	13	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
19.	24.05.12	12.05.11, 15.06.11, 21.07.11, 22.07.11, 28.07.11, 29.07.11, 17.08.11, 18.08.11, 25.08.11, 07.09.11, 15.09.11, 22.09.11, 29.09.11, 30.09.11	1.65	14	-	14	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
2007 की रिट याचिका सं. 27359 (डबल्यू), श्यामल कुमार घोष एवं एएनआर बनाम भारत संघ एवं अन्य।								
20.	10.03.2009	15.04.08, 22.04.08, 29.04.08, 30.04.08, 06.05.08, 15.05.08, 16.07.08, 23.07.08, 24.07.08, 31.07.08, 20.08.08	1.23	11	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
2003 की रिट याचिका सं. 6415 (डबल्यू), शांति सरकार एवं एएनआर बनाम भारत संघ एवं अन्य।								
21.	20.02.2010	19.02.08, 19.03.08., 25.06.08, 21.08.08, 19.12.08, 21.01.09, 19.02.09, 25.03.09.	0.9	8	-	-	-	इस मुकदमे के तहत, केवल एक आदेश 17.06.2003 को पारित किया गया था। कोई आदेश इसके बाद पारित नहीं किया गया था।
2009 का सीएन सं. 274 राधा देवी बनाम नरेंद्र सिंह एवं एएनआर								
22.	05.08.2010	11.01.10, 12.01.10, 13.01.10, 14.01.10, 15.02.10, 16.02.10, 22.02.10, 23.02.10, 23.03.10, 30.03.10, 05.04.10, 26.04.10	1.35	-	-	-	12	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
23.	22.01.2011	07.06.10, 08.06.10, 14.06.10, 15.06.10, 28.06.10, 29.06.10, 12.07.10, 13.07.10, 23.07.10, 30.07.10, 12.08.10, 19.08.10, 24.08.10, 31.08.10	1.57	-	-	-	14	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
24.	31.03.2012	19.05.11, 22.06.11, 29.06.11, 18.08.11, 30.08.01, 05.09.11, 07.09.11, 21.09.11, 22.09.11, 28.09.11, 29.09.11, 02.11.11, 03.11.11, 15.11.11, 16.11.11, 17.11.11	1.88	-	-	-	16	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
25.	04.08.2012	04.01.12, 05.01.12, 10.01.12, 11.01.12, 18.01.12, 19.01.12, 24.01.12, 25.01.12, 01.02.12, 02.02.12, 07.02.12, 09.02.12	1.41	-	-	-	12	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
	कुल		54.93	144	10	49	54	

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 4.3 के संदर्भ में)

जिओसैट/आई.आर.एस. ठेकों में सुपुर्द करने योग्य की आपूर्ति की स्थिति तथा अतिरिक्त व्यय

तालिका 1 : जिओसैट ठेका

क्र. सं.	संरचना का नाम	सैटेलाइट	ड्राइंग संख्या	मात्रा	सुपुर्दगी तारीख	वर्ष	श्रमघंटे	दर (₹ में)	प्रदत्त राशि (₹ लाख में)	60,000 से अधिक श्रमघंटे	राशि (₹ लाख)
1.		ब्रेकेट तथा विविध संघटक				03-04	12,474.34	700	87.32		
2.	अंतिम संयोजन	इनसैट-4ए	INS3-SR-120-000	1	मई 2004	04-05	10,119.07	700	70.83		
3.	अंतिम संयोजन आइएनएस-2 के	इनसैट 4सी	INS3-SR-150-000	1	अगस्त 2005	05-06	16,966.11	700	118.76		
4.	अंतिम संयोजन आइएनएस-3 के	इनसैट 4बी	INS3-SR-170-000	1	अगस्त 2005	05-06					
5.	अंतिम संयोजन आइएनएस-3के	1-3के-एस.टी.एम.	INS3-SR-170-000	1	अगस्त 2006	06-07	23,571.97	749	176.55	3,131.49	23.46
6.	अंतिम संयोजन आइएनएस-2 के	इनसैट 4 सी.आर.	INS3-SR-150-000	1	दिसम्बर 2006	06-07					
7.	अंतिम संयोजन आइएनएस-2 के	जीसैट 4	INS3-SR-150-000	1	फरवरी 2007	06-07					
8.	अंतिम संयोजन	डब्ल्यू.2एम.	INS3-SR-170-000	1	सितम्बर 2007	07-08	20,259.52	801	162.28	20,259.52	162.28
उपजोड़-1 (मार्च 2008 तक सुपुर्दगियां)				7			83,391.01	-	615.74		

9.	अंतिम संयोजन	एच.वाई.एल.ए.एस.	INS2-SR-157-000	1	अगस्त 2008	08-09	9,000.00	801	72.09	9,000.00	72.09
10.	अंतिम संयोजन	इनसैट 3 डी	INS2-SR-150-000	1	दिसम्बर 2008	08-09					
11.	अंतिम संयोजन	जीसैट 5पी	INS2-SR-154-000	1	फरवरी 2010	09-10	2,550.30	950	24.23	2,550.30	24.23
उपजोड़-2 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				3			11,550.30	-	96.32		
जोड़							94,941.31	-	712.06	34,941.31	282.06

तीन जिओसैट संरचनाएं मार्च 2008 के बाद संयोजित की गई थी जिससे होने पर एचएएल को ₹ 3.80 लाख की राशि लाभ हुआ था जो कि वृद्धि खण्ड के लागू होने के कारण ₹ 24.23 (2550.30*801) के बराबर है।

तालिका-2: आई.आर.एस. अनुबंध

क्र. सं.	संरचना का नाम	सैटेलाइट	ड्राइंग संख्या	मात्रा	सुपुर्दगी तारीख	वर्ष	श्रमघंटे	दर (₹ में)	प्रदत्त राशि (₹ लाख में)	60,000 से अधिक श्रमघंटे	राशि (₹ लाख)
1.						2003-04	7,777.09	700	54.44		
2.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2	CARTO-SR-40,000	1	अक्टूबर 2004	2004-05	7,924.59	700	55.47		
3.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2	CARTO-SR-40-000	1	जून 2005	2005-06	9,474.76	700	66.32		
4.	अंतिम संयोजन-एसआरई	एस.आर.ई.	SRE-SR-30,000	1	जुलाई 2005	2005-06					
5.	अंतिम संयोजन-एसआरई	एस.आर.ई.	SRE-SR-30-000	1	दिसम्बर 2005	2005-06					
6.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2ए	CARTO-SR-40-000	1	जून 2006	2006-07	14,356.74	749	107.53		
7.	अंतिम संयोजन-1-1.5 के	ओसन-2	IRS-SR-80-000	1	अगस्त 2006						
8.	अंतिम संयोजन 1-1.5 के	चांद-1	IRS-SR-80-000	1	मार्च 2007						
9.	अंतिम संयोजन	अणुसैट	ANU-SR-052-000	1	मार्च 2007						
10.	अंतिम संयोजन	टी.डब्ल्यू. सैट-आई.एम.एस.	SMSAT-SR-060-000	1	नवम्बर 2007	2007-08	17,206.97	801	137.83		
उपजोड़-1 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				9			56,740.15	-	421.59		

11.	अंतिम संयोजन	आर.आई.सैट	RISAT-SR-050-000	1	सितम्बर 2008	2008-09	8,731.24	801	69.94	5,471.39	43.83
12.	पेलोड संयोजन	मेगाट्राफिक्स	IRS-SR-60-000	1	अप्रैल 2009	2009-10	4,614.00	950	43.83	4,614.00	43.83
13.	अंतिम संयोजन	कार्टोस्टेट	CRTO-SR-40-000	1	मई 2009	2009-10					
14.	अंतिम संयोजन	यूथसैट-आई.एम.एस.	SMSAT-SR-060-000	1	फरवरी 2010	2009-10					
15.	अंतिम संयोजन	एस्ट्रोसैट	ASTRO-SR-060-000	1	मार्च 2010	2009-10					
16.	अंतिम संयोजन	सरल	SMSAT-SR-062-000	1	मई 2011	2010-11	1,030.00	1,016.50	10.47	1,030.00	10.47
17.	अंतिम संयोजन	सरल	IRS-SR-60-000	1	दिसम्बर 2011	2011-12	3,030.00	1,087.65	32.96	3,030.00	32.96
उपजोड़-2 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				7			17,405.24	-	157.20		
जोड़				16			74,145.39	-	578.79		131.09

सात आईआरएस संरचनाएँ मार्च 2008 के बाद संयोजित की गई थीं, जिससे एचएएल को ₹ 17.78 लाख, जो कि वृद्धि खण्ड लागू करने के कारण ₹ 43.83 – (4614*801)+ ₹ 10.47 – (1030*801)+32.96 – (3030*801) के बराबर था, का लाभ हुआ।

परिशिष्ट X (पैराग्राफ 6.1 के संदर्भ में)

किए गए सर्वेक्षणों, अध्ययनों एवं निकाले गए प्रकाशनों में भा.प्रा.स. के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

1. राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
1	गोआ	1993-2006	1993-2002	2007	उपलब्ध नहीं	2008	2008	यद्यपि अध्ययन के प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी फिर भी प्राणिजात संबंधी खातो का प्रकाशन राज्य के प्राणियों की श्रृंखला 16:1-531 के अंतर्गत किया बताया गया था।
2	तमिल नाडु	1995-2006	उपलब्ध नहीं	2008	उपलब्ध नहीं	2010	2009	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के दो संस्करणों को प्रकाशित (2009 और 2011) होने के लिए राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-17 (भाग-1) :1-256 और विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-17 (पार्ट -2) :1-418 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया।
3	केरल	2000-2010	1999-2002	2011	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	सर्वेक्षण की अवधि 10 वर्ष से कटौती करके तीन वर्ष की गई। . एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा की आठ विशेष पशुवर्ग के पांडुलिपियों समीक्षा के अधीन थे एवं इनका प्रकाशन 2015-16 तक किया जाएगा।
4	आंध्र प्रदेश	2001-2007	1998-2002	2009	उपलब्ध नहीं	2011	1993-2007	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के सात संस्करणों का राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-5 (खण्ड-1 से खण्ड-7) :1993-2007 में प्रकाशित होना बताया गया।
5	उत्तरप्रदेश	2001-2008	2005-2011	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा की विशेष पशुवर्ग के पांडुलिपियों समीक्षा के अधीन थे एवं इनका प्रकाशन 2014-15 तक किया जाएगा।
6	उत्तराखंड	2002-2008	2000-2003	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2010	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के तीन संस्करणों का 2010 में राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-18 (भाग-1) :1-621, 18(भाग-2) :1-748 एवं 18(भाग-3) :1-307 होना बताया गया।

क्र. सं.	राज्य का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
7	हिमाचल प्रदेश	2004-2010	2009-2012	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा की वर्गीकरण अध्ययन को कार्य में लाया गया है एवं हिमाचल प्रदेश के विशेष पशु वर्ग के अध्ययन का संग्रहण किया गया है एवं इसका प्रकाशन 2016-17 तक किया जाएगा।
8	चंडीगढ़	2007-2010	नहीं लाया गया	2011	नहीं लाया गया	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की यह कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
9	महाराष्ट्र	2004-2010	2008-2012	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी महाराष्ट्र के विशेष पशुवर्ग के दो संस्करणों का प्रकाशन राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-20 (भाग-I :1-480 एवं 2:1-673) के अंतर्गत किया गया। भा.प्रा.स. ने केवल 2012 में सर्वेक्षण पूर्ण किया है इनके उत्तरो को तथ्यों के प्रकाश में लाये जाने की आवश्यकता है।
10	मध्यप्रदेश	2005-2010	1990-2003	2011	उपलब्ध नहीं	2012	2007-12	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग के खातों के तीन संस्करणों का प्रकाशन विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-15 (भाग-I :1-564; 2:1-152 एवं 3:1-202) के अंतर्गत 2007, 2008 एवं 2012 में बताया गया।
11	छत्तीसगढ़	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2007-12	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग के खातों के तीन संस्करणों का प्रकाशन विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-15 (भाग-I :1-564; 2:1-152 एवं 3:1-202) के अंतर्गत 2007, 2008 एवं 2012 में बताया गया।
12	हरियाणा	2007-2010	2006-2011	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा की वर्गीकरण अध्ययन को कार्य में लाया गया है एवं राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला के तहत हरियाणा के विशेष पशु वर्ग का संग्रहण किया गया है एवं इसका प्रकाशन 2016-17 तक किया जाएगा।
13	कर्नाटक	2006-2012	1998-2011	2014	2011	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की विशेष पशु वर्ग संबधी खातों का प्रकाशन 2013 में हुआ था।

2. पारिस्थितिकी प्रणालिया

पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
हिमालयन	1	पश्चिमी हिमालय: लद्दाख-जम्मू एवं कश्मीर	2004-2008	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	2005	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की पश्चिमी हिमालय के विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो (भाग-1: 1-227) 1995 एवं (भाग-2: 1-359) 2005 में प्रकाशित किए गए थे ।
	2	पश्चिमी हिमालय: पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश	2004-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2013	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, यह कहा गया की पांगी घाटी, चम्बा, हिमाचल प्रदेश की विशेष पशुवर्ग संबंधी विविधता हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-3: 1-120 के अंतर्गत 2013 में प्रकाशित की गई थी।
मरुस्थल	3	राजस्थान	1999-2003	उपलब्ध नहीं	2005	उपलब्ध नहीं	2007	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, यह कहा गया की विभिन्न विशेष पशुवर्ग संबंधी वर्गों के खातो का प्रकाशन कर दिया गया था। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खातो का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	4	गुजरात	2004-2008	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी गुजरात के विशेष पशुवर्ग के दो संस्करणों का प्रकाशन राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-8(भाग-1 :1-464 (2000) एवं भाग-2: 1-427 (2004) के अंतर्गत किया गया। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खातो का प्रकाशन नहीं किया गया था।
समुद्री और द्वीप	5	अंडमान और निकोबार	2001-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो का प्रकाशन राज्य विशेष पशु वर्ग संबंधी श्रृंखला-19 (1) : 1-300 के तहत 2010 में किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	6	पूर्वी तट: आंध्र प्रदेश	2003-2008	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की आंध्र प्रदेश के वांसधारा एवं नागवली ज्वारनदमुख के जीव का प्रकाशन ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-6: 1-113 (2010) कृष्णा ज्वारनदमुख के विशेष पशु वर्ग ईईएस-5:1-298(2009) के अंतर्गत किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	7	पूर्वी तट: ओडीसा	2007-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	यद्यपि एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की ब्राह्मणि बैतरनी मिश्रित ज्वारनदमुख एवं नुवानाइ मुहाना, ओडीसा के डेकोपोड जलीय विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो का प्रकाशन ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-8: 1-64(2013) के अंतर्गत किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	8	पश्चिमी तट: केरल	2007-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की केरल के वेंबनाड झील के जीव संबंधी विविधता के खातो का प्रकाशन आद्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-10: 1-192 (2009) के अंतर्गत किया गया था। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन	9	पश्चिमी घाट, केरल	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की पश्चिमी घाट के स्थानिक उभयचर के मानचित्र का प्रकाशन विशेष प्रकाशन श्रृंखला-34 : 1-220 (2013) के अंतर्गत किया गया था। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	10	पश्चिमी घाट, तमिलनाडु	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की तमिलनाडु के जीव के दो संस्करणों का प्रकाशन (2009 एवं 2011) राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला-17(भाग-1 : 1-256; राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला-17(भाग-2 : 1-418 के अंतर्गत किया गया था एवं पश्चिमी घाट के स्थानिक उभयचर के मानचित्र का प्रकाशन विशेष प्रकाशन श्रृंखला-34 : 1-220 (2013) के अंतर्गत किया गया था जिसमें तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के विशेष पशु जीव संबंधी आकड़े समाहित थे। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	11	पश्चिमी घाट, कर्नाटक	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की कर्नाटक के जीव का प्रकाशन (2013) राज्य जीव श्रृंखला-21 : 1-595 के अंतर्गत किया गया था जिसमें कर्नाटक के पश्चिमी घाट के विशेष पशु जीव संबंधी आकड़े समाहित थे। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
मुहानों	12	कृष्णा नदी के मुहाने, आंध्र प्रदेश	1996-2003	1996-2008	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2009	लेखा परीक्षा ने पाया कि जीव संबंधी खातो ने योजना के अनुसार आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया।
	13	बाँसधारा, नागवेली मुहाना, आंध्र प्रदेश	2000-2003	2000-2008	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2010	लेखा परीक्षा ने पाया की जीव संबंधी खातो ने योजना के अनुसार आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	14	कावेरी नदी के मुहाने, तमिलनाडु	2004-2007	2008-2011	2011	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की सर्वेक्षण पूर्ण कर लिए गए थे, वर्गीकरण अध्ययन जारी थे एवं दस्तावेजों का संकलन एवं प्रकाशन की उम्मीद 2015-16 तक की जा सकती है।
	15	पेन्नार नदी के मुहाने, आंध्र प्रदेश	2008-2010	2011-2014	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की सर्वेक्षण पूर्ण कर लिए गए थे, वर्गीकरण अध्ययन जारी थे एवं दस्तावेजों का संकलन एवं प्रकाशन की आशातीत 2015-16 तक है।
ताजा पानी	16	नलसरोवर, गुजरात	1998-2003	1998-2007	2005	उपलब्ध नहीं	2007	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की नल सरोवर, गुजरात के जीव संबंधी खातों का प्रकाशन आद्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र शृंखला-11 : 1-137 (2009) के अंतर्गत किया गया था। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र शृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	17	क्रटर लेक, महाराष्ट्र	2000-2005	2000-2007	2007	उपलब्ध नहीं	2009	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की महाराष्ट्र लुनर वन्य जीव अभ्यारण्य के जीव संबंधी खातों का प्रकाशन संरक्षण क्षेत्र शृंखला-37 : 1-208 (2008) के अंतर्गत शोध पत्रों के साथ किया गया था। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र शृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	18	गोविंद सागर, पंजाब	2001-2004	2002-2007	2006	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं गोविंद सागर, पंजाब के जीव संबंधी खातों का संकलन एवं प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।
	19	चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश	2002-2004	नहीं लिया गया	2006	नहीं लिया गया	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था।
	20	पूर्व कोलकाता आद्रभूमियाँ	2003-2006	उपलब्ध नहीं	2007	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं पूर्वी आद्रभूमि, कोलकाता के जीव की पहचान एवं संग्रहण किया जा रहा था एवं इनसे संबंधित दस्तावेजों प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	21	सोमोराइ, जम्मू और कश्मीर	2004-2006	नहीं लिया गया	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (2014 मार्च) कहा की अपेक्षित विशेषज्ञता की अनुपलब्धता के कारण अध्ययन नहीं किया जा सका।
	22	भोज, मध्य प्रदेश	2006-2009	2005-2006	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरण से यह देखा गया की सर्वेक्षण की पूर्णता सर्वेक्षण के प्रारंभ होने की अवधि से पहले ही पूर्ण हो गई थी। एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की प्रजातियों की पहचान मध्य प्रदेश के राज्य जीव संबंधी खातो के भाग-3 में समाहित थी। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	23	केवलादेव घाना, राजस्थान	2006-2009	1998-2007	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (2014 मार्च) कहा की अध्ययन के भाग का प्रकाशन शोध पत्र के रूप में : शर्मा जी (2011) विविधता पर अध्ययन, राजस्थान के अरावली श्रृंखला के चार संरक्षित निवास में दमसेलफ़ीस एवं ड्रैगनफ्लाइस की स्थिति एवं संरक्षण तथा जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उनकी भूमिका कीट विज्ञान की पत्रिका. 24 (विशेष अंक): 45-50 में हुआ। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	24	रोपर, पंजाब	2006-2008	2005-2007	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की शोध पत्र का प्रकाशन किया गया, यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	25	नारायण सरोवर	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2011	पूर्ण नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) में कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं नारायण सरोवर के जीव संग्रहण एवं प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।

3. संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
1	हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर	2000-2007	1997-2006	2008	उपलब्ध नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	यद्यपि अध्ययन की पूर्णता का विवरण दर्शाया नहीं गया था, एमओईएफ ने बताया की दस्तावेजों का प्रकाशन 1. पत्नीवल, आर. (2008). हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के केंचुएँ, जम्मू और कश्मीर, भारत भा.प्रा.स. रेकॉर्ड्स खण्ड 108(3) में किया गया। 2. टेक, पी.सी. शर्मा, डी.के. ठाकुर, एम.एल. सैकाई, उत्तम (2009). लद्दाख के पक्षी एवं उनकी स्थिति का विश्लेषण खण्ड-109 के रूप में हुआ। जीव संबंधी खातों के प्रकाशन के उत्तर में उन्होंने चुप्पी साध ली।
2	ठेट्टेकड पक्षी अभयारण्य, केरल	2006-2008	पूर्ण नहीं	2009	पूर्ण नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश का अनुमति नहीं मिल पाने के कारण कार्यक्रम को अंतिम रूप से छोड़ दिये जाने कि सिफारिश पीएसी से की गयी थी।
3	पंचमडी, मध्य प्रदेश	2004-2007	1999-2005	2008	उपलब्ध नहीं	2010	2009	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से पाच वर्ष पूर्व किया गया।
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2004-2008	2000-2004	2009	उपलब्ध नहीं	2010	2005	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।
5	ईटानगर वन्य जीवन अभयारण्य	2004-2008	2000-2010	2009	पूर्ण नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे।
6	पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश	2004-2008	2000-2005	2009	उपलब्ध नहीं	2010	2008	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
7	हजारीबाग नेशनल पार्क, झारखंड	2004-2008	2000-2007	2009	2007	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि दस्तावेज समीक्षाधीन थे एवं पाण्डुलिपियों का प्रकाशन 2015 तक हो जाएगा।
8	ताले घाटी वन्य जीवन अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश	2002-2004	2002-2004	2006	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि वर्गीकरण अध्ययन संचालन विशेषज्ञता की कमी के कारण नहीं हो पाया था।
9	बंनेर्घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलुरु	2002-2004	2002-2006	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
10	कॉर्वेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड	2002-2004	2002-2006	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2008	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
11	तालचप्पेर वन्य जीवन अभयारण्य, राजस्थान	2002-2004	2002-2006	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2010	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
12	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2002-2005	2002-2007	2007	2007	2009	2010	-
13	मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
	निकोबार द्वीप समूह							
14	उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से पाच वर्ष पूर्व किया गया।
15	दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।
16	लवलंग वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड	2003-2005	Not taken up	2007	नहीं लिया गया	2009	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता कि कमी के कारण प्रस्तावित नहीं था।
17	पलामू नेशनल पार्क, झारखंड	2004-2008	Not taken up	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (मार्च 2014) कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता कि कमी के कारण प्रस्तावित नहीं था।
18	महुआदौर वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड	2004-2006	Not taken up	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने (2014) में स्वीकार किया कि महौदौर वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड के जीव संबंधी सर्वेक्षण भा.प्रा.स. द्वारा अब तक नहीं किया गया था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
19	भीमशंकर वन्य जीवन अभयारण्य, महाराष्ट्र	2004-2007	2004-2006	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2009	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
20	देबांग-देबांग, अरुणाचल प्रदेश	2005-2009	नहीं लिया गया	2011	नहीं लिया गया	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
21	माहाओ वन संरक्षण, अरुणाचल प्रदेश	2005-2007	नहीं लिया गया	2009	नहीं लिया गया	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
22	सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2005-2007	2011-2014	2009		2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।
23	नोंगख्यलिएम वन जीव अभयारण्य, मेघालय	2005-2007	2012-2015	2009	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं नोंगख्यलिएम वन जीव अभयारण्य, मेघालय के जीव का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।
24	सिजू वन जीव अभयारण्य, मेघालय	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं सिजू वन जीव अभयारण्य, मेघालय के जीव का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
25	फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	एमओईएफ (मार्च,2014) ने कहा कि फूलों की घाटी के जीव संरक्षित क्षेत्र पर एमओईएफ परियोजना के हिस्से के रूप में विस्तृत अध्ययन किया गया था और 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। शोध-पत्र का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
26	इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़	2006-2008	नहीं लिया गया	2010	नहीं लिया गया	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च,2014) ने कहा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के, छत्तीसगढ़ के जीव (जो 2005 में नहीं किया गया) को प्रस्तावित किया गया था। यद्यपि, अध्ययन क्षेत्र में गड़बड़ी करने के कारण अध्ययन नहीं किया जा सका था।
27	सिमलीपाल, ओड़ीशा	2006-2008	2001-2003	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2006	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ (मार्च,2014) ने कहा कि संरक्षण क्षेत्र क्रम- 28:1-87(2006) के अंतर्गत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के जीव संबंधी संसाधनों के रूप में जीव संबंधी खतों को प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, पीएसी के योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
28	कलिकड, तमिलनाडु	2006-2008	2012-2014	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2009-11	भा.प्रा.स. के साथ अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं थे।
29	नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र	2006-2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	2013	2012	भा.प्रा.स. के पास सर्वेक्षण एवं अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं है।
30	गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, बिहार	2007-2009	नहीं लिया गया	2011	नहीं लिया गया	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
31	सोननदी वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश	2007-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
32	रानी झाँसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	भा.प्रा.स. के पास सर्वेक्षण एवं अध्ययन के संचालन के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
33	पूर्व अथवा इंग्लिस द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	2007-2011	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि 2015-16 में जीव संबंधी खातों को प्रकाशित किया जाएगा।
34	महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	2005-2008	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूर्ण किए जा रहे थे एवं महात्मा गांधी मरीन के राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जीव को 2016-17 में प्रकाशित किया जाएगा।
35	अरीयल द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
36	सरिस्का बाघ संरक्षण, राजस्थान	2008-2010	2003-2006	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि दस्तावेज़ प्रकाशित किए गए थे, यद्यपि जीव संबंधी खतरों के प्रकाशन के बारे में जवाब मौन था। जैसा कि पीएसी की योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
37	पाखुली वन संरक्षण, अरुणाचल प्रदेश	2008-2010	2002-2011	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि पांडुलिपि तैयारी के अधीन था एवं 2016-17 में प्रकाशित किया जाएगा।
38	मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम	2008-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	1995*	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि बाघ संरक्षण (सुंदरवन, पलामू, सिमलीपाल एवं मानस) के अंतर्गत कुछ जीव संबंधी समूहों का सर्वेक्षण, अध्ययन और प्रकाशन शोध-पत्र 1995 में किया गया था। प्राणिजात के संरक्षण क्षेत्रों की सं. 8.1-105 है। शोध-पत्र की तिथि इंगित करता है कि यह पिछले एक सर्वेक्षण से संबंधित है।
39	बरनादी वन्य जीव अभयारण्य, असम	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
40	पॉइंट कीलिमोर वन्य जीव अभयारण्य, तमिलनाडु	2008-2010	2003-2006	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2006	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ (मार्च, 2014) ने कहा कि संरक्षण क्षेत्र क्रम सं. 31:1-62 (2006) के रूप में प्वाइंट कलिमेयर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य के नभचर संरचना, तमिलनाडु को प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, जैसा कि पीएसी के योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
41	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च, 2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
42	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2008-2011	उपलब्ध नहीं	2013	उपलब्ध नहीं	2015	बकाया नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च,2014) कि एक शोध पत्र 2006 में प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, जैसा कि 2008-11 के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाई गई थी, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से संबंधित था।
43	जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान	2009-2011	नहीं लिया गया	2013	नहीं लिया गया	2015	बकाया नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
44	संदसपुर वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश	2009-2012	नहीं लिया गया	2014	नहीं लिया गया	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
45	दाल्मा वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड	2010-2012	1999-2012	2014	उपलब्ध नहीं	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च,2014) कि तितलियों और डालमा डबल्यूएलएस के पतिंगे पर वर्गीकरणआत्मक अध्ययन का शोध-पत्र का प्रकाशन 2014-15 में किया जाएगा।
46	राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, बिहार	2010-2012	नहीं लिया गया	2014	नहीं लिया गया	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइट : www.cag.gov.in